CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. I, First Session, 2019/1941 (Saka)

No. 9, Thursday, June 27, 2019/Ashadha 6, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCES	7-9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 to 85 and 89	11-64
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 86 to 88 and 90 to 100	65-102
Unstarred Question Nos. 882 to 1111	103-585

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 587-588

MOTION RE: FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 589

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) Central Educational Institutions (Reservation In Teachers' Cadre) Bill, 2019 590

(ii) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019 592

(iii) Dentists (Amendment) Bill, 2019 593

STATEMENT RE: CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ORDINANCE, 2019

Shri Sanjay Shamrao Dhotre 591

STATEMENT RE: INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE, 2019

Shri Ashwani Kumar Choubey 592

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Imposition of tax on disabled personnel of the Indian Armed Forces 616-618

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Regarding Performance of Odisha on Health Index

Shrimati Aparajita Sarangi 654-655

(ii) Regarding setting up of a Silk Park in Arani, Tamil Nadu

Dr. M.K. Vishnu Prasad 656

(iii) Regarding formation of new Railway Division at Kanyakumari in Tamil Nadu.

Shri H. Vasanthakumar 657

(iv) Regarding construction of sea walls along the coastal belt

Shri Benny Behanan 658

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019

AND

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL ,2019 659

Motion to Consider 659

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 659,663-673

Shri Shripad Yesso Naik 659-662,735-739, 740-743

Shri Manoj Rajoria 674-679

Shrimati Aparupa Poddar 680-682

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 683-686

Shri Anubhav Mohanty 687-689

Shri Kaushalendra Kumar 690-691

Shri Anurag Sharma 692-695

Shri Shrirang Appa Barne 696-697

Adv. A. M. Ariff 698-701

Shri Hanuman Beniwal 702-704

Shri Kodikunnil Suresh 705-710

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	711-714
Dr. Farooq Abdullah	715-716
Shri Vinayak Bhaurao Raut	717-718
Adv. Ajay Bhatt	719-722
Shri N.K. Premachandran	723-730
Sadhvi Pragya Singh Thakur	731-732
Shri Bhagwant Mann	733
Shri Thol Thirumaavalavan	734
Clauses 2, 3 and 1	743-744
Motion to Pass	744
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	745
Member-wise Index to Unstarred Questions	746-748
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	749
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	750

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, June 27, 2019/ Ashadha 6, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे ग्यारह पूर्व सदस्यों, सर्वश्री एस. राजेन्द्रन, विश्वनाथ शास्त्री, परिपूर्णानंद पैन्यूली, के.जे.के. रितेश शिवकुमार, एस.पी.वाई. रेड्डी, वी. विश्वनाथ मेनन, आर.एन. राकेश, हरिओम सिंह राठौड़, एम. के. सुब्बा, कमलेश वाल्मीकि तथा श्रीमती शीला गौतम के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री एस. राजेन्द्रन तमिलनाडु के विलुप्पुरम संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री एस. राजेन्द्रन का निधन 23 फरवरी, 2019 को टिंडीवनम टाउन, जिला विलुप्पुरम, तमिलनाडु में 62 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री विश्वनाथ शास्त्री दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री विश्वनाथ शास्त्री का निधन 18 मार्च, 2019 को गोमती नगर, लखनऊ में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली तत्कालीन उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री पैन्यूली को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल छह वर्षों की समय अवधि के लिए तीन बार जेल भेजा गया।साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री पैन्यूली की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली का निधन 12 अप्रैल, 2019 को देहरादून, उत्तराखंड में 94 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के. जे. के. रितेश शिवकुमार तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री रितेश शिवकुमार का निधन 13 अप्रैल, 2019 को रामनाथपुरम, तमिलनाडु में 46 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस. पी. वाई. रेड्डी आंध्र प्रदेश के नंदयाल संसदीय क्षेत्र से चौदहवीं से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री एस. पी. वाई. रेड्डी का निधन 30 अप्रैल, 2019 को हैदराबाद में 68 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वी. विश्वनाथ मेनन केरल के एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे। श्री मेनन **1974** से **1980** तक राज्य सभा के भी सदस्य थे। श्री वी. विश्वनाथ मेनन का निधन **03** मई, **2019** को एर्नाकुलम, केरल में **92** वर्ष की आयु में हुआ।

श्री आर. एन. राकेश उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय क्षेत्र से छठवीं, सातवीं तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री राकेश ने राजनीतिक मुद्दों तथा साहित्य विषयों पर एक हजार से अधिक निबंध तथा पत्र लिखे। श्री आर. एन. राकेश का निधन **15** मई, **2019** को प्रयागराज में **76** वर्ष की आयु में हुआ।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ राजस्थान के राजसमंद संसदीय क्षेत्र से सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री हरिओम सिंह का निधन 27 मई, 2019 को उदयपुर, राजस्थान में 61 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एम.के.सुब्बा असम के तेजपुर संसदीय क्षेत्र से बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री सुब्बा ने वर्ष 1991 से 1998 के बीच दो बार असम विधान सभा सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। श्री एम.के.सुब्बा का निधन 27 मई, 2019 को नई दिल्ली में 61 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कमलेश वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र से पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री कमलेश वाल्मीकि का निधन 27 मई, 2019 को खुर्जा, उत्तर प्रदेश में 52 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती शीला गौतम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से दसवीं से तेरहवीं लोक सभा की सदस्य थीं। श्रीमती शीला गौतम का निधन 08 जून, 2019 को नई दिल्ली में 87 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.02 hrs

The Members then stood in silence for short a while.

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, फौजियों पर टैक्स लगाकर जिस तरह से घोर अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर के बाद बात करेंगे।

…(व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 81, रामदास तडस ।

…(व्यवधान)

(Q. 81)

श्री रामदास तडस : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद मानता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में **55** सालों में एक नेशनल हाईवे रोड था, अभी आठ नेशनल हाईवे हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत कुलगाम से कारंजा महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य भारतमाला परियोजना में प्रस्तावित होने की जानकारी है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग का विकास कार्य जल्द प्रारंभ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है**?**

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, भारतमाला में करीब चौबीस हजार किलोमीटर के मार्ग को लिया गया है। इसका उल्लेख सम्मानीय सदस्य ने किया है, उसको भी लिया गया है । जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तब अधिकारियों ने प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू करके कुछ प्रोजेक्ट लिए थे और कुछ प्रोजेक्ट पीछे डाल दिए थे। नई सरकार की स्थापना होने के बाद मैंने सूचना दी है कि प्रायेरिटी बंद कीजिए और सभी काम शुरू कीजिए। हम लोग पैसा खड़ा करके काम करेंगे क्योंकि यह देश की आवश्यकता है। प्रायोरिटी अब खत्म कर दी है, ऐसी सूचना विभाग को भी दी गई है। आप जो कह रहे हैं कुलगाम से कारंजा तक का डीपीआर का काम शुरू है। जिसको काम दिया गया था, उसको एक साल हो गया है, उसने बराबर काम नहीं किया, मैंने आज ही उसको इंस्ट्रक्शन दी है, दो महीने के अंदर डीपीआर पूरा करेंगे और लैंड एक्विजशन का प्रोपोजल साथ लाकर इसको अनुमति देकर कार्य का शुभारंभ करेंगे।

श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष जी, वर्धा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भुट्टी बोरी-वर्धा-यवतमाल राष्ट्रीय महामार्ग-361 का काम चालू है। देओली शहर के साथ अनेक जगह से बाईपास जा रहा है। एनएच वाले बोलते हैं कि यह रास्ता शहर में जाने के लिए है उस क्षेत्र में बाईपास नहीं जा रहा है।

यहां वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां से नहीं जा रहा है, दोनों में फुटवार हो रहा है। नेशनल हाईवे से जो रोड जा रही है, उसके बाजू में शहर के लिए जो सड़क जाती है, इसका काम लंबित है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि जब हम बाईपास बनाते हैं तो शहर से जो पुराना रास्ता जाता है, उसे ऑटोमेटिकली स्टेट को हैंडओवर करते हैं या म्युनिसिपिल कार्पोरेशन को करते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहती है। क्योंकि हम नया रोड बना रहे हैं, हमने इसके लिए पालिसी बनाई है और हमने उसे स्वीकृति भी दी है, लेकिन अधिकारी उसका अमल नहीं करते हैं। वह पालिसी है कि पुराने रोड को ठीक करके उसे फिर से डीनोटिफाई करें, उसे स्टेट गवर्नमेंट या वहां की म्युनिसिपिल कार्पोरेशन को हैंड ओवर करें। इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। इन कार्यों में बीच में थोड़ी ढिलाई बरती गई थी।

महोदय, इनके काम के बारे में मैंने आज सूचना दी है, इसे हम पूरा करेंगे, इसे डीनोटिफाई करेंगे, नगर परिषद् को हैंडओवर कर देंगे।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं राजस्थान का जिस प्रकार से आपने जवाब दिया है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में, पूरे राजस्थान और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में चाहे नेशनल हाईवे हों या सीआरएफ सड़कें हों या नए नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने हों, मैं उसके लिए सबकी ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेष तौर से चारधाम की यात्रा पर जाने वाले करोड़ों धर्मावलम्बियों के लिए पहली बार चारधाम की यात्रा का मार्ग सुलभ बनाने का काम शुरु किया है, मैं उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

दिल्ली से अहमदाबाद नेशनल हाईवे का फोर लेन से सिक्स लेन का काम शुरु हो गया है। यह बहुत तेज गति से चल रहा है। दिल्ली-मुम्बई नया एक्सप्रैसवे बन रहा है जिसकी चौड़ाई **120** मीटर है। यह कई क्षेत्रों के नजदीक से होकर गुजर रहा है। यहां कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, सीमेंट हब है, जिंक का प्लांट है और यहां विश्व प्रसिद्ध विरासत है। वडोदरा से कांडला पोर्ट तक यह रास्ता

जाएगा। क्या इसमें ऐसे जिला मुख्यालयों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ने का कोई प्रावधान है**?**

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, आप भी जानते हैं कि यह देश का ऐसा पहला हाईवे है जो पांच राज्यों **-** मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के बैकवर्ड और ट्राइबल सैक्टर से जा रहा है। अगर हम मुम्बई**-**अहमदाबाद लाइन पर जाते हैं तो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट छ**:** से सात करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ती क्योंकि यह डैवलप्ड एरिया है। हमें बैकवर्ड एरिया के कारण अनेक जगह **80** लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कॉस्ट पड़ी। दिल्ली से मुम्बई **12** घंटे का समय लगेगा और दिल्ली से मुम्बई का डिस्टेंस **120** किलोमीटर कम होगा। मुझे विश्वास है कि दिल्ली से मुम्बई **12** घंटे में पहुंचा जाएंगे। इसमें केवल अड़चन यह है कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देंगे तो डिस्टैंस बढ़ जाएगा। यह संभावना नहीं है। जयपुर बड़ा शहर है। यह गुड़गांव, अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ, रतलाम से होकर वडोदरा से मुम्बई जा रहा है। इसके आजू**-**बाजू में जो बड़े शहर हैं, उसे कनैक्टिविटी में जोड़ने का काम करेंगे लेकिन अगर इसे जिलों में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टैंस भी बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: कोटा भी जा रहा है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मुझे पता नहीं है कि कोटा से दिल्ली का कितना डिस्टैंस हैं**?**

माननीय अध्यक्ष**: 500** किलोमीटर है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: करीब साढ़े तीन घंटे में कोटा चले जाएंगे। यह हाईवे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए वरदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के बाजू में जो डैवलपमेंट होता है, मैं सदन के मार्फत देश के एन्टरप्रेन्योर्स और उद्योगपतियों को कहना चाहता हूं जो लाजिस्टिक पार्क का काम करना चाहते हैं या स्मार्ट सिटी खड़ी करना चाहते हैं तो लैंड अवेलेबल है। गुड़गाँव, फरीदाबाद और ओखला, यहीं सब डेवलपमेंट करने के बजाय इस रोड पर अब लैंड एवलेवल है। यहां आएंगे तो जरूर फायदा होगा । एक कोशिश और कर रहे हैं, कल ही हमने इस पर वर्क शुरू किया है। जैसे रेलवे की इलेक्ट्रिक केबल होती है, वैसे दिल्ली से मुम्बई तक एक

इलेक्ट्रिक केबल दोनों साइड में रखकर 40 टन के ट्रक में क्या यह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन शुरू किया है। यह होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और हमारे देश में एक ट्रक ज्यादातर सवा दो सौ, ढाई सौ किलोमीटर चलता है। अमरीका में सात सौ किलोमीटर चलता है। अभी दिल्ली से मुम्बई जाने के लिए चार दिन लगते हैं, पर इस हाइवे के बनने के बाद यह केवल 28 घंटे में हो जाएगा। इससे डीजल फ्यूल की बचत होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इसके बाजू में स्मार्ट सिटी, लाजिस्टिक पार्क होगा, इससे नया डेवलपमेंट होगा और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में एक नया ग्रोथ इंजन हाइवे होगा और इसको जिले से कनेक्ट करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे।

श्री तपन कुमार गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदय**,** मैं असम से हूं। असम में अभी फोर लेन का काम चल रहा है। असम में नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक और नगांव से पटासपुर होकर जो काम चल रहा है**,** वह काम अभी धीमी गति से चल रहा है। जो एग्जिस्टिंग रोड है वह रोड अभी खराब हो गई है। इस रोड को मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या जिस कंपनी को यह काम मिला है वह कंपनी करेगी**?** अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। एजिटेशन हो रहा है। इतने खराब रास्ते को कौन मेंटेन करेगा**?** मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है**,** उसको कौन मेंटेन करेगा**?** जो धीमी गति से नेशनल हाइवे**,** फोर लेन का काम चल रहा है उस काम को स्पीड से करना चाहिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं सम्मानीय सदस्य को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, सभी सदस्यों के लिए मैं कहूंगा कि कोई भी काम अगर बंद है या कम स्पीड से चल रहा है तो अपने लेवल पर पहले आप यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यह क्यों नहीं चल रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? मेजोरिटी जगह पर लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करती है। असम के मुख्य मंत्री जी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है। हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। दो-दो, तीन-तीन साल मशीनरी खड़ी रहती है। कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब हो जाती है। बैंक में अकाउंट एन.पी.ए. हो जाता है, पर लैंड नहीं मिलती है। ये प्रोजेक्ट पूरा न होने का कारण क्या है, धीमी गति से चलने का कारण क्या है इसका

कारण आप ढूंढ़ लीजिए। आज मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं भी ले लूंगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब तक अगर खराब है, तो मैं डिपार्टमेंट को सूचना देकर सुधार दूंगा। पर आप वहां के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते सभी सम्मानीय सदस्य रोड के काम में क्यों दिक्कत है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से फौलोअप करें। लैंड एक्विजिशन अगर हमें जल्दी में दे देंगे तो आपको यह तकलीफ नहीं होगी। 80 परसेंट लैंड मिले बिना हम अप्वॉइंटमेंट डेट नहीं देते। थोड़ा आपका भी सहयोग मिलेगा ताकि जिलाधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एक्विजिशन का काम करते हैं, इसमें अगर गति आ जाएगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी और निश्चित रूप से अगर दिक्कतें आती हैं और आपके सहयोग से अगर वह सुलझायी जाती हैं तो काम की गति बढ़ सकती है।

(Q. 82)

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, when the Bill was passed in this august House, I remember, the hon. Minister has said that every State in the North-East will be provided with Sports University Campus. It is very embarrassing to see in the reply given by the Minister that there is no such proposal. Meghalaya is hosting the National Games in 2022. The State Government has sent a proposal for more than Rs.200 crore to the Central Government. May I know from the hon. Minister, through you, Sir, whether the Central Government would be able to assist the State Government in building the infrastructure like stadiums, artificial turf, and other things about which a proposal has been sent to the Sports Ministry of the Government of India?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, first of all, I would like to say that this National Sports University proposed to be established in Manipur is not confined to a region or the North-East, it is a national university of India. So, there cannot be a specific job reservation or reservation for the players or to establish campuses within the North Eastern Region. That is not true. But, at the same time, I have to admit that in terms of sports infrastructure, we need to do much more in the entire country as well as in the North-Eastern States.

Now, with regard to the National Games which are supposed be held in Meghalaya, the Chief Minister of Meghalaya had come to me and he had a detailed discussion with me. Yes, definitely, the Central Government will have to support the State Government in terms of creating better sports infrastructure. But the primary responsibility of creating sports infrastructure

lies with the State Government because as you all know, 'sports' is a State Subject.

Having said that, Sir, we are ready and after the Parliament Session, I will visit Meghalaya and have a discussion on it. I am planning to visit the Facility Centre in both Shillong and Tura, and along with that, we will engage corporate fraternity to come forward with a huge investment. After all, sports is a subject which is very dear to me and to all the hon. Members also.

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, normally, in the Budget, 10 per cent fund is allotted to the North-Eastern States. Ten per cent of the funds allotted to the Sports Ministry is supposed to go to the Ministry of DoNER and that money is normally used for the development of the North-Eastern Region by the Ministry of DoNER. May I know whether this ten per cent of unspent fund, in the name of notional fund, is being transferred to the DoNER Ministry or not?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, whatever budgetary allocation which comes to the Ministry, this is a well-known document, everybody can see it – how much percentage of that is spent in the North-Eastern Region is also well-known.

There is a National Sports Development Fund under which we get contribution from the corporate world and subsequently, we get a matching grant from the Government which we provide for various games like traditional games or Olympic games etc. and to the sports-persons also. There are various programmes which I can elaborate later on. But regarding ten per cent of funds which is to be spent on the development of the North-Eastern Region, I am in close coordination with the Minister of DoNER, we will work it out and

ensure that not less than ten per cent is spent for the North-Eastern Region including the State of Meghalaya.

KUMARI AGATHA K. SANGMA : The question that I was supposed to ask has already been asked by our hon. Member of Parliament, Shri Vincent Pala in the supplementary question.

So, I would just like to thank our hon. Sports Minister, Shri Kiren Rijiju for acknowledging the work that the State Government is doing and for talking about the Chief Minister's initiative as well and I thank Shri Vincent Pala for asking this question about the National Games of 2022.

(Q. 83)

श्री सुधीर गुप्ता :अध्यक्ष जी, धन्यवाद मुझे सत्रहवीं लोकसभा में और इस स्वर्णिम युग में, स्वर्णिम युग इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आजादी के बाद का **16**वीं लोक सभा का **5** साल का जो दौर था, यह स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम युग का यह दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है और मुझे ऐसे विकासशील मंत्री जी से, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश को चहुँमुखी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है। भारत के रोड निर्माण में ठप्प मंत्रालय **2014** में माननीय गडकरी को मिला था, जहां **2** किलोमीटर सड़के प्रतिदिन बना करती थीं, आज **30** किलोमीटर पर पहुंची हैं। मेरे पास में बैठे माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी का भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने ग्रामीण सड़कों का ऐसा जाल मेरे संसदीय क्षेत्र में बनाया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। **142** सड़क बनाकर अभिनव प्रयोग किया है, जो आज देश प्रगति की ओर जा रहा है, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

"बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो
मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो"

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री सुधीर गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़े प्रयोग किए हैं। बुद्धिस्ट सर्किट बनाया। उस सड़क के बिल्कुल किनारे बुद्धिस्ट सर्किट है, क्या आप वहां पर्यटन को प्रभावित करने के लिए कोई अन्य सुविधाएं जोड़ेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पर्यटन मंत्रालय नहीं है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको आप इस बारे में सूचना दीजिए। कनेक्टिविटी के लिए,

अगर वहां रोड पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो मैं मार्ग निकालूंगा, लेकिन यह विषय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है, वे जरूर आपको सहयोग करेंगे।

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, आपने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रूप में एक अभिनव सौगात दी है और यह अभिनव सौगात देश में स्वर्णिम युग की ओर परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ा कारण बनेगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो मुआवजे के प्रश्न पर किसानों के बीच में कहीं-कहीं परिस्थितियां आती हैं, उनमें क्या हम किसी अतिरिक्त रिलैक्सेशन का प्रयास करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, अतिरिक्त करने का सवाल ही नहीं उठता है । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजिशन में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पास रोज तीन-चार ऐसे डेलीगेशन्स आते हैं, जो बोलते हैं कि रोड के लिए हमारी लैण्ड एक्वायर कीजिए। लैण्ड मत लो, इसके लिए वे नहीं आते हैं। इसका कारण यही है कि मार्केट प्राइस से हम सवा गुना या डेढ़ गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं और केवल हमारा पैसा चेक से मिलता है। यह प्राइस तय करने का अधिकार मिनिस्ट्री का नहीं है, जो आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको लैण्ड एक्वीजिशन के लिए मार्केट कॉस्ट और उसके फार्मूले के आधार पर प्राइस तय करने का अधिकार है। जो कॉस्ट वे तय करेंगे, वह कॉस्ट हम देंगे। हमारी तरफ से एडिशनल प्राइस देने का न कानून में प्रॉविजन है, न ऐसा कुछ कर सकते हैं। कल ही मैंने मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे का रिव्यू किया है, अब आपके यहां मध्य प्रदेश में कोई प्राब्लम नहीं रह गई है। लगभग **60-70** प्रतिशत लैण्ड एक्वायर हो गई है। करीब **1300** किलोमीटर में से करीब **450** किलोमीटर के काम अवार्ड हो गए हैं, कुछ काम शुरू हो गए हैं और मेरा यह प्रयास है कि एक लाख करोड़ रुपये का यह एक्सप्रेस हाइवे, अगले पांच साल के बजाय, जब साढ़े तीन साल पूरे होंगे तो देश को यह एक्सप्रेस हाइवे समर्पित होगा। मैं डेली इस पर ध्यान देता हूं। आपका यह काम जल्दी से जल्दी होगा, अगर लैण्ड एक्वीजिशन की कोई प्राब्लम्स हों तो आप जिलाधिकारी और उसके बाद हायर अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्राब्लम हमारे विभाग की ओर से हो तो आप मेरे पास आइए।

श्री गजानन कीर्तिकर : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग - 66 दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकतम काम अधूरा पड़ा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत रायगढ़, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिले आते हैं। इन जिलों में रहने वाले लोग, गोवा और महाबलेश्वर तक जाने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में हैं, जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का आवागमन हेतु उपयोग करते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के समय से पूरा न होने के कारण प्रतिदिन लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं।

महोदय, सरकार ने इस राजमार्ग के अन्तर्गत महाराष्ट्र के इन्दापुर से कसाडी के लिए 1240 करोड़ रुपये, कसाडी से ओजरखाल के लिए 1027 करोड़ रुपये, ओज़रखाल से राजापुर के लिए 907 करोड़ रुपये और राजापुर से ज़ारप के लिए 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें किसानों की जमीन का मुआवजा भी शामिल था, किन्तु इनमें से कई किसानों को सरकार अब तक पूरा मुआवजा नहीं दे पाई है। अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के समय पर पूरा न होने के लिए कौन-कौन से ठेकेदार जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आवश्यक नहीं है कि आप पूरा पढ़ें। आपको जो प्रश्न पूछना है, वह पूछिए।

श्री गजानन कीर्तिकर: प्रश्न अभी लास्ट में आ रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न लास्ट में नहीं, पहले प्रश्न पूछा कीजिए।

श्री गजानन कीर्तिकर : मंत्री जी को मालूम है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जिम्मेदार कांट्रैक्टर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? इस परियोजना से संबंधित सभी किसानों को जमीन के मुआवजे देने का काम सरकार कब तक पूरा करेगी और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, मुंबई-गोवा बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है, जब महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार थी और केन्द्र में भी यूपीए की सरकार थी, तब वह काम एवार्ड किया गया था। भुजबल साहब उस समय पीडब्ल्यूडी

मिनिस्टर थे। आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया है, हम ने उसको टर्मिनेट किया। अभी तक मैंने इस प्रोजैक्ट के लिए **25** मीटिंग की हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को हाथ जोड़ कर लाया और उसको काम देकर, स्टेट बैंक के साथ बात करके, धीरे-धीरे मार्ग निकाल कर, वह भी काम लगभग पूरा हुआ है। तटकरे जी यहां बैठे हैं जो आपके यहां के सदस्य हैं। कितनी मीटिंग्स और तकलीफ हुई है, यह इनको पता है। यह उनके ही कार्यकाल का है, जो पाप मैं झेल रहा हूं। मैंने उसको पूरा सुलझा दिया है। वहां बहुत एक्सिडेंट्स होते हैं।

माननीय सदस्य जी, काम डिले होता है, उसका कारण है कि इस देश में काम करो, यह कहने के लिए कोई नहीं आता है। जो भी आता है, वह कहता है कि काम बंद करो। लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, कोर्ट स्टे दे देती है, एन्वायरन्मेंट-फॉरेस्ट वाले स्टे दे देते हैं। पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं मिलती है, बिजली के काम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें काफी समय चला जाता है। वैसे सिंधुदुर्ग से गोवा तक का पैकेज लगभग पूरा होते आया है और काफी पैकेज पूरा हुआ है। हम इस दिसम्बर के अंत तक इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सम्माननीय तटकरे जी बताएंगे कि जो उनके यहां फंसा हुआ रोड था, उसका काफी काम हो गया है, हाथी लगभग निकल गया है और पूंछ बाकी रह गई है।

मेरा इतना ही कहना है कि इस हाईवे के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स आए, वे कान्ट्रैक्टर के कारण नहीं आए। अगर हम कान्ट्रैक्टर को जमीन नहीं देंगे तो वह मशीन लेकर खड़ा रहेगा। अब लगभग सभी प्रॉब्लम्स निपटाए गए हैं। आप लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, आप बताइए कि किसकी प्रॉब्लम है**? 100** प्रतिशत प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी गई हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसे ले आइए, मैं उसे सुलझा दूंगा। दिसम्बर अंत तक मुंबई-गोवा का काम पूरा होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, हमें यह अधिकार दीजिए। आप हमारा अधिकार नहीं छीनें।...(व्यवधान)

(Q. 84 & 89)

KUMARI RAMYA HARIDAS : Sir, there was a proposal from the Kerala Government to construct airstrips at Wayanad, Idukki, Palakkad and some other tourist destinations and an Airport at Sabarimala, the famous pilgrimage centre. Kerala has a high density of population and very high vehicle population. As you know, there are not enough road and rail connectivity. So, my question is whether the Government of India will give financial assistance to construct airstrip to connect these tourist and pilgrimage destinations.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, I would like to inform the hon. Member that we have already operationalised 174 routes and 39 regional connectivity airports. All proposals that are received are considered. These depend on availability of land, concessions given by the State Governments and the Central Government. We have already 100 such proposals under consideration. The details of these 100 proposals are listed in the Annexure to the main Question that has been answered.

I would like to tell the hon. Member that we would be very happy to consider those additional proposals. But as I say, the airport construction work is undertaken in a collaborative effort. Many of these are State Governments' projects. Some of them are undertaken by the Airports Authority of India. Some of them are private-public partnership projects. In each of these cases, when an airport is established, private carriers will work out the viability in terms of the demand for traffic and in terms of the availability of other resources.

Both the Centre and the State Government give different kinds of concessions. The Central Government, for instance, gives a concession on aviation turbine fuel; the State Airport operators do not levy landing and parking charges. So, there are host of concessions which the State, Central Government and others provide. We will be happy to consider additional proposals, but at the end of the day, they will have to be based on viability and the assessment on whether this will generate the kind of traffic which is required.

KUMARI RAMYA HARIDAS : During the world war period, there were a large number of air-strips constructed for military purpose in States like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and many other parts of India. Does the Government have any proposal to revamp these air-strips under UDAN scheme?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member that we are looking at a very large number of such unserved and underserved air-strips. Several of these have been rehabilitated and there is a presumption that many of these exist. Some of these exist only in the record books. Meanwhile, there may have been vegetation or other developments there. But more than 100 of these have been identified. The answer to the Main Question in the annexure lists the approximate dates when these could be undertaken.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, मैं इसके लिए मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजस्थान के शेखावाटी अंचल के सीकर क्षेत्र से चुनकर आता हूं। सीकर ऐसा लोक सभा क्षेत्र है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है।

जहां के कई शहरों को देखने के लिए, हवेलियों को देखने के लिए देश-विदेश से अनेक यात्री आते हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, शाकंभरी और हर्षनाथ का पर्वत बहुत ही ऐतिहासिक स्थान हैं ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सैनिकों की दृष्टि से भी सीकर लोक सभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । पूरी सेना के लगभग एक लाख सैनिक हमारे तीन जिलों से हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सीकर के अंदर 'उड़ान योजना' के अंतर्गत हवाई पट्टी बनाने का विचार है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member that insofar as the 100 unserved or underserved air-strips identified are concerned, we have those in Bikaner, Jaisalmer, Kishangarh, Uttarlai and Kota. If additional demands were to be received- these will have to come from the State Government- we will be happy to consider these, again depending upon the availability of land and availability of infrastructure. As I said, the State Government, the Central Government and the Airports Authority of India will all pool our resources to examine each of these requests.

HON. SPEAKER: Shri A. Raja.

SHRI A. RAJA : Hon. Speaker, Sir, my request is that there is a Question in my name at S.N. 89; I think that this Question and Q. 89 are inter-connected.

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन **89** को क्लब कर दिया जाए ।

SHRI A. RAJA : I have two questions for the hon. Minister. First, the hon. Minister submitted before the House that they are looking for the viability of the air routes. Thereafter, they are giving the permission. Take the example of Coimbatore airport. It has come to my knowledge that for Kuala Lumpur-

Bangkok-Dubai route, applications have been pending for the past 10 years. The viability report was duly submitted by the officers after the due exercise. In spite of that, permission has not been granted for Coimbatore airport. My larger question under Q. 89 is that the hon. Minister says Rs. 25,000 crore is being spent as CAPEX but OPEX is silent. Between the capital expenditure and the operational expenditure, a number of air routes are inter-connected. I want to put a specific question to the hon. Minister. If the Ministry is spending Rs. 50,000 crore and if it is not able to connect the Coimbatore airport and other airports in spite of the applications pending before the authorities, what will be the operational expenditure? How is the Ministry going to meet it when it is not at all giving permission to the aircrafts?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The domestic carriers can fly between any two points in the country and the State of Tamil Nadu and all the other States are connected by a very large number of flights. Indian carriers have the operational freedom to fly from any Indian airport to other airports. The issue is about foreign carriers coming to India. That is determined by the bilateral air services agreements and that is determined by a number of considerations including the balance of concessions which are received and granted. Insofar as the specific issues are concerned, about a particular airport, we have a large number of representations.

For instance, the hon. Members from Madurai and other places want more foreign carriers to come. But the Government, in exercise of its options, looks at the bilateral Air Services Agreement. This has resulted in the

development of regional hubs. There are hubs developing in countries very close to India. They are not carrying passengers from our country, including the Southern States. These are all passengers for onward connections to the United States, Canada and other places. Our policy, therefore, has always been and is going to be, to ensure that our carriers get the maximum number of passengers. For that, they will have to induct wide-body aircraft, etc. But, we are happy being involved in negotiating and conducting bilateral exercises. I have already made it clear that once we reach the threshold specified under the bilateral Air Services Agreement – when they have utilised 100 per cent and we are at 80 per cent or above that – we will be willing to consider but in the process equitable and appropriate share must come to our airlines.

SHRIMATI HEMA MALINI : Though the Minister of Civil Aviation has explained quite a lot, I would like to ask him whether it is true that the success rate of UDAN, 'Ude Desh Ka Aam Nagrik' or the Regional Connectivity Scheme has been very low in the first two phases of its execution. I would also say that out of 440 odd Air routes allotted to 14 major and fledgling airlines under two phases, not more than 40 to 50 routes are operating regularly. If it is so, what measures are taken by the Government to achieve the utmost success rate in the upcoming phases of UDAN and also to see that cent per cent routes are operated regularly?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Members that the facts actually are the following: 174 routes have been operationalised, connecting 39 airports under the UDAN Scheme. There have been three

rounds of bidding. It is entirely possible, as has been the experience, that a particular air carrier bids and then finds it difficult to operate that. These are all private carriers. The Government cannot, through an Executive action, mandate a private carrier to carry traffic between the two points. These are private carriers. They will determine whether there is viability or not. Very often, as it happens in general case - somebody bids for a project and after having bid, they have second thought - when they see that it is not operational or their assessment on the kind of traffic that would be available has not been borne out.

DR. SHASHI THAROOR : You provide subsidy.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, we do provide subsidy. As I said in response to an earlier question, both the Central and the State Governments provide support. I can give you an example. One of the Chief Ministers of a State in the North East, whom I met two days ago, mentioned that he had provided support and this is envisaged under the rules that the carrier is to be provided viability gap funding. This is exactly provided for. I would like to tell the hon. Member that it is entirely possible - after receiving all these expressions of support, after receiving an assurance that the airport charges and other facilities and concessions will be provided – that the private operator backs off, in which case, we go into the second and the third round of bidding.

I am only ten days old into the job. If I may submit with due humility, the UDAN Scheme has done quite well. In fact, there is an increasing demand

from the hon. Members. I am absolutely sure that the original purpose, for which this Scheme was established, will be more than fully met.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, my question is related to Q. 89, which has been clubbed with Q. 84. A list has been submitted with regard to the modernisation of airports. I would like to draw your attention to the fact that Bagdogra Airport of West Bengal is the gateway to North Eastern India, the seven sister States. If you wish to go anywhere in the North Eastern region, you will have to use the Bagdogra Airport.

So, it is one of the most important Airports which is not in a good condition. Would you consider the proposal for an all-out modernisation of the Bagdogra Airport of West Bengal on priority?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The answer to Starred Question no. 89 clearly lists the development works which we have already done in the airports as also the expenditure which is likely to be met.

We are always willing to consider additional airports. But as I have said, the proposal has to come through a prescribed mode from the State Government. Then we have to look at what the expenditure will be entailed and accordingly, we will take a view on that. I agree with the hon. Member that various points in India are entry points. If you come in from the West and the North East, you have an entry point. I totally appreciate the geography and the strategic value of some of these. In an ideal world in which the resources are unlimited, one could think of modernising simultaneously a large number of air field. But as I have said, we would be very happy to receive the proposal for

Bagdogra Airport. I will be grateful to this. The State Government has to provide land measuring around hundred acres. The Airports Authority has already planned to execute this project with Rs. 800 crores expenditure. I think that should satisfy you. I have been updated on my facts, something that I value. I am only ten days old into the job. But my answer remains the same for Bagdogra as indeed for any other airport. It is the State Government that has to provide the land and then we will look at the viability and the funding required. Then we will see as to how to put that package together.

(Q. 85)

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने पूरा जवाब तो दिया है, लेकिन मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या देश की जनता के लिए पुन: वायु निगम अधिनियम चालू किया जा सकता है?

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1995 का अधिनियम उन्होंने समाप्त कर दिया है। क्या उसको चालू किया जा सकता है, जिससे देश की जनता से मनमाने तरीके से वसूला जा रहे किराए पर लगाम लगाई जा सके? …(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to inform the hon. Member …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिंदी में जवाब देंगे, तो ठीक रहेगा। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप इंटरप्रेटेशन लगाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको सप्लिमेंटरी प्रश्न का और अवसर मिलेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अनिल फिरोजिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हिंदी में जवाब दें। …(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष **1994** तक सरकार एयर-फेयर्स तय किया करती थी। उसके बाद एक नई नीति आई। अब ये जो प्राइवेट कैरियर्स हैं, वे खुद तय करते हैं कि दो प्वाइंट्स के बीच में कितना एयर-फेयर होना चाहिए।

महोदय, अगर हम देखें कि वर्ष **2010** में क्या एयर-फेयर्स थे और वर्ष **2019** में क्या एयर-फेयर्स हैं, हमने इसकी जांच की है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि देश के अंदर जो मेन ट्रंक-रूट्स हैं, जैसे दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता और बाकी जगह और जो इंटरनैशनल रूट्स हैं, अगर हम अप्रैल से लेकर पिछले चार महीनों को छोड़ दें, - अप्रैल में एक बड़े कैरियर ने ऑपरेशन

सीज़ कर दिया था - तो पिछले दस सालों में दाम नहीं बढ़े हैं। अगर दिल्ली-मुंबई का एवरेज फेयर **5,100** रुपये था, तो वह अभी भी उतना ही है। दिल्ली-लंदन और दिल्ली-एम्सटर्डेम और रिटर्न का फेयर कहीं पांच डॉलर बढ़ा है, कहीं कम हुआ है। ये एयर-फेयर्स सरकार तय नहीं करती है। ये एयर-फेयर्स प्राइवेट कैरियर्स खुद डिटरमिन करते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि एयर कैरियर जो दाम तय करे, वह उसको अपनी वैबसाइट पर लगाए, ताकि एक्चुअल चार्ज किया गया फेयर वैबसाइट के फेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए यह आर्बिट्रेरी शब्द इस्तेमाल करना, Hon. Member may have some reason but this is based on market condition. अगर चार कैरियर एक रूट में जा रहे हैं, वे एक-दूसरे के साथ कॉम्पटीशन करेंगे और जो कॉम्पेटेटिव रूट होगा, इसी कारण एयर लाइंस बहुत थिन मार्जिंस पर ऑपरेट करती है और उनकी अन्य समस्याएं होती हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई सप्लीमेंट्री हो तो पूछें। यदि नहीं है तो जरूरत नहीं है।

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की भी मंशा है कि आम आदमी को भी हवाई यात्राओं का लाभ मिले। क्या सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाएगी?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि दाम कम करने के लिए या रेट कम करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी?

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं ऑनरेबल मैम्बर को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कंज्यूमर हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको जितने कम एयर फेयर पर ट्रेवल करने की सुविधा दी जाए, उतना ही अच्छा है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिछले बीस साल का, मैंने कल शाम को अपने अधिकारियों के साथ बैठकर कम्पेयर किया कि वर्ष **2019** के जो फेयर हैं और पिछले एक साल को साथ लेकर, पिछले दस साल, पिछले बीस साल के कम्पेयर किए हैं तो बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, लेकिर एयर फेयर खास नहीं बढ़ा है । इसलिए प्रधान

मंत्री जी का जो ड्रीम है, जो उन्होंने कहा है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर है, we will support that and we will operationalise that.

श्री दिलीप शइकीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न संख्या 85 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि सबको हवाई उड़ानों में भागीदार बनाए। उड़ान, जो योजना भारत सरकार चला रही है, उसमें नॉर्थ-ईस्ट को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिल रहा है।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त किए जाने के बाद प्राइवेट हवाई कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण हवाई किराया लगातार बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधा सवाल पूछें।

श्री दिलीप शइकीया: मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई प्रणाली अथवा नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे कि सभी रूटों पर सरकार द्वारा हवाई कंपनियों के खर्च के आधार पर किराया सुनिश्चित किया जाए, जैसे भारतीय रेलवे करता है? अगर कोई भी कंपनी तय किराये से ऊपर किराया वसूलती है तो उस पर सख्त कानून का प्रावधान तय हो सके, जिससे इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उपभोक्ताओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष : बस कीजिए, बहुत अच्छा है। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, I would like to inform the hon. Member that the two situations are not analogous. The Indian Railways is a public sector service provider whereas the airlines are operating in the private sector.

Secondly, my officials in the DGCA sit every month with the airlines and review the air fares being charged. I can assure the hon. Member that those discussions invariably result in effective monitoring. In April this year, one large carrier ceased operations. That is why, there was a spurt in air fares but

it has come back to normal. When that carrier ceased operations, there were 540 aircraft flying. Today, we have more than 516 in the air and we are adding 20 aircraft every month. As we transit from our present situation to a five trillion dollar economy and as the per capita income increases, the demand for air travel will increase. Air travel has been increasing at something like 16 to 17 per cent per year. I expect this growth to take place. With this result, air fares will also benefit and the consumers will also benefit.

SHRI PINAKI MISRA : Hon. Speaker, Sir, I am deeply grateful to you. This is a very important issue. Two years back, when the Delhi-Chandigarh highway was shut down because of riots, fares went up, on 30 minute flight, up to Rs.90,000. Recently, Odisha was hit by Fani cyclone and the air fares went up to Rs.60,000 to Rs.65,000.

The hon. Minister is a very dynamic Minister and he holds the charge of a very important Ministry. Kindly consider that in these peril times there should be an imperilled route where for a week or a fortnight there should be a higher bandwidth beyond which you cannot charge and there cannot be constant private profiteering during difficult times.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to respond to the very specific and a very necessary question that the hon. Member has asked.

Hon. Speaker, Sir, airlines set their fares in different segments. There are segments, for instance, where the lowest fare is Rs. 5000 and the highest fare is Rs. 45,000/-. Now invariably what happens is that if you are following the APAC system, you will have a situation where people will buy the Rs. 5000

fare in advance. Now, in the kind of *sui generis* or the kind of situation which the hon. Member mentioned where there is, let us say, a civil disturbance on the ground and there are only a limited number of flights, then there is suddenly a demand for those seats and because the segments have been utilised, people will go and buy the most expensive seat. Now, whether that is profiteering or is provided for in the system is a different matter. But I will tell the hon. Member …(*Interruptions*) Can I complete my answer? …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Hon. Minister, are you trying to justify it? …(*Interruptions*)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am not trying to justify anything. I am first trying to explain the system as it operates and then I am going to tell you what we can do. …(*Interruptions*) I can explain to the hon. Members, especially those from across the bench, if they can curb their enthusiasm, we can always find a way out of the most difficult situation. We can sit down with the carriers and tell them that in specific situations where there is a cyclone or a natural calamity, or there is a man-made situation …(*Interruptions*) if you would allow me to complete, then I might actually be able to satisfy you and I might be able to give you what you are asking for. But if there is disruption …(*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : There is no disruption …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Rajiv Pratap Rudy.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: If you were to fix a ceiling, my apprehension is that instead of the lowest fares being done what will happen …(*Interruptions*)

my apprehension is that what my friends are asking for will be totally counter-productive. You will end up paying higher fares because if you fix a cap, if you fix a higher ceiling, then people will not take advantage of the lower ones and they will go for higher fares and it will be counter-productive. You will end up in higher fares. So, best of luck! …(*Interruptions*) If you fix a higher ceiling, then there is always a tendency for people to go for the higher ceiling. …(*Interruptions*) My view is …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the hon. Minister is misleading the House …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विषय उठा रहे हैं, …(व्यवधान)। सर, इसी प्रकार के शोर-शराबे में सरकार ने पहले भी उत्तर दिया था और जो प्रश्न में उत्तर दिया गया है, इसमें ब्रैकेट की चर्चा की गई है और मूलत: यह बात बिल्कुल सही है कि हवाई कंपनियाँ अपने हिसाब से अपना दाम रखती हैं। जो प्रश्न आया और जो उत्तर दिया गया है, इस प्रकार से इसकी चर्चा पूरी नहीं की जा सकती है।

महोदय, यह अपने-आप में एक बड़ा विषय है। भारतवर्ष में जहाँ कम्पाउण्डेड ग्रोथ रेट 10 फीसदी है और दूसरी तरफ एक एयरलाइन, जिसकी कैपेसिटी मार्केट में 20 प्रतिशत थी और क्षमा कीजिएगा, वर्ष 2003 में जब यह नीति लो कॉस्ट एयरलाइन की लाई गई, तो उस समय की सरकार में मैं मंत्री था।

12.00 hrs

यह नीति लाई गई जो उस समय से बढ़कर आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मंत्री जी हल्ला-गुल्ला में जवाब दे रहे हैं। डीजीसीए ने जो रास्ता बताया है, वह अपने में विवादपूर्ण है। क्योंकि जो ब्रैकेट बनाना है …(व्यवधान) एयरलाइन 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक रखेगी और

उस ब्रैकेट में आने के बाद सबसे बड़ा विषय है कि अगर 20 परसेंट मार्केट शेयर वाली कोई विमान कम्पनी बंद हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी एयरलाइंस पैसा बनाना शुरू कर देंगी। जब माननीय मंत्री जी एयर इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वह अपना दाम कम करे तो भला दूसरी एयरलाइंस को कैसे करेंगे? इसलिए नीतिगत रूप से यह गलत है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तदापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है । इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है । इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें भी तो कोई मामला उठाने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या है?

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप जानते हैं कि यह सरकार फौजों का नाम लेकर सत्ता में आयी है और सत्ता में आने के बाद ये फौजों के ऊपर अन्याय कर रही है। नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलती है, उसके ऊपर इन्होंने कर लगाना शुरू किया है । उनसे कर वसूला जा रहा है । मैं समझता हूं कि इससे हमारी फौजों का अपमान हो रहा है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 3, श्री रत्न लाल कटारिया।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री रतन लाल कटारिया।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 42/17/19]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 43/17/19]

(5) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 44/17/19]

12.02 ½ hrs

MOTION RE: FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to move:

> "That this House do agree with the First Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th June, 2019."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 26 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.03 hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): On behalf of Shri Ramesh Pokriyal 'Nishank', I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Scetion-2 dated 27.06.2019.

12.04 hrs

STATEMENT RE: CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ORDINANCE, 2019*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediately legislation by promulgation of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019).

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 45/17/19.

12.05 hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced....Contd.

(ii) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

12.06 hrs

STATEMENT RE: INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE, 2019** (No. 5 of 2019)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridanary, Part-II, Section 2, dated 27.6.2019.

** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 46/17/19.

12.07 hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced...Contd.

(iii) Dentists (Amendment) Bill, 2019*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.06.2019.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप लिस्ट पूरी होने के बाद बोलिएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, मैं किशनगंज से चुनकर आया हूं और मेरे क्षेत्र में कई नदियां हैं, जैसे महानंदा डोक, कनकई कोल, रेतुआ, मेंची, रमजान। इनकी वजह से पानी तो मिलता है, लेकिन तबाही भी बहुत होती है। यूपीए सरकार के वक्त महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई थी। लेकिन पिछले पांच सालों में इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। आपको बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि हर मानसून में फ्लड्स की वजह से हमारी हजारों एकड़ भूमि का नुकसान हो जाता है। कई स्कूल, मदरसे, ग्रेवयार्ड, मंदिर और मस्जिद भी ढह गए हैं।

मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इस महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया जाए, ताकि जो तबाही हुई है और हो रही है, उसको रोका जा सके।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभागृह का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से रिलेटेड लोकल रेलवे सेवा पर आकर्षित कराना चाहता हूं। लोकल रेलवे सेवा मेरे संसदीय क्षेत्र की लाइफ लाइन है, परंतु पिछले कुछ दिनों से इस सेवा में किसी न किसी तरह का व्यवधान प्रतिदिन देखने को मिलता है। कभी रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर हो जाता है, कभी पैन्टोग्राफ फेल्योर हो जाता है, तो कभी सिग्नल यंत्रणा में तांत्रिकी खराबी हो जाती है। खासकर ठंड और बारिश में रेलवे ट्रैक का बिगड़ना मानो एक आम बात हो चुकी है। बारिश में ट्रेनें रोज 10 से 15 मिनट लेट ही चलती हैं। सतत् रूप से लेट चलने वाली ट्रेनों के कारण लाखों लोगों का लेटमार्क लगता है। प्रतिदिन 42,50,000 यात्री मध्य रेलवे के सेन्ट्रल हार्बर और ट्रांस-हार्बर मार्ग पर यात्रा करते हैं।

रोजाना 1,772 लोकल सेवाएं इस उपनगरीय रेल लाइन पर चलती हैं। पिछले एक महीने से ट्रेनें लगभग रोज लेट हो रही हैं।

महोदय, हर रविवार को साल के 52 दिनों में मेगाब्लाक होता है। इसके बावजूद सब अर्बन रेलवे अपने नियमित समय पर नहीं चलती है।

मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि सब अर्बन रेलवे से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा जो समस्या है, वह इस सब अर्बन रेलवे की ही है। सप्ताह में पांच दिन इसका टाइम टेबल बिगड़ा रहता है।

अतः मेरे कुछ सुझाव हैं कि जो पानी की समस्या है और बारिश में जो ट्रेनें लेट होती हैं, तो जिन नालों की सफाई नहीं होती है, उनकी सफाई बारिश से पहले जल्द से जल्द की जानी चाहिए। बड़े हॉर्स पॉवर के पंप्स लगाने चाहिए। उसी के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में मुंबई-कल्याण रेलवे मार्ग पर यातायात जब भी बाधित हो, तभी कल्याण से कसारा और कल्याण से कर्ज़ट जाने वाले मार्ग के यातायात को निरंतर जारी रखने के लिए कर्ज़ट-कसारा मार्ग पर ज्यादा लोकल ट्रेन्स उपलब्ध रखें। ...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। महोदय, मैं बिहार के पूर्णिया जिले से आता हूँ, जो पटना से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है। वहां पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापित करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इलाके के गरीब लोगों को केस लड़ने के लिए साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी न तय करनी पड़े। पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच खुल जाने से वहां पर मुकदमा लड़ने वाले लोगों एवं अधिवक्ताओं को आसानी होगी। वहां पर आस-पास के जो परिमण्डल्स हैं, पूर्णिया के साथ-साथ कोसी परिमण्डल और भागलपुर परिमण्डल के लोगों के लिए भी यह लाभदायक होगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को निर्देश दें कि पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो। हम आपके माध्यम से इस बारे में कानून मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी एवं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Speaker, Sir, I request the Government, through this august House, to kindly take urgent steps to stop the unethical practice of withholding the certificates of students by educational institutions. Most students avail the facility of educational loans for paying their fees. Due to various bank formalities, the promised loan amount is not sanctioned in time of their admission by which time the students will have to join the course. Unable to pay the fees, the students who might want to discontinue the course are put through more trials owing to the fact that the educational institutions refuse to return their certificates and they are not able to join another institution. It should be noted that there is an existing Delhi High Court order dated July 20, 2011 which states that educational institutions should not withhold the certificates of students, but only verify it at the time of admission for its credibility. Lakhs of students in the country are now trapped in this malpractice of educational institutions thus preventing them from pursuing a future of their choice. If the banks sanction educational loans in a time-bound manner, exploitation of the students by educational institutions can be stopped.

Therefore, I request the Government to kindly take urgent steps to stop the unethical practice of the banks and educational institutions in exploiting the students in this manner.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. संजय जायसवाल एवं एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, Sir, this House has already been exercised over the death of children in the S.K. Medical College and Hospital, Muzaffarpur. The death toll has touched 150. Though the Health Minister went there, so far, he has not made any statement in this House on the reason of death of many children.

Now, new facts have come to light about the Central Government-run Kalawati Saran Children's Hospital, which is a super-speciality hospital in Delhi. It is reported that in six years over 6,000 child deaths were reported at Kalawati Hospital which is a referral hospital for children from all over India. The most common cause of death at the hospital include premature births, respiratory infections, septicaemia and other infections and 50 per cent of the deaths are reported in the first 48 hours of admission, which indicates a serious condition of the people. The infrastructure in the Kalawati Saran Hospital are inadequate to meet the demands of the patients. In this case, I think the Government of India can take a lesson from West Bengal, where the Government under Mamata Banerjee have set up a large number of SNCUs and have brought down the number of child deaths drastically and have also brought down MMR drastically.

The Government should make efforts to improve the facilities in the Central Government-run Hospital in Delhi and take steps throughout the country to reduce child deaths due to inadequate facilities.

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब एवं श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुर्गा दास डी.डी. उइके (बैतूल): परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, सादर अभिवादन। मैं आपके माध्यम से लोक सभा में प्रथम बार भावाभिव्यक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों व युवा साथियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनकी कृपा से यह पावन अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा से यह मार्ग प्रशस्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक हित के मुद्दे को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैतूल हरदा हरसूद लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जनजाति बहुल जिला है। बैतूल जिले को भारत माता की हृदय स्थली भी कहा जाता है। यह जिला कभी सघन वनों से आच्छादित था। इमारती लकड़ियों, वन औषधियों एवं वन उपजों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी भाइयों और बहनों का आर्थिक जीवन इन्हीं पर आश्रित रहा है। किन्तु जिस निर्ममता और बर्बरतापूर्वक वनों की कटाई हुई है, वन सम्पदा को भारी क्षति पहुंचाई गई है, उसके कारण क्षेत्र में प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। आदिवासी समाज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। मैं **10** वर्षों तक मेरे लोक सभा क्षेत्र में शासकीय, अशासकीय स्तर पर वनों की कटाई पर रोक लगाने हेतु विनम्र अनुरोध करता हूँ, ताकि प्राकृतिक रूप से वनों का संरक्षण अभिवर्धन हो सके।

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, साथ ही साथ इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र बदायूं का दु:ख व्यक्त कर रही हूँ। आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी बदायूं के लोगों को सीधे-सीधे लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग की सुविधा नहीं मिल पाई है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या बदायूं को लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि है, तो उसके बारे में कृपा अवगत कराएं। यदि नहीं है, तो उस पर विचार करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं बदायूं लोक सभा क्षेत्र के गुन्नौर विधान सभा के अंतर्गत बबराला स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 14320 व 14321 महाकाल एक्सप्रेस का ठहराव चाहती हूँ, जिससे वहाँ की जनता लाभान्वित हो सके।

अंत में, मैं लोक सभा बदायूं की समस्त सम्मानित जनता का व अपने शुभचिंतकों का इस संसद भवन से बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती अपरूपा पोद्दार। अनुपस्थित।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और एल एंड डीओ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सीलिंग की जो समस्या चल रही थी, उसका एक हिस्सा ठीक हुआ है। लाजपत नगर के क्षेत्र में जहाँ पर लीज डीड एग्जिक्यूट की है, 40-50 साल पुरानी प्रॉब्लम है, आज़ादी के बाद जो रिफ्यूजीज आए थे, उनके क्षेत्रों की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके अलावा अन्य प्रॉब्लम्स बहुत अधिक हैं, खास तौर पर लोकल शॉपिंग सेंटर्स को लेकर। मेरे यहाँ पर 20 से ऊपर लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर जमीन कमर्शियल है, दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर एक जमाने में शॉप-कम-रेजिडेंशियल एरिया होता था। अब सब ने थोड़ा पैसा कमा लिया तो ऊपर रहना बंद कर दिया और मकान अलग बना लिए। उस क्षेत्र को रेजिडेंशियल ट्रीट करके सीलिंग की व्यवस्था, जब एफ.ए.आर. जो

बाकी इलाके रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर बढ़ा दिया गया, लेकिन लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर एफ.ए.आर. को नहीं बढ़ाया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एनकरेज किया जा रहा है कि रेजिडेंशियल इलाकों में आप कमर्शियल एक्टिविटी करें और कमर्शियल इलाकों को इतना महँगा कर दें कि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी न हो पाए। इसी के रहते एमपीडी को जब ठीक किया जा रहा है, जब उसमें अमेंडमेंट लाए ला रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि इन सबकी चिंता करते हुए एफएआर को लोकल शॉपिंग सेन्टर्स के लिए बढ़ाया जाए । बेसमेंट्स अलाऊ करके व्यक्तियों को न बैठने दिया जाए, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर आदि को जो रखने की जो व्यवस्था है, वह अलाऊ की जाए, जो बाकी जगहों पर अलाउड है । कमर्शियल, रेजिडेंशियल के जो कन्वर्जन चार्जेज हैं, उन्हें पैरलल किया जाए और उसी के रहते जो ए,बी,सी कैटेगरी की कॉलोनीज हैं, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी तरीके से न हो, उसके लिए वहाँ पर रेट्स बढ़ाए जाएं, न कि बराबर किए जाएं। बाकी सब जगह पर कन्वर्जन चार्ज को बराबर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, 100 से अधिक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण वे प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं । मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730, जो खुटार-सिसिया120 किलोमीटर चौड़ीकरण होना है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731, जो पलिया से शाहजहांपुर के बीच बन रहा है, एक वर्ष पूर्व इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण इसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसका दुखद पहलू यह है, चूँकि प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, इसलिए सड़क की मरम्मत का काम भी रोक दिया गया है। मरम्मत का काम न होने के कारण वहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं । इसके कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक नई कार्य-विधि विकसित करें, जिसमें टेंडर आदि प्रक्रिया भले ही पूरी हो जाए, लेकिन जब तक सड़क का काम पूरी तरह से शुरू न हो जाए तब तक मरम्मत के कामों को न रोका जाए। सड़कों, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित मरम्मत की व्यवस्था की जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, Sir, I wish to draw the attention of this House to a very important topic. In December, 2018, the then Minister for Information and Broadcasting, Mr. Rathore said on the Floor of the House that the Government, from the years 2014 till December, 2018, had spent approximately Rs. 5,246 crores on advertising. This was only the Central Government's expenditure. It does not include public sector undertaking expenditure, which, I believe, forms the bulk of it. Given that this is the tax payers' money and what the PSUs are spending is also the tax payers' money, we need to have a better idea what the total advertising spending is. You can see, in 2014-15, it was Rs. 979 crores, which went up to about Rs. 1,300 crores in 2017-18. Five of the largest news media organisations in this country are either owned or indirectly debted to one person. He is the richest Indian. He is an associate who is on the Board of the largest telecom venture. News Nation, India TV, News 24, Network 18, NDTV are all owned….(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri B. Manickam Tagore.

… (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Let me finish, Sir. We want to know as to what is the breakup of the adspend via media houses and if certain print media are being excluded. This is very important.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Respected, Speaker, Sir, I would like to draw your attention to water crisis in Tamil Nadu, particularly, in the Southern Part of Tamil Nadu. The Districts of Madurai and Virudhunagar are mostly affected. The major lapse of the State Government is that for the last eight years they are only encouraging the sand mafias to dig the rivers and ponds. The State Government has completely failed in water management.

Therefore, I request the Central Government to intervene and send a Central team to Tamil Nadu and help them in solving the water problem. Each village is without water. The water problem is a big problem in Tamil Nadu. Even the New York Times wrote a story on this problem. The Tamil Nadu State Government is just blind not to see what is happening there. I request the Central Government to send a team to solve this problem.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, धन्यवाद। एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम या इंसेफलाइटिस सिंड्रोम हम आज भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें यू.के. इंग्लिश बोलनी है या यू.एस. इंग्लिश बोलनी है। चमकी बुखार का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। कल राज्य सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि बच्चों का बुखार से मरना देश की **70** सालों में विफलताओं की एक बहुत बड़ी पहचान है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि जो पाँच वाइरोलॉजी सेन्टर्स बिहार में खुल रहे हैं और पटना में दो सेन्टर्स खुल रहे हैं। पटना में चमकी बुखार का प्रकोप नहीं होता है। बेतिया गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में है।

गोरखपुर में भी चमकी बुखार से बच्चे मरते हैं और मुज़फ्फरपुर में भी मरते हैं, पर इन दोनों के बीच जो पश्चिम चम्पारण जिला है, वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। वहां वाइरोलॉजी सेन्टर खोला जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपा करके यह सुनिश्चित करें कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ब्लड ग्लूकोमीटर हो और यह बता दिया जाए कि 10 पर्सेंट डेक्स्ट्रोस दवा चढ़ा देने से बच्चे मरने से बच सकते हैं क्योंकि बीमारी के बारे में तो हमें पता नहीं है।

दूसरा, इसका प्रचार कम से कम मार्च से गोरखपुर, चम्पारण और मुज़फ्फरपुर के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारों तरफ हो ताकि जिसके बच्चे को यह बुखार हो, वह डॉक्टर से मिले। अगर आप इतना करवा देंगे तो इससे देश को बहुत बड़ी मदद होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी. पी. जोशी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए और महान भारत के इस पार्लियामेंट से भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जाइका और किसी की भी फंडिंग अरुणाचल प्रदेश में दस-पन्द्रह सालों से नहीं हो रही है। यू.पी.ए. वन में मनमोहन सिंह साहब ने अरुणाचल प्रदेश को यह वादा किया था कि चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक से हम फण्ड्स नहीं दे पा रहे हैं, पर in lieu of this, एक अल्टरनेट फंडिंग हम अरुणाचल प्रदेश को देंगे।

स्पीकर साहब, इसमें आपका इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए कि आज अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हजारों स्कीम्स में वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग होनी है, वह चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस की वज़ह से हो नहीं पा रही है। मैं गवर्नमेंट-ऑफ-इंडिया से माँग करता हूं कि अगर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग नहीं हो पा रही है तो इसके अल्टरनेट के रूप में, in lieu of that, अरुणाचल प्रदेश को अलग स्कीम्स सैंक्शन की जाए, ताकि अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। मैं यही माँग करता हूं।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram is one of the premier institutions for providing cardiology, neurology, and neurosurgery services. A lot of patients from every part of Kerala are going there for treatment. But, unfortunately, Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is not implemented in that institution. This is a public institution. The Kerala Government has also complained about this.

So, I urge upon the Health Ministry to implement this Scheme in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट अदूर प्रकाश और एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर बात मेरी कंस्टीट्युन्सी दादरा और नागर हवेली के बारे में उठाना चाहता हूं।

सर, यह एक केन्द्रशासित प्रदेश है, जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है । वहां सारे के सारे अधिकार प्रशासन के पास और प्रशासन के अधिकारियों के पास हैं । वहां के लोगों की काफी पुरानी और स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वहां पर लेजिस्लेचर बनाया जाए, वहां पर विधान सभा गठित की जाए। यह बहुत पुरानी माँग है।

सर, वर्ष **2014** में महामहिम उप राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री की स्टैन्डिंग कमेटी ने वहां की विजिट की थी और उन्होंने पूरी जाँच की । जाँच के बाद उन्होंने यह पाया कि यहां पर लेजिस्लेचर दिया जा सकता है, विधान सभा दी जा सकती है । अभी भी वह प्रपोजल पेन्डिंग है। वह सारी रिपोर्ट राज्य सभा में टेबल हुई है। इसके लिए हम वहां पर पॉपुलेशन वाइज, रेवेन्यू वाइज वाएबल हैं। पूरे विश्व में भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, फिर हम क्यों वंचित हैं**?** हमारे

यहां क्यों नहीं है**?** मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस रिपोर्ट पर तुरन्त कार्रवाई करे और विधान सभा के गठन के लिए काम शुरू करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानव जीवन में भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष महत्व है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, जो कानपुर मंडल के अन्तर्गत आता है, जिसके अन्तर्गत छ: जनपद आते हैं, उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ दस जनपद, जो बुन्देलखण्ड और उसके आस-पास के हैं, वहां के लोग उस अस्पताल में आते हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन एम्स (गोरखपुर, रायबरेली और बीएचयू-वाराणसी) की स्थापना की गई है। उक्त स्थापित एम्स से उत्तर प्रदेश के मात्र पूर्वी क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी, जबकि यदि कानपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाया जाए तो लगभग 15 से अधिक जनपदों की जनता को उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अभी तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ और न ही स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा व पुराना मेडिकल कॉलेज है। यह कानपुर नगर एवं आस-पास के लगभग 15 से अधिक जनपदों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस महाविद्यालय में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, Chengannur and Kuttanad regions are in my Parliamentary Constituency and had suffered the worst in the aftermath of 2018 floods. Despite assurances from the Governments, the rebuilding initiatives are incomplete and Chengannur-

Kuttanad region needs a special package and master plan. The strengthening of river banks, support to agriculture, dairy sector, support to tourism sector, revamping of irrigation systems including construction and strengthening of padasekharam bunds, and potable water supply must assume priority.

I would urge the Government to establish a special central Government package with budgetary allocations made and institute a dedicated expert committee to monitor the progress and ensure completion of works in a time bound manner.

I would also like to request the Government of India to set up Kuttanad Development Authority to look after the development of Kuttanad and sort out the problems of people of Kuttanad from time to time.

Holy Pampa river also is in worst condition. I urge upon the Government to implement Pampa Action Plan immediately.

*__SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY):__ Hon.Speaker, Sir, at the outset I congratulate you for giving me the opportunity to speak during zero hour.

I would like to draw the attention of the union government that farmers in Bellary district grow Onion, Chilly, and other crops. I would like to request the Union government should take immediate steps to set up of cold storage units to encourage our farmers.

Another point I would like to mention that the river Tungabhadra has the capacity of 32.471 TMC of water storage. However due to siltation in the water storage capacity of the river has come down. About 48.88 TMC of water is of no use due to siltation. De-siltation work should be taken up without any delay. So it would be beneficial to the farmers.

Therefore, I urge upon the Union Government through you to take measures to de-silt the river Tungabhadra to increase the water storage and enable farmers to make utilize it. Thank you.

Jai Jawan, Jai Vigyan, Jai Kisan.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Sir, on 9th June, 2019, one elderly patient was brought to NRS hospital, Kolkata in critical condition. In spite of all the efforts, the patient could not be saved. The relatives of the patient attacked the junior doctor and two doctors are seriously injured. This incident has brought the issue of increasing violence against doctors and this kind of incidents are increasing all over the country. We must understand that, in spite of all the advances in the medical field, there are limitations to medical treatment. In spite of all efforts, it is not always possible to save the patient and probably, this was misinterpreted by the patient's relatives as negligence. In treating critical patients and operating the major and *supra*-major surgery, it carries the risk of complication, morbidity and mortality. Hence, there is a very thin line between inevitable complication and negligence.

It is also important to understand that doctors are also human beings and not healing angels. It is unacceptable and absurd to victimise a medical practitioner if a patient does not respond to the treatment. Violence against doctors is unacceptable and any such act should be made a punishable, non-bailable offence with imprisonment.

I congratulate the Health Minister, Dr. Harsh Vardhan Ji who has written letter to the Chief Ministers of all the States, asking them to bring legislation to protect the doctors and also to ensure that the law is implemented in States where such laws are already in place. He also circulated the copies of the draft Protection of Medical Service Persons and Medical Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss of Property) Act, 2017 to the

States. Today, 19 States have some legislation, legal provision, and many have promulgated the Ordinance. Since health is a State subject, I urge all the State Governments to strictly enforce the provision of special legislation to protect the medical community and to provide security to the hospitals. There should also be a Central Act to this effect.

Speaker, Sir, I appeal to you, let us have a detailed deliberation on this issue because the relation between doctor and patient is very crucial for the public health system. So, we must have deliberation on this in the form of a Short Duration Discussion.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी को डॉ. सुभाष रामराव भामरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय नए सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे शून्य काल में अपना जो विषय उठाना चाहते हैं, उसको संक्षिप्त में टेबल आफिस में दें और उसमें हल्की सी विषय वस्तु लिखें कि किस विषय पर आप शून्य काल उठाने जा रहे हैं। मैंने कल भी सभी माननीय नए सदस्यों को इजाजत दी थी। मैं आज भी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड बन गया है। इतने ज्यादा सदस्यों को पहली बार मौका मिल रहा है। आपको बधाई हो।...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बधाई हो।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। **...**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नए सदस्य।

…(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : देश में लगभग सभी एमपी पर यह बात लागू होती होगी कि जो बैंकिंग में ऋण लेने की प्रथा है, जो बैंकिंग में **डिस्ट्रिक्ट** इंडस्ट्रीज सेंटर के मार्फत जो बैंकेबल योजनाएं की एप्लीकेशंस होती हैं, वे एप्लीकेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि कागजात तैयार करने में भी बेने**फि**शियरी को बहुत टाइम लगता है।**…(**व्यवधान**)** उसके बाद जब वे बैंक में जाते हैं, तब बैंक बहुत समय के बाद न बोलते हुए कहती हैं कि आपको यह कर्ज नहीं दिया जाएगा। **…(**व्यवधान**)**

मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि हर लोग, जो डीआईजी है, डीआईसी के माध्यम से इतनी एप्लीकेशंस बैंक के कंसर्न में रहकर इतनी होनी चाहिए, जितने को बैंक लोन दे। इसमें बेनेफिशियरीज का भी कोई खर्च न हो। इसी वजह से …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले नए माननीय सदस्य बोलेंगे।

…(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : मैं इसलिए बोलता हूं कि हर जगह बैंकेबल योजनाएं होती हैं। बैंकेबल स्कीम के मुताबिक बैंक में ऋण लेने की प्रथा है। वैसे तो मैं धन्यवाद देश के लोक लाड़ले प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नए माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसके बाद आपको मौका देंगे।

…(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : जिन्होंने हर एक को बैंक में जाने का मौका दिया**।** …(**व्यवधान**)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव**।**

…(व्यवधान)

12.38 hrs

(*At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोगों को निकाल दीजिए। …(**व्यवधान**)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव।

…(व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस समय कैसे बोलूं**?** कुछ सुनाई तो दे। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** प्लीज अपनी**-**अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. आर.के. रंजन- उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity. …(*Interruptions*)

India's rate of unemployment doubled in the past two years, according to the *State of India's Environment (SoE) In Figures, 2019*. …(*Interruptions*) This has particularly affected the young graduates. …(*Interruptions*)

While unemployment remains high in both urban and rural India, job hunting is a bigger challenge for the young and educated youth. According to the report, the unemployment rate has gone up from 4 per cent to 7.6 per cent in the last two years. …(*Interruptions*) The World Bank says that India needs to create around 81,00,000 jobs per year to solve the problem of unemployment. …(*Interruptions*)

However, standing in 2019, India could definitely achieve the honour of 'unemployment capital' of the world. …(*Interruptions*) The common people of the country wants an account of Rs.3400 crore budget allocated to the Skill India Mission in the Union Budget 2018-2019.….(*Interruptions*)

Through you, Sir, I request the Government of India to solve the issue of unemployment in India. …(*Interruptions*)

Thank you, Sir.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं त्रिपुरा से आती हूं, यह नार्थ ईस्ट का छोटा सा स्टेट है। यह हमारे स्टेट का विषय है। हमारे स्टेट में एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। …(व्यवधान) दिल्ली से सिर्फ एक ही फ्लाइट है, जो सुबह पांच

बजकर पैंतालीस मिनट पर जाती है। हमको दिल्ली से डॉयरेक्ट फ्लाइट चाहिए। कोलकाता से त्रिपुरा के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से नागर उड्डयन मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूं। ...(व्यवधान) जल्द से जल्द दिल्ली से हमारे स्टेट के लिए एयर कनेक्टिविटी हो, कोलकाता से भी एयर कनेक्टिविटी जोड़ा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, इसके साथ-साथ मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय नीतीश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मुखिया से लोक सभा पहुंचाने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है। मैं बिहार के झंझारपुर से आता हूं। हमारे बिहार में पानी का बहुत संकट है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में जलसंकट दूर करने की कोशिश करें। कोशी, कमला, बलान नदियां नेपाल से आती हैं। वहां जल स्तर की बहुत कमी है। बच्चों को नहलाने और पानी पिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यह बहुत सारी बीमारियों की जड़ है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइब्ल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में 10 ऐसे एडीसी हैं। इस साल 23 जनवरी को एडीसी को और पावर और फण्ड देने के लिए कैबिनेट में डिसीजन हुआ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कब होगा और यह अभी कौन-सी स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि पीपरा में जो एडीसीज हैं, उनमें सिर्फ 28 सीट्स हैं। मैं उन सीट्स को 50 करने के लिए डिमांड करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रेबती त्रिपुरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. …(*Interruptions*)

I am a first-time Member of this House. I have to mention that in the past few days, in this House, every Member has been very supportive and encouraging, irrespective of his age, party and region. I feel very confident of the future of our country. …(*Interruptions*)

I am now raising an issue which matters to our national security. I am concerned about the changing political scenarios around the world. I understand that India started out as a non-aligned member, managing to stay consistent, moving either closer to the left at times or closer to the right at other times. Our hon. Prime Minister's efforts too are commendable. …(*Interruptions*)

There seems to be a dramatic shift in the West from where one would expect the least. The United Kingdom surprised us with Brexit and the United States continues to surprise us each and every day. Self-protectionism seems to be taking precedence over world leadership. It might be a blunder not to expect more of these changes in the near future which might be more dramatic in nature. I hope, we are prepared for all eventualities either in trade or on security. When I say security, I also mean the millions of India living abroad. …(*Interruptions*)

I understand that the Government cannot reveal the roadmap for each likely scenario, but I would request the Government to put in place a

mechanism to predict them and be prepared. I hope, we will not be caught off guard, like when America decided to withdraw our trade benefits or like when our immediate neighbours decided in the recent past to give priority to someone else over us. …(*Interruptions*)

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं, आपने एजर्नमेंट मोशन दिया और आप इस पर बोल भी चुके हैं। रक्षा मंत्री जी आए हैं, अगर अध्यक्ष जी अलाऊ करते हैं तो रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।…(व्यवधान) हम सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं। …(व्यवधान) वन रैंक वन पेंशन भी मोदी सरकार ने दी है। आपने खाली टोकन एमाउंट रखा था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब सीट पर बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

<u>12.47 hrs</u> At this stage Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने एक बार आपको व्यवस्था दी थी कि नए माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आपको मौका दिया जाएगा और आप वैल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है । यह अंतिम मौका होगा । मैंने जब आपको व्यवस्था दी थी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा । आप पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नया मैम्बर नहीं हूं, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। आप नए मैम्बर्स को एक बार नहीं सौ बार चांस दीजिए। हमने सारे मैम्बर्स, जिनका नाम बैलेट में है, की बात करने की मांग की है, वह भी आप नहीं दे रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाना अच्छा होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट है।

…(व्यवधान)

12.49 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Imposition of tax on disabled personnel of the Indian Armed Forces.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है कि अभी एक सीबीडीटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। 24 जून, 2019 में एक सर्कुलर जारी किया गया है, नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलने वाली थी, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। नि:शक्त फौजी, जो जोखिम उठाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं तो वे नौकरी छोड़कर सुपरएनुएशन के जरिए काम छोड़ देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पेंशन मिलेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण न देकर आप अपनी बात रखें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इस सरकार ने फौजियों की बात करते हुए चुनाव लड़ा था और अब वह सरकार नि:शक्त फौजियों पर टैक्स लागू कर रही है। यह बड़े दु:ख की बात है। उसके बाद यह सरकार कहती थी कि 'वन रैंक वन पैंशन' अभी देखा जा रहा है। 'वन रैंक फाइव पेंशन' ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये विषय आपने रख दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर जवाब मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सेन्ट्रल फोर्स को, जब उनका देहांत होता है, मौत होती है तो उनको शहीद की मर्यादा दी जाए। ये तीन-चार मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे नहीं हैं। फौजों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने एक नोटिस दिया था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप सेन्ट्रल फोर्स को शहीदों की मर्यादा दीजिए और 'वन रैंक वन पेंशन' के बदले 'वन रैंक फाइव पेंशन' मत कीजिए**...(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये दो-चार मुद्दे हैं। छोटी-सी बात करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप इसके बारे में निश्चित रूप से कहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री, एक सवाल पर जवाब दें। इनको दस सवाल उठाने की इजाजत नहीं है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रश्न उठाया है कि पेंशन बढ़ने के कारण उनके ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज किये गये हैं अपनी सेना के जवानों के ऊपर। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि डिफेंस प्रिपेरड्नस यानी रक्षा की तैयारियां और साथ ही साथ सेना के जवानों का इंट्रेस्ट यह हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है।

अध्यक्ष जी, मैं केवल किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं। सारा देश इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। 40 वर्षों तक हमारी सेना के जवान ओ.आर.ओ.पी. की मांग करते रहे, लेकिन बराबर उनको अंधेरे में रखा गया, बराबर उनको गुमराह किया गया। ...(व्यवधान) पहली बार यदि किसी सरकार ने इसे प्रभावी तरीके से लागू किया है तो हमारी सरकार ने लागू किया है। लेकिन जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है, हमारे संज्ञान में यह बात आयी है। इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आपकी इजाजत से, अगर आप कहेंगे तो मैं सदन को भी अवगत करा दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच दिनों से मैं आवेदन लगा रहा था, लेकिन आपने आज अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । यह आपकी कृपा है । छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दुर्ग शाखा के गोडाउन में रखे पी.डी.एस. का चावल जो गरीबों को दिया जाता है उसके 20 बोरों में कांच के मिश्रण पाये गये थे । खाद्य विभाग ने दबिश देकर इसको जब्त किया था और गोडाउन मैनेजर द्वारा दो महाशय रखकर उसको साफ कराया जा रहा था जबकि अधिकारियों के मुताबिक वह चावल पूरा साफ नहीं हो सकता । उसे नष्ट किया जाना आवश्यक है । माननीय अध्यक्ष जी, इस अनियमितता की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विजय बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं उनके लिए ताली बजाइए ।

सुश्री दिया कुमारी : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द व राजस्थान प्रदेश के लोगों की एक बहुत समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है । यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । इस लोक सभा क्षेत्र में मावली से मारवाड़ को जोड़ने के लिए जो रेलमार्ग है वह भारत का सबसे पुराना रेलमार्ग है । हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान देकर वर्ष **2017-18** के बजट में इस रेलमार्ग के गेज़ कन्वर्जन का काम स्वीकृत भी किया था तथा इसके लिए **1600** करोड़ रुपये का बजट भी सैंक्शन किया गया था, जिसको अगले वर्ष बढ़ाकर **2600** करोड़ रुपये कर दिया गया ।

महोदय, इस कार्य के लिए डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर आया, लेकिन यह रेलमार्ग टॉडगढ़ वन क्षेत्र से आया । यह रेलमार्ग टॉडगढ़ वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए डी.पी.आर.

को बनाने के लिए वन विभाग की ओर से आपत्तियां उठाई जा रही हैं, इस कारण यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस समय तो यह कार्य बिल्कुल ही रुका हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे कि राजसमंद ही नहीं, बल्कि भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित आधे राजस्थान राज्य के यात्रियों और लाखों की संख्या में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Speaker, Sir, I thank you very much for this opportunity.

My Nagapattinam Parliamentary Constituency is a very backward and undeveloped constituency in Tamil Nadu. The main source of income for the people is fishing and agriculture, and they are totally dependent upon agriculture for their livelihood where around 15 lakh tonnes of paddy are being produced every year.

The Government of India had earlier permitted the Vedanta Group and ONGC to dig deep wells for the hydrocarbon project, which created a lot of resentment among the people and farmers. Recently, the Government of India, again permitted digging of another 104 deep wells for the same project. This has further created a lot of resentment among the farmers because it has totally spoilt not only the fertile land, but also the drinking water.

Hence, I would like to urge upon the Union Government, through this august House, to take necessary action to stop the ongoing project in the interest of the people. Thank you, Sir.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, I would like to associate with the issue raised by Shri M. Selvaraj.

माननीय अध्यक्ष : श्री सु. थिरुनवुक्करासर को श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्य, एसोसिएट करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखकर टेबल ऑफिसर को दे दिया करें।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहां का सदस्य हूँ और आपने आज मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है।

मैं जिस कांस्टिट्यूएंसी (खडूरसाहिब) से आता हूँ, उसका पाकिस्तान के साथ लगा हुआ सबसे लम्बा बोर्डर है। वर्ष1965 और वर्ष 1971 की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ था। पंजाब में जो 22 साल टेरेरिज्म रहा, उसमें इस क्षेत्र के करीब 11 हजार लोगों ने अपनी जान गवाईं, जिनमें मेरे पिताजी, जो उस टाइम मौजूदा एम.एल.ए. थे, उन्होंने भी शहादत दी थी। मुझ पर चार बार टैरेरिस्ट अटैक हुआ। मेरे शरीर पर आज भी गोलियों के निशान है।

मैं आपसे विनती करता हूँ, कि आप मुझे कृपया दो मिनट दे दीजिए, आप बेल न बजाए। हमारी मुश्किलें दूसरे क्षेत्रों से विपरीत हैं। आज पंजाब में जो पहले सिख मास्टर श्री गुरु नानक देव जी है, उनका हम नवम्बर में 550वां जन्मदिन मनाने जा रहे है। जो समिति है, मैं उसका सदस्य होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि 1 नवम्बर को यह कार्य होगा और सभी पार्टीज के सदस्यों का एक डेलिगेशन उसमें जरूर शामिल हो। एक करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, वह दो किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हिन्दुस्तान सरकार ने काफी हिम्मत की है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, मगर उसकी स्पीड कम है। उसे तेजी के साथ बनाना है, ताकि यह नवम्बर तक शुरू हो

जाए। मैं विनती करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ब्यास रिवर है, जब भी पानी का लेवल बढ़ जाता है। वहां कुछ फ्लड वगैरह आ जाती है, तो बहुत ज्यादा जमीन को काट के ले जाती है, जिससे करोड़ों रुपया हर साल उसके मुआवजे में देना पड़ता है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसके साइड्स पर धुसी बांध बनाया जाए जिससे जमीन का बचाव हो सके।

13.00 hrs

सर, बस एक प्वाइंट रह गया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं।...(व्यवधान) सर, मुझे वहां पर अपने लोगों के लिए इम्प्लॉयमेंट चाहिए। मेरा कद छ: फुट है, जब मैं उन लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं बौना लगता हूं। वहां सात-सात फुट के लोग हैं। मेरी मांग है कि आप तरनतारन में एक आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर खुलवाइए । ...(व्यवधान) देश का जो दुश्मन आंख उठाकर देखेगा, वे उससे ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि नया सदस्य होने के बाद भी मुझे पहली बार सदन में लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया है । मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, बिहार में है । नॉर्थ-ईस्ट रेलवे लाइन कटिहार शहर के बीचोबीच गोशाला रेलवे समपार फाटक उपरिगामी पुल का निर्माण विगत कई वर्षों से लम्बित है। यह रेल लाइन कटिहार शहर के मध्य से गुजरती है और रेलवे लाइन पर अत्यधिक रेलगाड़ियों का आवागमन होने के कारण गोशाला समपार फाटक पर आये दिन शहर की जनता को घण्टों जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए गोशाला समपार फाटक के ऊपरि पुल का निर्माण नितान्त आवश्यक है और इसका निर्माण होना चाहिए।

अत: सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि जनहित में गोशाला समपार फाटक ऊपरि पुल का निर्माण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कराई जाए । धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise a matter of great public importance through this August House in the presence of the Minister for Heavy Industries and Public Enterprises for immediate action.

Hindustan Newsprint Limited(HNL), Velloor, which is coming under my constituency and which was adjudged as a Mini Navaratna earlier, is now listed for strategic sale by the Government of India. The company was started in 1983 as a PSU under the Department of Heavy Industries, Government of India as a Wholly Owned Subsidiary of Hindustan Paper Corporation, Kolkata.

Ever since, its inception, modernization or upgradation of the plant was not done. In spite of this fact, its capacity utilization was in the range of 110 to 120 per cent and the company has repaid to the Government of India more than its investment by way of dividend, taxes, excise duty, etc.

However, the plant was closed in the year 2018 for about two and a half months as it could not comply with certain norms prescribed by the Central Pollution Board. Now, the HNL is facing financial crisis due to shortage of working capital. More than thousand employees/workers are denied of their salaries and wages for the last eight months continuously and the company is on the verge of closure due to financial crisis. Non-payment of wages to the work force has affected thousands of families directly and indirectly and the situation is very grave.

Sir, I would like to urge upon the hon. Minister to kindly intervene in this matter and find an amicable solution.

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं राजनंदगाँव, छत्तीसगढ़ से आता हूं, जो कला, संगीत और साहित्य की त्रिवेणी का संगम है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं उठाना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ में अभी विगत छ: दिन पहले जो घटना हुई, वह हम सबके लिए दुखद है। वहां चरईडांड नाम का एक छोटा सा ग्राम है, दुलदुला थाना और जसपुर जिला है, वहां के मोहनराम निराला, जो एक सामान्य कृषक थे और कृषकों के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। वास्तव में उनका पत्र मार्मिक है, पढ़ने लायक है, जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पत्र टेबल कर देना।

श्री संतोष पान्डेय : अध्यक्ष जी, मेरा केवल यही कहना है कि वहां जब सरकार चुनकर आई, उन्होंने तीन चार वायदे किए थे। छत्तीसगढ़ में उनके सभी नेता, प्रवक्ता बैठकर, गंगाजल लेकर कहते थे कि बिजली बिल हाफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, मदिरालय बन्द करेंगे, किन्तु इन्होंने जो आरोप लगाया है, वह सरकार के ऊपर लगाया है कि मेरा के.सी.सी., इलाहाबाद बैंक, कुनकुरी का है। शासन से के.सी.सी. लोन माफ हो जाएगा, तब इसे बैंक से लाकर घर में दे देना। डॉक्टर साहब को लाकर मेरा पी.एम. करा देना। इस प्रकार से उन्होंने शासन को लिखा है। उन्होंने थानेदार और अपने मित्र को लिखा है कि मेरी पत्नी चंदाकर देविका की चंदा करके मदद करना। उन्होंने चंदा करके मदद की भी बात की है। मैं महोदय जी से निवेदन करता हूं कि 'बुभुक्षित:, किं न करोति पापं,' जब व्यक्ति परेशान होता है, भूखा होता है, तब इस प्रकार की घटना होती है। उनकी अपेक्षाएं बढ़ाई गईं, उनको लालच दिया गया, उनको सब्जबाग दिखाया गया।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आज उनकी सहायता भी की जाए और वह सरकार इस प्रकार की लालच और सब्जबाग दिखाना बंद करे।...(व्यवधान) अगर किए हैं तो उसकी पूर्ति करे। यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संतोष पांडेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलें, लेकिन मोबाईल चालू न करें। सदन में मोबाइल चालू नहीं होता है।

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): As you know, the fisheries sector contributes a major part to the economy through substantial employment generation, nutrition and food security. The coastal area of Kerala which extends to 580 km forms 10 per cent of India's total coastline. The livelihood of the people living in coastal areas of Kerala totally depends on the sea.

Nowadays, coastal areas in Kerala are suffering from rising sea level and coastal erosion etc. which turns out to be a threat to the entire coastal area. The Department of Fisheries in Kerala is trying to shift the coastal people and fishermen to a safer place. But this is neither a permanent nor easy process nor a solution as those people maintain their special relationship with the sea and environment.

The construction of sea wall is extremely important and can prevent the problem to a certain extent. The major coastal belt of 82 km belongs to Alappuzha which is my Parliament constituency. The construction and maintenance of sea wall and groynes in the coastal area can be completed only with Central funding. After the 13th Finance Commission, it never received Central funding during the last ten years. So, I request the Government through you to take immediate steps in this regard.

माननीय अध्यक्ष : श्री उमेश यादव, उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में, इसे किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसका बुलेटिन सदन की तरफ से नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, बुलेटिन इस संदर्भ में जारी करें कि इसका कैसे उपयोग किया जाना है । आईपैड का उपयोग किया जाना है और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाना है, यह बुलेटिन में आ जाए ।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में समय दिया। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार की अतिसंवेदनशील समस्या को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सुपौल, कोशी प्रमंडल का अति पिछड़ा क्षेत्र है, जिसे कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि का सामना करना पड़ता है।

महोदय, वर्ष 2008 में इस जिले में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी जिसमें राघोपुर से फारबिसगंज तक रेल लाइन तथा पुल ध्वस्त हो गया था और बाढ़ में बह गया था, किन्तु अभी तक वहां रेल का परिचालन नहीं हो सका है। सहरसा से राघोपुर वर्ष 2016 में ही बड़ी लाइन आमान परिवर्तन के लिए बंद, माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से अभी हाल में सहरसा से गढ़बरूआरी मात्र 20 किलोमीटर ही रेल परिचालन शुरू हो सका है। किन्तु अभी गढ़बरूआरी से फारबिसगंज वाया सरायगढ़ के आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनहित में पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा से फारबिसगंज रेल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि उस पर रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो सके। जिससे क्षेत्र की जनता को रेल सुविधा प्राप्त हो सके और यह क्षेत्र भी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि अति आवश्यक हो, तभी चेयर के पास आएं, नहीं तो सभी आवश्यक सूचनाएं टेबल पर दें।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मैं झारखंड राज्य से आती हूं और झारखंड राज्य के कोडरमा, हजारीबाग, गिरीडिह जिला सहित सम्पूर्ण झारखंड के सभी जिलों में पेयजल के गंभीर संकट की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। झारखंड राज्य के लगभग सभी जिलों में भूजल स्तर में काफी गिरावट आई है। हैंड पम्प तथा परम्परागत कुएं से भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आम लोगों के समक्ष पीने योग्य पानी की किल्लत उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भरपूर प्रयास कर रही है, फिर भी पेयजल के विकराल संकट के सामने संसाधनों को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही कई जिलों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करती हूं कि झारखंड राज्य में भूजल स्तर में आई गिरावट के चलते उत्पन्न पेयजल संकट से उभरने में राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान कर राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपचारात्मक कदम उठाने का काम करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री निशिकांत दुबे को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र के निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा में भेजा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे विकास खंड यमुना, हरिहरपुर, रानी लक्ष्मणपुर किनारे गांव में जिला बलरामपुर के राप्ती नदी के किनारे विकास खंड बलरामपुर, हरइया सतघरवा, तुलसीपुर, इकौना में आई बाढ़ के कारण जनमानस पर भारी संकट आ गया है। जो सड़कें मुख्यालय पर आती हैं, उसमें बरसात का पानी बहने के लिए जगह-जगह डिप बना हुआ है। पानी जब तेजी से बहता है, तो उस डिप से लोग गाड़ी सहित तेज बहाव में बह जाते हैं और उनकी जान-माल का नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि क्षतिग्रस्त लिंक मार्गों की मरम्मत व डिप के स्थान पर पक्का पुल बनाया जाए, जिससे बाढ़ में प्रभावित गांव के लोगों का मकान, पशु जानवर का जो भी नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, इससे उनके पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me opportunity to speak for the first time in this House. I offer my heartfelt thanks to the people of my Constituency for electing me; and I offer my heartfelt thanks to my leader Shri Rahul Gandhi for allowing me to contest the election.

Hon. Speaker, Sir, Barpeta town is the main centre of my Constituency. This is the birth place of Mahapurush Srimanta Sankardev and working place of Madhav Dev, both Vaishnavite Gurus. They have same philosophy of Swami Vivekananda. स्वामी जी ने कहा था कि 'जत्र जीव तत्र शिव' और महापुरुष शंकरदेव जी ने भी बोला था 'कुकुर: गर्दभा सिगारो आत्मा राम, हबा को जानिया और करियो प्रणाम।'

Hon. Speaker, Sir, this town is also the birth place of Col. Guru Prasad Das who is the inventor of rail vacuum break. He invented this in 1930. लेकिन

बहुत दुख की बात है कि अभी तक इस टाउन के साथ रेलवे का कनेक्शन नहीं हुआ है। दो बार सर्वे हुआ। पहला सर्वे जोगीघोपा गुवाहटी वाया बारपेटा सार्थेबारी, हाजो लाइन का था और दूसरी बार वह सर्वे पूरा हुआ। रेलवे बोर्ड ने रिपोर्ट भी सब्मिट की। दूसरी बार का सर्वे चल रहा है। बोंगाईगांव से अग्थोरी वाया बारपेटा, हाजो, सार्थेबारी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब प्रधान मंत्री जी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात कह रहे हैं, यह रेलवे लाइन होने से कनेक्टिविटी होगी। The Minister of Minority Affairs is also in the House. माइनोरिटी कम्यूनिटी का भी फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी की दृष्टि इस तरफ आकर्षित करता हूं, ताकि जल्द से जल्द बारपेटा टाउन के साथ रेल कनेक्शन हो।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आया हूँ।

आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम प्रोजेक्ट बना रही है। इस पोलावरम प्रोजेक्ट से मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर और मलकानगिरी जिले के बहुत-से क्षेत्र अफेक्टेड हो रहे हैं। वहाँ आदिवासी इलाके हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड होंगे।

इसलिए सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। उस एरिया में फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्ल अफेयर्स ने जब क्लीयरेंस दिया, तो उस समय कभी पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब और श्री महेश साहू को श्री रमेश चन्द्र माझी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, in Krishnagiri Parliamentary constituency, Hosur is one of the major municipalities with more

than 2 lakhs of voters. It is also a known industrial hub with a great inflow of job seekers from all over India.

There is a railway line crossing across the Hosur-Thali State Highway, near TVS Nagar. Due to busy railway traffic, the railway crossing gate is closed for road traffic for nearly 7-8 hours per day. That leads to severe hardship to the public. Even the movement of ambulance gets stuck. Minimum one lakh of people are using this road daily for their livelihood. More than 3,000 small industrial units along with big industrial hubs like TVS, Titan and others are also there.

So, there is an urgent requirement of railway overbridge. I would like to request our hon. Minister through you, Speaker Sir, to order for construction of a railway overbridge on Hosur-Thali Road, near TVS Nagar on a war footing.

श्री नायब सिंह सैनी (कुरूक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूँ।

सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह जी ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र के अति महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर एक पुराना शहर है। कुरुक्षेत्र की ज्यादा आबादी थानेश्वर में ही रहती है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही थानेश्वर एक पुरानी सिटी है। वहाँ से एक रेल लाइन निकलकर कैथल की ओर जाती है। यह छह किलोमीटर का एरिया है। इस छह किलोमीटर के एरिया में रेलवे के चार फाटक पड़ते हैं। जब रेल आती है, तो चारों फाटकें एक ही समय में बंद हो जाते हैं। इसके कारण पूरा थानेश्वर शहर रुक जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है

। आमजन को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि कोई एमरजेंसी मरीज आता है, तो उसे भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी भी है। यहाँ हर रोज हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस छह किलोमीटर के एरिया में एक एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कैराना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, इसलिए मैं वहाँ की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना से होकर कृष्णा नदी निकलती है। इस नदी से बहुत-से गांव प्रभावित हैं क्योंकि इस नदी के आसपास जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उन फैक्ट्रियों का रसायनयुक्त पानी उस नदी में मिलकर बहता है। इसकी वजह से कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी और चर्म रोग जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार की भयंकर बीमारी फैल रही है, इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए उक्त नदी में गिरने वाले गंदे पानी को तत्काल रूप से रोका जाए, ताकि उस क्षेत्र की जनता को भयानक बीमारियों से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रथम बार इस सदन में आया हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का आभार व्यक्त

करता हूं। मैं मध्य प्रदेश की खरगौन बड़वानी लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां की समस्त जनता और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आर्शीवाद से मैं आज इस सदन में हूं। मैं वहां के जनहित के मुद्दे आपके माध्यम से हल कराना चाहता हूं।

खरगौन लोक सभा एक जनजाति बाहुल्य इलाका है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इस लोक सभा क्षेत्र के आदिवासी वर्ग और समाज के सभी वर्गों ने न ट्रेन देखी है और न ट्रेन की पटरियां देखी हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' को लेकर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने वहां काम करना शुरू किया। सरकार के पिछले कार्यकाल में इंदौर से मनमाड रेल की स्वीकृति की गई। 35 हज़ार करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का उसका प्रोजेक्ट है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत हुए दो साल हो गए हैं। अभी तक इसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, न ही इसके लिए किसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह गुज़ारिश करता हूं कि इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री तपन कुमार गगोई **-** उपस्थित नहीं।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब स्पीकर साहब, मैं जम्मू कश्मीर से हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं। कोई उसे धरती पर स्वर्ग का नाम देता है, कोई मुल्क का ताज कहता है, तो कोई मुल्क का दिल कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर सारे मुल्क से तकरीबन हर माह दस या दस से ज़्यादा दिन तक कटा रहता है।

जनाब, नैशनल हाइवे की जो हालत है, वह अबतर है। वहां पिछले तीन सालों से बनिहाल-काज़ीगुंड टनल बन रही है, लेकिन वह मुकम्मल नहीं हो रही है। कल रामबन में एक दर्दनाक वाकया हुआ, एक व्हीकल के एक्सीडेंट में तीन बच्चे मारे गए। यह एक दिन की बात नहीं है, ऐसा रोज होता है। रामबन और बनिहाल का जो सैक्टर है, उसमें पिछले तीन सालों से कोई इंप्रूवमेंट, कोई अच्छाई, कोई रिलीफ दिखता नहीं है। न ही बनिहाल-काज़ीगुंड टनल के काम में भी कोई

इंप्रूवमेंट दिखती है और न ही उसके बनने की कोई तारीख मुकर्रर की जा रही है। इससे यह होता है कि यही जो एक रास्ता है, वह कट जाता है। इस कारण दिल्ली-दुबई से दिल्ली-श्रीनगर की हवाई सफर की टिकट ज़्यादा होती है।

अभी हमने देखा कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे थे। ऐसा लगा कि वे गरीब की बात करने के बजाय, जो एयर ट्रैवल कंपनीज़ हैं, उनका इत्तेफाक कर रहे हैं। मेरी यह गुज़ारिश है कि बनिहाल-काज़ीगुंड टनल और बनिहाल-रामबन सैक्टर के मुकम्मल होने के लिए एक समय सीमा दी जाए, ताकि यह वादी जो मुल्क से कटी रहती है, यह कम हो। दूसरी बात है कि जब तक यह कार्य पूरा न हो, तब तक मुगल रोड को ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए, जिससे वहां के यातायात को इंप्रूव किया जा सके। शुक्रिया।

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं अपना सवाल शुरू करने से पहले इस सदन में मौजूद तमाम नये सदस्यों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आप नये सदस्यों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनकी हिम्मतअफज़ाई कर रहे हैं। 300 नये सदस्य हैं, स्वाभाविक है कि जब इस महान सदन के अंदर जब हम आए, तो कहीं न कहीं कुछ घबराहट थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हमारी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है।

महोदय, इसलिए मैं आपको तमाम सदस्यों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। कल जब हम अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाएंगे और लोग हमसे पूछेंगे कि कैसा रहा पहला सत्र, तो हम उनसे यह कहेंगे कि सरकार का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो एंपायर हैं, वे न्यूट्रल एंपायर हैं।

महोदय, मैं औरंगाबाद से आता हूं। औरंगाबाद में अभी फिलहाल पानी की जो गंभीर समस्या है, वह इतनी गंभीर हो चली है कि वहां आठ-आठ, दस-दस दिनों के बाद पानी आता है। रात में हमारी मां-बहनों को दो बजे, तीन बजे, चार बजे उठना पड़ता है। यह सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वहां एक बड़ी राजनीतक पार्टी के एक बड़े नेता ने एक प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में पानी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देश के अंदर यह पहला ऐसा केस है,

जहां पर पानी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि फौरन इसे रोका जाए और राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि पानी को उन्होंने बहुत गम्भीरता से लिया है। इस मुद्दे के ऊपर फौरन सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पिछले **9** सालों से यह मामला इस वजह से अटका पड़ा है कि वहां का प्रशासन चाहता है और वहां की सरकार चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पानी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाए। एक समांतर नाम की कंपनी इन्ट्रोड्यूस की जा रही है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट बोलकर उसे इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है। यदि आप पानी को बेचना शुरू कर दें तो इस देश के अंदर कितना हाहाकार मच जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है और केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है और सरकार से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहते हैं कि पानी की गम्भीर समस्या को लेकर कम से कम **8** दिन का विशेष सत्र बुलाए, सिर्फ पानी की समस्या को हल करने के लिए या फिर इस सत्र के दौरान कम से कम दो-चार दिन पानी के ऊपर चर्चा हो, ताकि यहां पर बैठे-बैठे इसका हल निकाला जा सके।

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, through you, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of Road Transport and Highways that Goa is connected to Karnataka through South Bidar. NH-4A which connects Goa to Karnataka is closed for the last five to six months. This has put all the people in the hinterland of Goa into difficulty. Not only Goa, people from Anmod, a village in Karnataka, and other places in Karnataka are also put into difficulty. Students of the schools and colleges situated in places like Ramanagara, the interior Karnataka, also face the same difficulty. Earlier, places like Colem and Molem were totally dependent on mining. Now, mining has been closed. They now depend only on tourism. They are living from

hand-to-mouth because tourists are also not coming there as the Highway that connects these places has been closed.

I would request the hon. Minister to see that this Highway is immediately opened. It should be opened as early as possible so that the hardships of the people are minimised.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का मराठावाड़ क्षेत्र विगत एक दशक से सूखे की मार झेल रहा है। इस क्षेत्र में आने वाले लातूर शहर तथा उसके सीमावर्ती 21 गांवों में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। लातूर शहर में दस दिन में एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रही है, परंतु फिर भी वह जनता की पेयजल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल न जाकर पूरे दिन क्षेत्र की जरूरत के लिए पानी की व्यवस्था के लिए मजबूर हैं। प्राय: टैंकरों से पानी मंगाना बहुत ही महंगा होता है, जिससे वह आम आदमी और गरीबों की पहुंच के बाहर है। इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के तहत लातूर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए उजनी बांध से पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु एक योजना शीघ्र अति शीघ्र बनाकर कार्यान्वित करे, ताकि यहां की आम जनता को पेयजल की समस्या को छुटकारा मिले।

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद है। मैं तेलंगाना से हूं। तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार आदिवासी लोगों को जंगल से निकालने की कोशिश कर रही है। हर दिन आदिवासी लोगों के गांव में जाकर उनके घर गिरा रही है और उन पर केस लगाकर तमाम आदिवासी लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। इसलिए तेलंगाना के आदिवासी लोगों को बचाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुरादाबाद की एक बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट समस्या के लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों मुरादाबाद

सिटी, हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना गया और मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी अगर कोई था, तो वह मुरादाबाद था। अध्यक्ष जी, मुरादाबाद के अन्दर आर्टीज़न्स, जो कोयले से काम करते हैं, जिससे कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है। मेरी सरकार से यह दर**ख्वास्त** है कि हमारे आर्टीज़न्स को भी उसी तरह सब्सिडा**इज्ड** रेट पर गैस दी जाए, जिस तरह फिरोज़ाबाद में गैस दी जा रही है, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो और पॉल्यूशन की समस्या से भी मुरादाबाद को निजात मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको नमस्कार करता हूँ। मैं पहली बार सांसद बनकर आया हूँ और पहली बार आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ। खुशी की बात है कि आप जैसे समाजसेवी राजनीति के क्षेत्र में हैं। मैं लगभग 30 वर्ष से बहुत बड़े स्केल पर समाज सेवा करता आ रहा हूँ। बहुत से माननीय सांसदों को यह पता है। माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी की मुझ पर श्रद्धा हुई कि उन्होंने मुझे लोक सभा सांसद के रूप में यहाँ भेजा है। मैं ओडिशा के संसदीय क्षेत्र कंधामल से चुनकर आया हूँ। कंधामल पार्लियामेंट कॉन्स्टीट्युएंसी का नाम आपने शायद सुना होगा या नहीं, यह आदिवासी बाहुल्य कॉन्स्टीट्युएंसी है, जहाँ 82 प्रतिशत एससी-एसटी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यह माँग करना चाहता हूँ कि लगभग 39 साल पहले, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी होने की एश्योरेंस उस समय के प्रधान मंत्री जी ने अपनी घोषणा में की थी। उस समय से सर्वे वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो रेलवे कनेक्टिविटी का कार्य चल रहा है, वह खुर्दा बलांगीर के रास्ते से ही जा रहा है। यदि उसको 39 किमी अन्दर तक कंधामल जिले से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ के आदिवासी लोगों का जो रेल देखने का सपना है, वह सपना पूरा होगा। कंधामल जिले में पयर्टन बहुत बढ़ा है। वहाँ दरिंगबाड़ी एक जगह है, जिसको ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं। ऐसा होने से वहाँ पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। गरीब लोगों की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ेगी और

रोज़गार भी बहुत बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंधामल में रेलवे कनेक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष : श्री महेश साहू को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आज इस सदन में बोल रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहूँगा। मैं किसानों के विषय पर बोलना चाहूँगा। आज हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, फल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, फूल उगाते हैं, लेकिन बन्दरों, जंगली जानवरों तथा बेसहारा पशुओं के कारण किसान कृषि से दूर हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि यहाँ जो बंदरों की समस्या है, जंगली जानवरों की समस्या है, बेसहारा पशुओं की समस्या है, उससे निजात दिलाएँ। हमारे जो किसान भाई हैं, पहले उनको फसलों की रखवाली के लिए बंदूकों के लाइसेंस की जो फीस थी, वह बहुत कम थी। मात्र 120 रुपये रिन्यूअल के लिए लगते थे, जिसको बढ़ाकर अब 1650 रुपये किया गया है। दूसरा, किसानों के लिए जो नए लाइसेंस फसलों की रखवाली हेतु बनते हैं, उसकी फीस 2200 रुपये है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी राशि है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। साथ ही साथ, मै यह भी कहना चाहूँगा कि मनरेगा के तहत हमारे किसानों को फसलों की रखवाली के लिए रखवाला रखने की व्यवस्था हो, साथ ही सोलर फेंसिंग, बाड फेंसिंग के लिए भी अधिक से अधिक सब्सिडी का प्रावधान किसानों के लिए किया जाए। जंगल से बंदर और अन्य दूसरे जानवर खेतों में न आएं, इसके लिए फलदार पौधे लगाने का प्रावधान किया जाए। बेसहारा पशुओं के लिए, गौ सदन के निर्माण के लिए, सामाजिक और गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में लीज पर भूमि दी जाए। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस सदन को भी नमन करती हूं क्योंकि मैं इस सदन में पहली बार आई हूं। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूं भिंड और दतिया लोक सभा क्षेत्र की अपनी जनता जनार्दन को, जिन्होंने मुझे चौकीदारी का अवसर दिया और आज मैं अपने क्षेत्र की समस्या यहां रख रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड और दतिया में दो महीने पहले सरकारी केन्द्रों पर किसानों की फसलों की खरीदी हुई थी। उसमें गेहूं, सरसों और चावल है। आज दो से ढाई महीने होने को आए हैं, लेकिन आज तक किसानों के खाते में उसका पैसा नहीं पहुंचा है। वह **25** लाख रुपये भी हो सकता है और **50** लाख रुपये भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के किसानों के घरों में बेटी की शादी है, बेटों की पढ़ाई के लिए धन पहुंचाना है, ऐसी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह मेरे क्षेत्र के किसानों के खातों में पैसे पहुंचें, जिससे उनके रुके हुए काम पूर्ण हो सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Hon. Speaker, Sir, this is the maiden speech of mine. I thank you for permitting me to speak in this august House. I would like to draw your attention to an issue relating to the river Godavari.

Sir, as you know, the river Godavari is getting polluted. This river flows adjacent to my constituency of Rajmahendravaram. Actually, Rajmahendravaram has wide stretch of the river Godavari. A lot of industries are there adjacent to the river Godavari. With the result, all the human waste

and drainage straightaway go into the river Godavari. The hon. President also mentioned in his Address about cleaning all the national rivers. He mentioned river Godavari also.

I would request the hon. Minister to think about cleaning the river Godavari so that there are no drainage outlets going into the river. In fact, you can build underground drainage system. Sir Arthur Cotton had made a dam also for the preservation of water for East and West Godavari. More than one crore population is located in the Godavari district. Hence I would request the National River Conservation Directorate to allot some money so that the bacteria which is there can be removed. If the E.coli bacteria is more than 500 units, it is dangerous for people. So, I would request the hon. Minister to take action in this regard.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ओर दिलवाना चाहता हूं। इंदौर की पॉपुलेशन 28 लाख से ज्यादा हो गयी है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि वहां दो ही केन्द्रीय विद्यालय हैं। यह मांग लम्बे समय से की जा रही है कि वहां तीन केन्द्रीय विद्यालय और खोले जाएं। आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि इंदौर में तीन केन्द्रीय विद्यालय और खोले जाएं। दूसरा, जब तक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं तब तक जो दो स्कूल्स चल रहे हैं, उनमें कक्षाएं बढ़ायी जाएं, सत्र बढ़ाए जाएं। तीसरा, यह भी हो सकता है कि तब तक उन दो स्कूल्स को दो शिफ्ट में किया जा सकता है ताकि छात्रों को एडमिशन मिल सके। मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि आपने सांसदों की अनुशंसा के लिए दस का कोटा बनाया है, इसको बढ़ाकर 50 किया जाना चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

SHRI SHANTANU THAKUR (BANGAON): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak for the first time in this House.

I would like to talk about my constituency. There is a historic place in the border which is called Petrapole border. It is related to Bangaon-Barasat also. There are around 4000 trees in this area. Last year, the Central Government started the extension work on this road but it was suddenly stopped due to local issues.

Sir, I would like to inform you that last year the Government earned a sum of Rs. 30,000 crore from that border area. There is a road called Jessore Road which is connected to Kolkata. My request to the hon. Minister is that the road infrastructure connecting Bongaon to Barasat should be upgraded and made a four-lane which is a stretch of approximately 50 kilometres. There is a heavy traffic on this road and it adversely affects the small and bordering towns.

I would also like to make a request that in the process of improving upon the road infrastructure of this road, the trees may not be disturbed and the road may be designed on the pattern similar to what has been constructed by the BSF international road in the adjacent areas which has been done by using the trees and making a divider between two lanes. The Government must make an attempt to upgrade the said road as this will also help in increasing international trade volume. It will also help the local residents to sustain their livelihood. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during the `Zero Hour' in this august House. आपने मेरा दो बार नाम लिया था, लेकिन मैं नहीं थी। सोमवार से मैं सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट दे रही हूं। जीरो ऑवर में भी मेरा नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा निराश हो गई थी।

*I thank my leader and Chief Minister of West Bengal Smt. Mamata Banerjee. I also thank all the people of Arambagh who have elected me to this august House once again.

It was the then Railway Minister Mamata Banerjee who was instrumental in introducing railway network in Arambagh for the first time after independence. At that time, in order to connect Tarakeshwar temple with Bishnupur temples, Tarakeshwar to Bishnupur rail was commissioned. When she was the railway minister, the work was being done at a great speed. But when the ministry went to the other party, the work was stalled. Some political parties started troubling and misleading the local people. The work of Kamarkundu flyover is also being done very slowly. I request hon. Railway Minister to kindly expedite the work so that people of Arambagh get the benefit. Thank you*.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मुझे आपने किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या उठाने का अवसर दिया है।**...(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठे-बैठे नहीं बोलिए।

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री विनोद कुमार सोनकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में चकेरी से लेकर कोखराज तक एनएच टू पर फोर लेन से सिक्स लेन का काम निर्माणाधीन है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अटसराय से लेकर कोखराज तक जब सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था, तो पहले व्यावसायिक रेट से भुगतान करने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया था। जब उत्तर प्रदेश में आरओ चेंज हो गए, तो उन्होंने उसका व्यावसायिक रेट घटाकर उसको घरेलू कर दिया, जिसके कारण अटसराय से लेकर कोखराज तक जिन पांच हजार किसानों को करोड़ों रुपयों का भुगतान होना था, अब उनसे कौड़ियों के दाम पर जमीनें मांगी जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके एक अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि यदि आप लोगों ने व्यावसायिक रेट मांगा तो यह प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिला प्रशासन द्वारा वहां पर जो रजिस्ट्री का शुल्क है, उसे व्यावसायिक रेट पर लिया जा रहा है, लेकिन किसानों को जो भुगतान किया जा रहा है, वह खेती का किया जा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक कमेटी भेजकर जांच कराई जाए, क्योंकि किसान बहुत नाराज हैं। जिन किसानों की जमीनों के दाम करोड़ों में होने चाहिए, वह **600** रुपये, **500** रुपये वर्गमीटर आ रही है। इसलिए किसानों में नाराजगी है।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपको अनेक बधाइयां और असंख्य धन्यवाद। मैं 17वीं लोक सभा में पहली बार बोल रहा हूँ। वैसे मैं दूसरी बार चुन कर आया हूँ। मैं नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली क्षेत्र का सांसद हूँ। अध्यक्ष जी, वहां से यमुना जी बहती हैं और वे बहुत खतरे में हैं। मैं आपके समक्ष और पूरे सदन के समक्ष यह खतरा बताना चाहता हूँ। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी जहां नहीं है, वहां तो एक समस्या है ही, लेकिन जहां पानी है और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वहां समस्या अधिक है। जब मैं 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के

बलिदान दिवस पर यमुना किनारे सफाई में भाग लेने गया तो हम बेहोश होते-होते बचे हैं। यमुना जी को सबसे बड़ा खतरा यह हो रहा है कि ओखला क्षेत्र में यमुना जी के किनारे लगभग तीन हज़ार घर यमुना जी के अंदर बन गए हैं और इस समय भी बन रहे हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी ने सीलिंग की बात कही थी, बाकी जगहों पर तो रोकी जाती है, लेकिन जहां सरकारी जमीन पर यमुना जी के अंदर घर बन रहे हैं, इस समय भी बन रहे हैं, वहां कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है**?** मैं समस्या आपके ध्यान में लाते हुए इसको तुरंत रोकने की कार्यवाही करने की प्रार्थना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आखिर में आपने राजस्थान के सांसदों में मुझे बोलने का चांस दिया। मुझे आपसे यह बात कहनी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना बनाई है, जिसमें राजस्थान के लगभग 55 से 60 लाख से ज्यादा किसान आते हैं। इसमें राज्य सरकार ने केवल 39 लाख किसानों का ही पैसा दिया है। बाकी लगभग 18 से 19 लाख जो किसान हैं, उनको वह राशि नहीं दी गई हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, क्योंकि आप भी राजस्थान से आते हैं, वित्त राज्य मंत्री भी यहीं बैठे हुए हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि हमारे प्रांत के लिए और आपके प्रांत के लिए, जहां से आप आते हैं, आप उनको इतना निर्देश दें कि जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि है, जो किसानों के लिए है, वह सभी किसानों को सही समय पर राज्य सरकार द्वारा दी जाए। राज्य सरकार ने चुनाव के वक्त लगभग दो लाख रुपये से ऊपर की राशि से किसान को कर्ज़ा मुक्त करने की बात कही थी। वह काम अब तक हुआ नहीं है, उन्होंने सबको गुमराह किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को यह किसान निधि जल्दी ही मिल जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री दुष्यंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Hon. Speaker Sir, the issue which I want to raise is very important. It is a peculiar issue which none of the other Members might be facing as I am coming from a constituency which is very peculiar in nature.

Sir, I raised this matter in the previous Lok Sabha also. Ockhi storm had hit Kalpeni very badly. There is a breakwater which is the only way for embarkation and disembarkation of passengers. It is actually of 165 metres out of which 85 metres got washed away. After putting a lot of efforts including raising in the Parliament, nearly Rs. 34.56 crore was sanctioned by the Ministry.

The implementing agency is taking the Andaman and Lakshadweep harbour works in a very lighter way and it is moving at a snail's pace. Things are not happening in the right way. Moreover, the monsoon has started. The embarkation and disembarkation of passengers including the cargo movement have come to a standstill. It is a very alarming situation there.

I would request the concerned Ministry to take note of this matter and take necessary steps to move things faster and improve the situation so that it becomes easy for the people to live there.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): माननीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोक सभा में आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर मैं 20 जून की घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तेलंगाना के हैदराबाद में विधायक टी. राजा सिंह पर हमला हुआ है। उस संबंध में रानी अवंती बाई की मूर्ति 2009 में लगी थी। वह टूट-फूट गई थी, उसकी जगह दूसरी मूर्ति लगाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने उनको मारा-पीटा और ऐसी वीरांगना अवंती बाई लोधी, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, वर्ष 1857 में मंडला के पास खेरी गाँव में ब्रिटिश सेना को हराया, वर्ष 1858 में फिर अंग्रेजों ने हमला किया।

मान्यवर, पुलिस की जो बर्बरता टी. राजा सिंह पर हुई है, मैं उसकी उच्च स्तरीय जाँच की माँग करता हूँ और सरकार को बर्खास्त करने की माँग करता हूँ, जिन्होंने ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं **17**वीं लोक सभा में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी का, पार्टी के अध्यक्ष भाई अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं दोबारा लोक सभा में पहुँचा हूँ, साथ-साथ जमेशदपुर लोक सभा के तमाम मतदाताओं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं अति महत्वपूर्ण चार जो रेल लाइन हैं, जो पड़ोसी राज्य को जोड़ती हैं, वर्षों से लोगों की माँग थी कि रेल लाइन बनेगी तो हमारा सुनहरा सपना साकार होगा। चांडील, पटमदा, बांधवान होते हुए झाड़ग्राम जो पश्चिम बंगाल को जोड़ता है और इसमें चार लोक सभा के सदस्य आते हैं। वहीं चाकूलिया, बहरागोड़ा, बुड़ामारा उड़ीसा को जोड़ती है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंडरा से नामकूम टाटा को जोड़ती है। साथ-साथ जमशेदपुर से बदाम पहाड़ होते हुए क्योंझर, वर्षों पुरानी लोगों की माँग थी। यह उम्मीद है कि चारों रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम लोगों को

सहूलियत होगी, क्योंकि यह कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण सभी लोगों को वहाँ काफी दिक्कत है। साथ-साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक ही रेल जोन गार्डन रीच में है और इतने बड़े क्षेत्र में रेल का विकास काफी धीमा है। हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देने वाला हमारे धनबाद डिविजन में सीकेबी डिविजन है, इसमें एक नया जोन आपके माध्यम से माननीय मंत्री से माँग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): Thank you for giving me this opportunity.

My constituency is Malkajgiri in Telangana. It is the India's biggest constituency, having 32 and a half lakh votes....(*Interruptions*) जहाँ पर बिहार से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मलयाली तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक सब लोग मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में हैं। वह मिनी भारत है। वहाँ पर दिक्कत यह है कि कन्टोनमेंट बोर्ड में 10 लाख लोग उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन, डिफेंस मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं उस रोड को ओपन करने के लिए। वह रोड 15-20 दिन के लिए ऑपन करते हैं, उसके बाद फिर आर्मी जवान उस रोड को बंद कर देते हैं। रिसेंटली स्कूल्स ओपन हुए हैं, अचानक उस रोड को बंद किया है, स्कूल जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को आधे दिन में ही बाहर निकाल देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप डिफेंस मिनिस्टर को आदेश दीजिए कि एटलिस्ट डिफेंस, कन्टोनमेंट बोर्ड एंड लोकल गवर्नमेंट की एक कम्बाइंड मीटिंग लेकर उस इश्यू को रिजॉल्व कीजिए। Otherwise, 10 lakh people are facing that road problem every day.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। मैं ग्वालियर से आता हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व

मान्यवर श्रद्धेय अटल बिहारी वापजेयी जी, श्रद्धेय राजामाता सिंधिया जी, माधव राव सिंधिया जी आदि सभी ऐसे महापुरुषों ने किया है। तीन संसदीय क्षेत्रों ग्वालियर, मुरैना और गुना शिवपुरी इन तीनों को लाभ देने वाली एक संवाई माधोपुर–झांसी रेल लाइन के बारे में मैं निवेदन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इस रेल मार्ग का सर्वे 2015 में ही पूरा हो चुका है। किन्हीं कारणों से यह काम चालू नहीं हो पा रहा है। मैं आपके ध्याम में एक और बात दिलाना चाहता हूँ कि आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र शिवुपरी जिले के करैरा में आता है। सामरिक दृष्टि से भी मेरा यह मानना है कि इस रेल लाइन का बहुत लाभ इस देश को होगा।

इतना ही नहीं, इस रेल लाइन के बनने के बाद दो प्रदेशों की राजधानी जयपुर और लखनऊ को भी सीधे रेल लाइन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर गंभीरता से विचार करें और इस रुके हुए काम आगे बढ़ाएं।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र बस्ती 150 वर्ष पुराना जिला है। तमाम सामाजिक, धार्मिक आन्दोलनों में बस्ती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन में हमारे बस्ती के लगभग 150 नौजवानों को फाँसी पर लटका दिया गया था। वह कमिश्नरी मुख्यालय है, लेकिन अभी भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। बस्ती से छात्र पढ़ने के लिए इलाहाबाद या बनारस जाते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैम्पस या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का कैम्पस बस्ती में खुलवाया जाए, जिससे गरीब छात्रों को पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): महोदय, सबसे पहले तो मैं नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। मुझे विष्णुपुर से तारकेश्वर रेल पथ

चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर भी जो भी काम करे, सिंडिकेट में पैसा दो, नहीं तो कट मनी करके मिनिस्टर्स, एमएलए और पंचायत प्रधान को पैसा दो। मेरी एक माँग है कि जितना सारा कट मनी लिया हुआ है, टीएमसी सरकार के जितने विधायक हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने पंचायत प्रधान हैं, ग्राम सभा के चेयरमैन हैं, सबकी एक ही आदत हो गई है कि जहाँ भी वे जाएंगे, वहाँ से उन्हें कट मनी चाहिए। मेरी यही माँग है कि सी.एम. के परिवार ने वर्ष **2011** के बाद कितना पैसा लिया है, कितना कट मनी से पैसा लिया है, इसकी जाँच कराई जाए।**...(**व्यवधान**)** किस वजह से यह विष्णुपुर-तारकेश्वर रेल पथ बंद रखा हुआ है**?** मेरी डिमांड है कि इसकी जाँच कराई जाए। सी.एम. के परिवार वालों ने कट मनी के माध्यम से कितना पैसा लेकर कितनी सम्पत्ति एकत्रित की है, इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी को श्री सौमित्र खान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर, मैं जल संकट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी कांस्टीट्युएंसी वीरभूमि है। यहाँ पर मोहम्मद बाजार है, उसके पास में हिंगलो नदी है, खोएडसोल है, शाल रिवर है और राज नगर पर बकरेश्वर है। इसके अलावा भी राजगांव है, उसमें कोई नदी नहीं है, लेकिन वहाँ पानी चाहिए। स्पीकर के अलावा आप एक एमपी भी हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 5 करोड़ रुपये में कुछ काम नहीं होता है, 5 करोड़ रुपये में पानी देना मुश्किल बात है। इसलिए जो नई मिनिस्ट्री बने, वह जल संकट को दूर करे। मैं उससे रिक्वैस्ट करूंगी कि वह मेरी कांस्टीट्युएंसी को पानी दे। मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है। नए लोग तो चुनकर आए हैं, हर जगह पर पुराना पीछे जाता है। प्लीज, आप यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर मत कीजिए। सबको एक ही जैसा बोलने का चांस दें। हम सुबह से, दो दिन से बोलने के लिए वेट कर रहे हैं। पुराना भी हो जाए, नए एमपी के साथ पुराने एमपी को भी इक्वल चांस दीजिए। थैंक यू।

माननीय अध्यक्ष : सबको इक्वल चांस दिया है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : सर, बाद में, लास्ट में चांस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : नए एमपी के बाद आपको यानी पुराने एमपी को बोलने का मौका दिया है। हमने सबको मौका दिया है।

श्री के सी पटेल। पटेल जी, पहली बार बोल रहे हैं।

डॉ. के. सी. पटेल (वलसाड): महोदय, धन्यवाद। मैं आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह जी और अपने वलसाड, डांग और वांसदा के सभी मतदाता भाइयों का बहुत-बहुत आभारी हूं और उन सबका वंदन करता हूं। मेरे सब साथी मित्र जो यहां इस पवित्र ऑगस्ट हाउस में हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूं।

मेरे डांग डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट में अभी बारिश नहीं है। हम वहाँ टैंकर्स से पानी सप्लाई करते हैं। हमारे वहां हर साल सौ इंच बारिश होती है, लेकिन सब पानी समुद्र में चला जाता है। हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि हमारे यहां बड़े-बड़े चैक डैम प्रधान मंत्री सिंचाई योजना से बनें, यही मेरी प्रार्थना है। इसका हमारे यहाँ बड़ा विस्तार है।

14.00 hrs

वहां आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 86 करोड़ रुपये की वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी योजना शुरू की। वह जल्दी पूरी हो जाए। सर, हमारे वलसाड सिटी में एक बार पानी मिलता है। वलसाड सिटी में दमनगंगा नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी आए, यह हमारी मांग है।

हमारे यहां वापी इंडस्ट्रियल एरिया एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां हमारी इंडस्ट्रीज को जो परेशानी होती है, उससे उन्हें सहायता करें, यही मेरी प्रार्थना है।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker Sir, in this august House, I represent Bhubaneswar Parliamentary constituency in Odisha. I would like to draw the attention of this august House to the Health Performance Index report brought out by NITI Aayog a couple of days back. It is very unfortunate that in this Health Performance Index report, Odisha has

slipped to 19th rank, making it the third worst performing State among the 21 large States in the country. If you see the neonatal mortality rate of Odisha, it is comparable with that of Sierra Leone, which is the worst performing Sub-Saharan country. Odisha is comparable with Sierra Leone. Hats off to States like Kerala and Tamil Nadu, which have already reached the Sustainable Development Goal target of 12, which means 12 deaths per 1000 live births. This is the neonatal mortality rate of Kerala and Tamil Nadu.

According to the Sample Registration System, Odisha has reported the highest neonatal mortality rate, the second highest infant mortality rate, the third highest under five mortality rate and the fourth highest maternal mortality rate. It is extremely unfortunate. …(*Interruptions*). Let me speak for just one more minute. It is an extremely urgent issue and it demands immediate concern.

As per this report, 51 per cent women and 7 per cent of the children are anaemic in the State of Odisha and the prevalence of stunting is also huge.

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय अच्छा है, लेकिन इस पर डिटेल भाषण की आवश्यकता है।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : I would definitely like to request the Ministry of Health and Family Welfare, through you, to seek a report from the State of Odisha.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सर, सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष के तौर पर धन्यवाद।

सर, पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं, तीनों लोक सभा के दरम्यान मेरा एक ही विषय रहा है। Surat is the fastest growing city of Asia. सबसे ज्यादा विश्वास की बात यह है कि भारत की जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया। हर चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों ने बी.जे.पी. को वोट दिया है। 100 में से 75 परसेंटेज वोट जब बी.जे.पी. को यहां मिला है तो लोगों ने विश्वास तो बहुत किया है। यह रिजल्ट-ओरिएंटेड है। वर्ष 2009-14 के दरम्यान हमें यह जवाब मिलता था कि Sir, route is not profitable. वर्ष 2014 के बाद परिणाम यह आया कि सूरत एयरपोर्ट की ग्रोथ पिछले दो सालों में 250 पर्सेंट से ज्यादा हुई है। जहां पहले 78-सीटर्स की फ्लाइट की एक कनेक्टिविटी थी, वहीं आज 52 ऑपरेशंस सूरत से हो रहे हैं। यह काम करने वाली सरकार है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई के प्रयत्नों से सूरत को ग्रोथ की यह गति मिली है। जब चुनाव आया तो हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी मिल गयी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहली बार शारजाह की फ्लाइट दी। लेकिन, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए हमें दूसरी एयरलाइंस पकड़नी पड़ती है। इसलिए अगर एयर इंडिया को दुबई से कनेक्ट किया जाए, जहां से जेट एयरवेज के कई सारे स्लॉट्स खाली हैं तो मुझे लगता है कि उससे सूरत को लाभ होगा।

सर, मैं एक ही उदाहरण दूंगी कि पूरे भारत में एक ही शहर ने तीन करोड़ डिपॉज़िट करके 118 सीट्स की गारंटी दी है। अगर आज आपने सुबह में मुझे बोलने का चांस दे दिया होता तो मैं एविएशन मिनिस्टर के साथ इसकी भी बात कर लेती। 118 सीट्स साढ़े चार हजार रुपये में मिलती हैं और उसके बाद उसकी कमर्शियल प्राइस चालू होती है। प्राइवेट एयरलाइंस का शेयर जो 90-95 परसेन्ट है और जिन शहरों की कनेक्टिविटी के लिए कवर कर रहे हैं, उसमें पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता है। अगर हमें और भी शहरों के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट मिल जाए तो मुझे लगता है कि सूरत का ग्रोथ और अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): अध्यक्ष जी, मैं 13वीं लोक सभा के बाद एक लंबे अंतराल के बाद आयी हूं, लेकिन जिस क्षेत्र से आयी हूं, वह दौसा संसदीय क्षेत्र है। राजस्थान का दौसा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने भारत की आज़ादी के पहले तिरंगे झंडे का कपड़ा दिया। आज भी वहां तिरंगा झंड़ा बनता है, लेकिन उस शहर की जो स्थिति है, वह ऐसी स्थिति है कि न पेयजल है, न सड़कें हैं, न अन्य सुविधाएं हैं। वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस शहर को अमृत सिटी योजना में जोड़ा जाए, तो नि:संदेह दौसा के लिए, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसके लिए कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to thank you, Sir, for letting me speak in this 'zero hour'. I would also like to draw the attention of the Government about the non-access of banking facilities in my Constituency Uluberia in West Bengal.

In my Parliamentary Constituency, access to the nationalised banks and banking services is very poor. I had urged the Union Government last year to set up a nationalised bank in Bagnan-I and Bagnan -II, Uluberia-II and Amta-II blocks but I regret to inform this august House that till date the Government has not taken any steps in this regard. The facility of ATM services is also very poor. The rural constituents are not able to access banking facilities. There is a need to install more ATMs in my entire Constituency, especially, in Amta-II, Shyampur-II and Udaynarayanpur blocks of Howrah District of West Bengal.

Sir, I urge the Government to take my appeal as a serious grievance in the larger public interest.

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen of the Clock.

15.02 hrs

The Lok Sabha reassembled after lunch at
Two Minutes past Fifteen of the clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति : नियम **377** के तहत जिनके मामले लगे हैं, इसमें पाँच सदस्य हैं, उनको हम बुलवाएंगे। मैं पहला नाम देता हूं **–** श्रीमती अपराजिता सारंगी।

मैडम, जो टैक्स्ट है, केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

(i)Regarding Performance of Odisha on Health Index

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): NITI Aayog has brought out a report on health performance index a few days back. It is extremely unfortunate that Odisha's performance has slipped to 19th rank in making it the third worst performing State among the 21 large States of India.

In terms of decline in health index value, Odisha is fourth from the bottom. The new Natal Mortality rate of Odisha is comparable to Sierra Leone, one of the worst performing sub-Saharan countries. We have States like Kerala and Tamil Nadu who have already achieved the sustainable development goal target of twelve Neo-Natal deaths per 1000 life births. According to Sample Registration System, Odisha has reported second highest infant mortality rate and third highest under five mortality rate. And it is unfortunate that it has fourth highest maternal mortality rate. As per the report, 51 per cent women, 47 per cent pregnant women and 44 per cent children are anemic in Odisha. In 25 districts of Odisha, prevalence of wasting is above the critical limit as per WHO cut off values.

The critical state of health matters in Odisha is indicative of the fact that all is not well as far as the implementation of schemes – whether Central or State Government schemes are concerned. The State Government needs to examine the matter very carefully and put into place a very strong monitoring framework to ensure that the schemes are implemented well and there is good level of awareness generated among people.

I will request the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India to seek a report from the Government of Odisha as regards the methodology of implementation of the schemes and the corrective measures that they take in the light of the report that has been brought out by NITI Aayog. This is a matter of utmost concern and required immediate attention.

(ii) Regarding setting up of a Silk Park in Arani, Tamil Nadu

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Arani in Thiruvannamali district of Tamil Nadu is famous for Arani silk sarees, which are traditionally made by the handloom weavers there. Arani saree has also received Intellectual Property Rights protection for the trade. The saree is ranging from 4 to 9 yards in length. For wedding purpose and other functions, Arani saree is most sought after, since it is available from affordable range to luxury rate, depending on the value and quality. It is a fine finished product, durable and having sophisticated look with aesthetic designs.

I would urge upon the Textile Minister to organise Silk Saree Mela/Exhibitions during festival occasions in Arani. At present, Arani is lacking infrastructure growth, though the artisans and weavers are highly skilled and producing the best of silk sarees.

I would request the hon. Minister of Textiles to establish a Silk Park with Marketing complex, workshop, warehouse, R&D facilities, equipment and training for testing and training. This would help transform silk handloom weaving industry into an organized profession and achieve sustainable growth. They should develop an integrated Silk Park to project customer focussed handloom silk products, using eco friendly factory facilities and world class infrastructure.

(iii) Regarding formation of new Railway Division at Kanyakumari in Tamil Nadu.

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): The formation of New Railway Division at Kanyakumari is long pending public demand. The headquarters of the Southern Railway is at Chennai. In 1956, the Kanyakumari district was separated from Kerala. The railway connectivity is very essential in Kanyakumari which is connecting a large number of tourist places in nearby states and country and also more than 1 crore tourists are travelling to Kanyakumari every year from abroad and various states of the country. The formation of railway division at Kanyakumari is very much required which is southern tip of the country. It will boost the overall growth of the State of Tamil Nadu.

I urge upon the Union Government to make necessary announcements and arrangement of New Railway Division at Kanyakumari immediately.

(iv) Regarding construction of sea walls along the coastal belt

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I wish to bring to the notice of this august House the problems being faced by people in coastal areas.

The Coastal belt areas in my constituency has been facing the fury of the sea for the past few days during the heavy rain lashing the district. High tidal waves are causing havoc in these areas. More than 1000 houses have been flooded.

During this crisis, the Coastal people are being shifted to relief camps. Though arrangements were made at tsunami shelters, most of the affected preferred to shift to their relatives' houses.

So, for the safety of the families near the coastal belt, I urge the Government to make efforts for completing the construction of sea walls in these coastal areas.

HON. CHAIRPERSON : Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav – not present.

———————

15.09 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019 AND HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2019

HON. CHAIRPERSON : Now, we will take up item nos. 11 and 12 together. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move the following resolution:

> "That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, be taken into consideration."

माननीय सभापति जी, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और उनकी शिक्षा के समग्र विकास संबंधी कार्य करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी शिक्षा का विनियमन करने के लिए अन्य बातों के साथ दो संवैधानिक निकाय बनाए हुए हैं। इनके नाम हैं – भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् और केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद्। होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 में केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् सीसीएच के

गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और अभ्यास, होम्योपैथिक के केंद्रीय रजिस्टर के रखरखाव और उनके संबंधित मामले का विनियमन करता है।

हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी को संपूर्ण विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त हो गई है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् होम्योपैथी को भारत में चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी महत्व प्राप्त हुआ है। यह देश में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है। भारत सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की अपनी क्षमताओं के साथ इसके विकास को बहुत उच्च अग्रता प्रदान कर रही है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा में सुधार करने और सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाने के लिए वर्ष 2002 में होम्योपैथिक केंद्रीय अधिनियम परिषद् 1973 का संशोधन किया गया और इसमें धारा 12क जोड़ी गई। इसमें नए कॉलेजों को खोलने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने और नया पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान है।

यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि घटिया कॉलेज न खोले जाएं या ऐसे पाठ्यक्रम शुरू न किए जाएं अथवा ऐसे ही सीटें न बढ़ाई जाएं। केंद्र सरकार ने होम्योपैथिक परिषद् संशोधन अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसे 13 अगस्त, 2018 को अपनी सहमति प्रदान की थी और होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन अधिनियम नामक एक समकक्ष अधिनियम भारत के राजपत्र में 2018 को अधिनियम संख्या 23 के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान हैं –

1. एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद् का पुनर्गठन होने में जो भी पहले हो, उस समय तक केंद्रीय सरकार द्वारा शासक मंडल की नियुक्ति करके सीसीएच को अधिक्रमित करना है।
2. केंद्रीय परिषद् द्वारा बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा सभी मौजूदा होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा।

3. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एवं योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों से युक्त शासक मंडल को परिषद् का कार्य सौंपा जाएगा।

तदनुसार आयुष मंत्रालय ने 18 मई, 2018 को एक शासक मंडल का गठन किया। एससीसी संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 3क के प्रावधानों के अनुसार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा छ: सदस्यीय केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् के शासक मंडल के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। इस शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 तक था। इस शासक मंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए होम्योपैथिक कॉलेजों को अनुमति देने संबंधी मामलों पर समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किया है । सीसीएच के शासक मंडल ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अनिवार्य और राष्ट्रीय पात्रता स्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करने के लिए विनियमों का भी संशोधन किया है।

वर्ष 2020 के लिए इस शासक मंडल में निरीक्षण और सिफारिशों की प्रक्रिया चल रही है, जिसके जुलाई 2019 तक पूरे होने की संभावना है। इस शासक मंडल का कार्यकाल केवल 17 मई, 2019 तक ही था और कॉलेजों के निरीक्षण जैसे शैक्षणिक कार्यकलाप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसलिए शासक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय ने वर्तमान होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1973 और उसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद् का प्रतिस्थापन करने के लिए 7 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति, राज्य सभा ने 7 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक, 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय समिति को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अध्यादेश, 2019 नामक यह आध्यादेश 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय परिषद् के पुनर्गठन

की अवधि वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है । शासक मंडल परिषद् के कार्यों का सम्पादन एस.सी.सी. अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कर रहा है । उपयुक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् संशोधन विधेयक, 2019 पर विचार करें और होम्योपैथिक के विकास के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसे पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

> "That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019"."

> "That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, be taken into consideration."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, there is a sheer coincidence that on the earlier occasion when the Ordinance was promulgated on the same issue – with regard to Homoeopathic Council of India – at that time also I had moved a Statutory Resolution, disapproving the Ordinance promulgated by this Government.

Sir, we all know that promulgation of Ordinance should be done in extraordinary circumstances coupled with extraordinary situations. But what we are observing is that this Government has been, at regular intervals, resorting to Ordinance route much to the chagrin of the sentiment of the democratic people of our country.

Sometimes it is felt that the Government is running preferably on the basis of Ordinances as if it is a Government of the Ordinance, by the Ordinance and for the Ordinance.

The argument that has been expounded by my hon. Minister is far from convincing. So, still I am taking a strong exception to the way Ordinance was promulgated. Heavens would not have fallen upon us had the Government waited for a few months. But the Government is so impatient about promulgation of Ordinances that is really beyond any rational explanation.

Sir, the Ordinance-making power was first provided for in the Government of India Act, 1935 to allow the then Governor-General of India to promulgate Ordinances in such circumstances that made it necessary for him to take immediate action. The 1935 Act stated that such Ordinances would have the same effect as of the law passed by the then colonial Federal

Legislature of India, but still we are inheriting the colonial hangover and often resorting to Ordinances.

You may say that during Congress regime also, Ordinances were promulgated, but I am saying it again that an extraordinary situation could be the basis for promulgation of an Ordinance. The first Speaker of the Lok Sabha, Mr. Mavalankar had on several occasions disapproved the action of the Government to promulgate Ordinances during the inter-Session period, particularly on the eve of Session. In January, 1947, he had observed:

> "It was obviously a wrong convention for the Executive Government to promulgate Ordinances merely because of shortage of time. That power was to be exercised only when there was an emergency and the Legislature could not meet. It was not a desirable precedent to promulgate Ordinances for want of time, as inconvenient legislation might also be promulgated in that manner."

On 22.02.1952, when a Member questioned the desirability of promulgation of an Ordinance to pass what was virtually a Money Bill, the then Speaker observed:

> "I myself do not like promulgation of Ordinances. It is only in extreme cases that an Ordinance should be issued. The ordinary rule should be 'No Ordinance'."

I emphasise again that the ordinary rule should be 'No Ordinance'.

In July, 1954, he also brought the matter to the notice of the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru stating:

> "We, as first Lok Sabha, carry a responsibility of laying down traditions. It is not a question of present personnel in the Government but a question of precedents; and if this Ordinance issuing is not limited by convention, only to extreme and very urgent cases, the result may be that in future, the Government may go on issuing Ordinances giving the Lok Sabha no option, but to rubber-stamp the Ordinances."

So, the Government should not turn the Lok Sabha to rubber-stamp the Ordinances.

The practice of vesting law-making powers in the Government in the form of promulgation of Ordinances does not exist in other democracies, such as the UK, the USA, Australia and Canada. This is because the Legislatures in these countries have an annual calendar of sittings such that they convene regularly through the year, that is, for a few weeks every month. Of course, India is a different country and our Constitution is distinct from those countries'. However, I am again stating that at regular intervals, invocation of Ordinance does not augur well for the health of democracy. I do not know whether the hon. Minister will agree with my contention.

Here, we are talking about the Homoeopathy Central Council Act which was enacted for the constitution of a Central Council of Homoeopathy to deal with education and practice of homoeopathy. I am goaded to give a brief historical background of homoeopathic medicine in our country. Homoeopathy has become a popular form of medicine. The reason behind this is that it is cheaper; it is economical; and it has no side effects. So, crores of people of our

country are used to be treated by homoeopathy. Due to the popularity of homoeopathy, there has been a demand for a long time for recognition of homoeopathy as a system of medicine by the Government of India.

Sir, in April, 1937, Mohamad Giasuddin, an MLA from Bengal, moved a Resolution in the Legislative Assembly for the recognition of Homeopathy. The Resolution was passed and forwarded to the State Governments for its implementation and Bengal was the first Province to constitute a Homeopathic State Faculty in 1943.

After the formation of National Government on 17th February, 1948, again, Shri Satish Chandra Samanta, Member of Parliament from West Bengal, moved a Resolution for consideration by the Constituent Assembly of India, which runs as follows:

> "*This Assembly is of the opinion that the Homeopathic system of treatment be recognised by the Indian Union and a General Council and State Faculty of Homeopathic Medicine be established at once."*

An amended Resolution was moved by Shri Mohan Lal Saxena, Member of Parliament in the following terms:

> "*In view of the fact that treatment by the system of Homoeopathy is restored to by many people, this Assembly is of the opinion that the Government should consider*
>
> 1. *The making of arrangements for the teaching of Homoeopathy;*

2. The advisability of having Post Graduate Courses of study; and

the advisability of regulating the profession and arranging for the registration of practitioners in order to raise and maintain uniformity of standards."

Sir, accordingly, the Homeopathy Central Council Bill was drafted and was introduced in the Rajya Sabha on 3rd April, 1972. Shri Jagdish Prasad Mathur, Member of Parliament moved a resolution in the Rajya Sabha for reference of the Bill to another Joint Committee of both the Houses and adopted by the House on the same day which is resolved as under –

"*That the Bill to provide for the constitution of a Central Council of Homoeopathy and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members"*

Sir, on 8th March, 1973, the Committee, in its 26th meeting, considered the draft report and adopted the Bill with some amendments in the preamble of the Bill as follows:

"*a few States have constituted State Boards or Councils either by legislation or by executive orders, for the purpose of registration of practitioners in Homoeopathy as well as recognition of medical qualifications in Homoeopathy. There is, however, no Central Legislation for the regulation of practice or for minimum standards of training and conduct of examination in the system of medicine on all India basis. A Statutory Central Council on the lines of the Medical Council of India of the modern system of medicine is a prerequisite for the proper growth of development of Homoeopathy. The main functions of the Central Council of Homoeopathy*

would be to evolve uniform standards of education in Homoeopathy and the registration of practitioners of Homoeopathy. The registration of practitioners on the Central Register of Homoeopathy will ensure that medicine is not practised by those who are not qualified in this system and those who practise, observe a code of ethics in the profession. The Bill is intended to achieve these objectives"

Sir, as far as Homeopathy is concerned, there is a chequered history. My State, West Bengal is very much attached with the evolution of Homeopathic practice across the country. Homeopathy was first introduced in India in 19th Century, flourished in Bengal and then spread all over India. Shri Mahendralal Sarkar was the first Indian – he happened to be a Bengali – who became a Homeopathic physician. Calcutta Homeopathic Medical College, the first Homeopathic Medical College was established in 1881. In 1973, it was recognised as a national system of medicine and set up the Council to regulate education and practice.

Sir, now, Homeopathy is the third popular method of medical treatment after Allopathy and Ayurveda. Every year, we are producing more than twelve thousands of Doctors. There are more than two lakh doctors available across the country. The Central Council of Homoeopathy is a statutory apex body under the Ministry of Health and Family Welfare, Department of AYUSH. It was setup in 1973, and part of the Professional Council of the University Grants Commission was formed to monitor higher education in India.

Now, I come to the point as to why the Central Council of Homoeopathy has failed in its responsibilities and not cooperated, which has warranted the

Government to invoke promulgation of the Ordinance. मंत्री जी, कृपया इधर ध्यान दीजिए।...(व्यवधान) आप महाभारत के संजय तो नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखें।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : According to the 'Statement of Objects and Reasons' of the Bill, the Central Council of Homoeopathy had failed in its responsibilities and not cooperated wilfully with the Central Government in carrying out its duties in the manner that is required to safeguard the standard of education and practice of Homoeopathy system of medicine. मेरा यह प्रश्न है कि ये विलफुली कोआपरेट नहीं करते थे तो आप क्यों चुप्पी साधे रहते थे? आप कहते कि इन्होंने विलफुली कोआपरेट नहीं किया इसलिए हमें ऑर्डिनैंस लाना पड़ा। आपकी गवर्नमेंट जो कहती है, चुस्त-दुरुस्त गवर्नमेंट, ट्रांसपरेंट गवर्नमेंट, क्या-क्या बोलते हैं, मिनमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, अगर यह रवैया सही है तो मान लीजिए कि उच्च स्तर के लोग, विलफुल्ली, मतलब सोच-समझ कर आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं और उसके कारण आपको ऑर्डिनैंस लाना पड़ता है। ये कैसे? यह क्या डाइकटॉमी नहीं है? यह मुझे हैरान करता है। आपने इससे बचने के लिए क्या किया, यह काउंसिल को भंग कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को बुलाया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपने पद पर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के चक्कर में आएंगे। क्या आपके पास उनके लिए कोई पनिशमेंट का इंतजाम नहीं था? सब कुछ छोड़ कर आप ऑर्डिनैंस पर भरोसा करते हैं कि आपको ऑर्डिनैंस बैशाखी की तरह मदद करेंगे। आपका गवर्नैंस नहीं है, आपका बाबू लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज उन सबसे बचने के लिए आप ऑर्डिनैंस को बैशाखी की तरह अपनाते हैं, यह सही नहीं है।...(व्यवधान) भाई साहब, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। अगर आपको डेलीगेट किया गया हो तो बिल में लिखना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Chowdhury, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, जब ये ऑर्डिनैंस लाए थे तो कहा था कि हम एक साल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स बना देंगे। पिछली बार आपने एक साल कहा था, अभी आप दो साल कह रहे हैं, अगले साले तीन साल कहेंगे, तो सालों साल गुजारते जाएंगे और आपका यह ऑर्डिनैंस आते रहेगा। हम आपको याद दिलाते हैं, आपने पिछले साल इसी सदन में वहां बैठ कर वादा किया था, कि मुझे एक साल की मोहलत दी जाए, एक साल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नहीं बल्कि पक्का काउंसिल बना देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि रजिस्टर अपडेशन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ,…(व्यवधान) आपको क्या हुआ?…(व्यवधान) ये जो रजिस्टर का अपडेशन नहीं हुआ, क्या यह हमारा दोष है या आपके शासन का दोष है? It is stated here that :

> "The Central Council of Homoeopathy could not be reconstituted within a period of one year as the State Registers of Homoeopathy were not updated for conducting elections to elect members to the Central Council of Homoeopathy…".

आप अपनी नाकामयाबी का स्वयं बयान देते हैं। आप इसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स में कह रहे हैं कि 'The Central Government had introduced the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 in Rajya Sabha on 7th January, 2019, which was subsequently referred to the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.' एक तरफ आप राज्य सभा में बिल लाते हैं, उसकी जांच-पड़ताल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं। दूसरी तरफ आप आर्डिनेंस लाते हैं। लोग इस सरकार को क्या कहेंगे? 'नज़र बदलो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों की दिशा बदलो, किनारा खुद-ब-खुद आ जाएगा।' आपकी न सोच है, न नज़ारा है और इसके चलते आप घूम रहे हैं। आपके पास न दिशा है, न कोई जाने का रास्ता है। आप

भटक रहे हो, आर्डिनेंस की चुंगल में भटक रहे हो । हर साल आर्डिनेंस लाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है।

The Minister assured Lok Sabha and Rajya Sabha while placing the Homoeopathy Central Council (*Amendment*) *Bill*, 2008, that the Council would be reconstituted within one year. Why was the term of the Body of Governor's extended by an Ordinance in 2009, which was not approved by Lok Sabha? Now, it has come before Lok Sabha in the form of an Amendment Bill, 2019. I am asking you, कि आपने कितने कालेज स्थापित किए हैं? पहले मोदी-1 सरकार और अब मोदी-2 सरकार चल रही है। आप एनडीए को भूल गए हैं और अब मोदी सरकार आ गई है। मोदी सरकार के ज़माने की बात करते हैं। How many new colleges of homoeopathy in India have been opened by the AYUSH Ministry since 2014 till now? How many were closed during the same period? You may please povide year-wise details. Did these colleges meet minimum norms? मैंने जैसा पहले कहा कि आपको स्टैंडर्ड मैनटेन करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के अंदर होम्योपैथी की पापुलैरिटी बढ़ रही है। आप यदि होम्योपैथी को इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, तो आम लोगों को हानि पहुंचेगी।

Sir, AYUSH doctors must be trained to deal with emergencies. This is my suggestion. Homoeopathy is very economical and scientific with no side effects. Hence, all primary health centres and hospitals should have homoeopathy dispensaries. आप हर अस्पताल में होम्योपैथी डिस्पेंसरी क्यों नहीं लाते हैं? लोगों के भरोसे के लिए आप ऐसा कीजिए। There is a great scope for research in homoeopathy. It should be encouraged by the Government. आप होम्योपैथी पर रिसर्च कराइए, लेकिन काबिल लोगों को लाइए। Strict law should be brought in so that people who are properly qualified would be allowed to practice. Stringent

criteria for teaching homoeopathy system of medicines in colleges should be put in place. This is my suggestion. Research should be carried out in homoeopathy, and it should be headed by people who are competent, sincere and serious. Lots of not-so-deserving people are heading top homoeopathy institutes which put students' career in danger. Kindly have a proper vetting process. There is no accountability of money allotted to the AYUSH for development and research. आयुष के तहत होम्योपैथी के लिए जो फंड दिया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी जानकारी आप हमें देंगे?

The Ministry of AYUSH shall be made in-charge for giving permission to persons to pursue education in colleges, and for offering homoeopathy courses, etc. In this regard, Clause 49 of the National Medical Council Bill, 2017 should be looked into. It focuses on bridge course that allows homoeopathy professional to prescribe allopathic treatment in rural areas. यह याद रखिए । This has been criticised as lowering the standard of rural health sector as allopathic treatment will now be delivered by a practitioner who took a shortcut instead of standard MBBS.

होम्योपैथी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वे गांवों में एलोपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं । आप पूछ लीजिए, आपके साथी भी हैं, हम भी सब जानते हैं।

The Bill focuses on the authority of the Central Government in addressing corruption. However, it does not ensure a robust mechanism for improving the quality of practitioners being trained under this Institute.

क्या आपके पास इसका कोई ऑडिट है? गांव-गांव और दूरदराज में होम्योपैथी डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई ऑडिट है? आपको ऑडिट करवाना चाहिए। आज हिन्दुस्तान

में क्या हो रहा है, आज डॉक्टर्स और पॉपुलेशन का रेश्यो अच्छा नहीं है । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक हजार पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है । अगर है भी, तो वह शहरों में है, गांवों में नहीं है।

HON. CHAIRPERSON : Your time is already over. Please conclude.

श्री अधीर रंजन चौधरी : मुजफ्फ़रपुर में जो एक्युट एंसेफेलाइटिस हुआ है, वहाँ 50 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है । आप देखिए कि क्या हालात है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग ठीक से कराई जाए। More bridge courses means more harm. The Government will permit more bridge courses under the curriculum of this Institute seeking to expand courses which will do more harm in the health sector. The Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council is an overreach of the Ministry. That role should ideally be delegated to an autonomous body.

ये मेरे सजेशंस हैं और मेरे दो-चार मुद्दे भी हैं । लेकिन हम सब चाहते हैं कि होम्योपैथी मेडिसीन का विकास सही तरीके से हो। आम लोगों को सुविधाएँ मिलें। एक करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी की सुविधाएँ लेते हैं। गिरिराज जी, सदानन्दपुर में भी आपके रिश्तेदार हैं।

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मनोज राजोरिया (करौली-धौलपूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

अभी मैं बड़ी गंभीरता से हमारे साथी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी जी की सारी बातें सुन रहा था । …(व्यवधान) Shri Adhir Ranjan ji, I am replying to all the questions you asked to the hon. Minister.

सबसे पहले तो हमें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए । …(व्यवधान) Sir, kindly listen to me.

जिस तरह से 2014 में जनता ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और उससे पहले, 2004 से 2014 के बीच, जिस प्रकार से पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और केन्द्र सरकार उस भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आँखें मुंदे रखती थी, यह लगातार चलता रहता था । अगर मोदी सरकार आने के बाद जब भी हमारी सरकार के सामने यह बात आई कि सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ज्यों ही यह बात हमारे मंत्री जी के सामने और हमारे प्रधान मंत्री जी के सामने आई, तो उसे सही करने के लिए वे तुरंत ऑर्डिनेंस लेकर आए, तो क्या यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कदम नहीं है? हमारे मित्र कह रहे हैं कि यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, ऐसी कौन-सी इमरजेंसी आ गई? एमरजेंसी यह थी कि मोदी सरकार में जब भी भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई भी मामला पकड़ा जाएगा, तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको रोकने के लिए एक्शन लिया जाएगा । इसलिए इस मैटर में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । पता नहीं क्यों, मुझे कांग्रेस के मित्रों से यह बात सुनकर अजीब-सा लगता है । मुझे लग रहा था कि आज एक महत्त्वपूर्ण विषय है । होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो गरीबों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है । देश में ऐसे सैकड़ों होम्योपैथी कॉलेज हैं, जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और बहुत-से ऐसे कॉलेज भी हैं, जो फ्रॉड तरीके से

चल रहे हैं। इसमें कुछ तो गड़बड़ी थी। सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में कुछ कॉलेजों को मान्यता दी जाती थी, उनमें कुछ नियमानुसार होते थे, कुछ नॉर्म्स को पूरा करते थे और कुछ में नॉर्म्स की कमी भी होती थी। उसमें कुछ सैटिंग हो जाती थी। वह सैटिंग इस सरकार ने आकर तोड़ी। आपको जानकारी होगी कि कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को, जो उसके पदाधिकारी थे, कानून ने उन पर कार्रवाई भी की। इसे रोकने के लिए जब ऑर्डिनेंस लाया गया, तो हमारे मित्रों को दिक्कत हो रही है। पता नहीं कांग्रेस के खून में या सोच में क्या चीज़ आ गई है कि जहां-जहां भ्रष्टाचार होता है, उन्हें आनंद आता है और जहां भ्रष्टाचार समाप्त होता है, उनको पीड़ा होने लग जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है!

माननीय सभापति जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मैंने राजस्थान के जयपुर से बीएचएमएस, एमडी किया है। एक होम्योपैथेक यूनिवर्सिटी है - राजस्थान यूनिवर्सिटी - वहां से मैंने होम्योपैथी में एमडी किया है। होम्योपैथी छोड़कर जब मैं वर्ष 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोक सभा में आया, तो मेरा भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे। मैं पुन: मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आयुष पद्धतियों को कभी भी इस देश में इतनी मान्यता नहीं मिली थी, जितनी माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर आयुष मंत्रालय का गठन किया। ऑल्टर्नेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को उन्होंने महत्व दिया और उसके लिए पूरा एक अलग मंत्रालय बनाया। उनकी नीयत के साथ ही उन्हें अच्छे योद्धा मिले, एक अच्छे मंत्री मिले - आदरणीय श्री श्रीपाद नाईक जी हमारे बीच में बैठे हैं - मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सबको भी आभार व्यक्त करना चाहिए, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में काम किया।

सभापति जी, 21 जून को जिस तरीके से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इससे भारत का मान-सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, इसमें आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। आयुष के माध्यम से पूरे देश के गरीबों, आम जनता और अन्य सभी ऑल्टर्नेटेव सिस्टम्स से माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है। उन्होंने ऐलोपैथी पर भी बराबर ध्यान दिया। माननीय चौधरी साहब, मैं स्टैंडिंग

कमेटी ऑन हैल्थ का मेंबर भी था। जिस तरीके से देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कमी थी, जिस तरीके से देश में एम्स की कमी थी, जिस तरीके से पी.जी. कोर्सेज़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी थी। कॉलेज इसलिए नहीं खुलते थे, क्योंकि वहां प्रोफेसर्स की संख्या नहीं होती थी। इस सब में पिछले पांच सालों के अंदर सुधार किये गए। आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में यू.जी. कोर्सेज़ में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं, पीजी कोर्सेज़ की सीट्स बढ़ी हैं। देश में **20** नये एम्स खोले जा रहे हैं। सबको साथ लेकर सबका विकास करने में हमारे प्रधान मंत्री जी विश्वास रखते हैं। इसीलिए, चिकित्सा पद्धतियों में भी उन्होंने ऐलोपैथी के साथ-साथ आयुष की जो पद्धतियां थीं, उन सबको भी साथ लिया और इसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया, आयुष मंत्रालय के साथ इंटरनैशनल योगा डे मनाया।

सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था, तब मुझे भी पीड़ा होती थी, कि हम जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहां हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते थे - एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मैडिसेन, गाइनी, सर्जरी, ईएण्डटी, ऑप्थ, सारे सब्जेक्ट्स जो एमबीबीएस में होते हैं, वे सारे होते थे। इनके अलावा हमारे तीन सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते थे। गाइनी के अलावा हमारे पास रिपर्ट्री होता था, मैटीरिया-मेडिका होता था और ऑर्गनन होता था। तब हमको लगता था कि काश, ऐसे कॉलेज़ हों, कि जब हम एमबीबीएस से कहीं कम नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कॉलेजों की क्वॉलिटी नहीं होती थी। वही साढे पांच साल बीएचएमएस करने में लगते थे, एमडी करने में तीन साल लगते थे, लेकिन फिर कमी कहां थी? कमी थी नीयत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेजों की क्वॉलिटी में और कॉलेजों की ट्रांसपेरेंसी में।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से, चाहे ऑर्डिनेंस लाकर काम किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका गया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 लाया गया। यह बिल पिछली बार भी लाया गया था। राज्य सभा में हमारे कुछ साथियों ने इस पर भी आपत्ति की थी, पता नहीं ऐसी क्या बात थी। अगर कॉलेजों को नियमित रूप से सही पैरामीटर्स के साथ सारे नॉर्म्स पूरे कर के चलाया जाता है, तो

इसमें क्या दिक्कत है? हमको कॉलेजों की ज़्यादा संख्या से, उसकी क्वॉन्टिटी से नहीं, उसकी क्वालिटी से मतलब है। यह छात्रों का भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है। ऐसा काम हमारे आयुष मंत्रालय ने किया है। इससे कहां तकलीफ होने वाली है? इसलिए मैं सोचता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, यह होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। यह बढ़ावा भी ऐसा नहीं है कि केवल कुकरमुत्तों की तरह कॉलेज खोल दें, उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह ऑर्डिनेंस, यह बिल लाया गया है। ऐसे अच्छे परपज़ के लिए ये ऑर्डिनेंस और बिल लाये गये थे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूंगा। इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया था। आपने हमारे मंत्री जी से सवाल किया कि उसे 1 साल के लिए किया गया था। ऐसा बिलकुल किया गया था, यह काम अच्छी नीयत से एक साल की उम्मीद से किया गया था। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पिछला कार्यकाल उठाकर देखिये। आपको हिन्दुस्तान में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने होम्योपैथी के लिए काम किया है, कहीं पर भी उनकी कार्यशैली में कमी नहीं है। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय पिछले पांच साल से काम कर रहा है और दोबारा वे नई पारी बड़ी ऊर्जा के साथ शुरू कर रहे हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि वे आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत की जनता के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। भारत को 21 वीं सदी में विश्व गुरू बनाने के लिए भी आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसमें हमें क्रिटिसाइज नहीं करके, बहुत पॉजिटिव दिशा में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। कितने कॉलेज खोले गए? मैं पुन: आग्रह करूंगा कि संख्या के बजाय, उनकी गुणात्मकता और उसकी क्वालिटी पर जाना चाहिए। अगर कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं, जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं तो उन कॉलेजेज़ को बंद करने के लिए कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें हमको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जहां तक एक साल से दो साल बढ़ा है तो किसी कार्य

की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह कोई गलत कदम नहीं है, सही कदम था ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ अच्छी चीजों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले पांच साल में होम्योपैथी की बात करता हूं, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, जयपुर के अंदर मेरे साथ जाकर इन्होंने एक बहुत बड़े 30 करोड़ रुपये के रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया । पूरे देश में होम्योपैथी के लिए जिस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली के अंदर बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली में आज तक क्यों नहीं बना? यह इस मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधान मंत्री जी का 'सबका साथ, सबका विकास' की एक परिकल्पना है। इस चीज़ को हमारे माननीय मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यहीं हमारा मन नहीं भरा, मैं एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरे देश में हैल्थ सेक्टर्स में जो काम किया जा रहा है, पूरे देश में आम जन को किस तरीके से अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, किस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स अधिक से अधिक बनें, किस तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में सेवाएं दे, विदेश नहीं जाएं, किस तरीके से जो नॉर्म्स हैं, चाहे वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया में हों, उनमें कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है, वे किए जाएं। सारे रास्तों पर काम किया जा रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि देश के गरीब आदमी तक, अन्तिम व्यक्ति तक किस तरीके से चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, कम से कम पैसे में पहुंचाई जाएं, अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, उसका प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न में पूरे सदन को साथ देना चाहिए, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो। यह एक राष्ट्रहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है।

माननीय सभापति जी, हमारे देश की सरकार ने पूरे देश में लगभग 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स खोलने की परिकल्पना की है। उन 1 लाख 25 हजार वैलनेस सेण्टर्स में से 10 प्रतिशत हमारे माननीय मंत्री जी के आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने दिए हैं। ये 10 प्रतिशत की

संख्या 12500 होती है । बहुत बड़ी संख्या में उन वैलनेस सेण्टर्स पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां होंगी । मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी श्रीपद नाईक जी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की कमान सम्भाल रहे हैं, जिस तरीके से आम जन के हित में काम कर रहे हैं, इनका हमें सहयोग करना चाहिए । इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी, मैं एक चीज़ से जरूर हमारे चौधरी साहब की बात से सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह गरीबों की चिकित्सा पद्धति है और कहा कि गांव-गांव तक, नीचे तक प्रत्येक डिस्पेंसरी पर डॉक्टर होने चाहिए, आपने यह मांग बहुत जायज़ उठाई है । मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी देश में जितने भी पी.एच.सी. हैं, उन पी.एच.सी. पर आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जो आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों, उनमें कम से कम 30 प्रतिशत होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों । जिससे होम्योपैथी के साथ अन्य आयुष पद्धतियों को भी बराबर बढ़ावा मिले । मैं चौधरी साहब की इस बात से समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय जी, जिस तरीके से बिल की भावना है कि देश में ईमानदारी के साथ काम किया जाए, जिस तरीके से भावना है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सब के लिए सुलभ चिकित्सा पद्धति उपलब्ध हो, मैं सोचता हूं होम्योपैथी सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है । इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज बनाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अगर हमको यह बिल लाना है तो यह बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है । मैं सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 का हमारे सभी साथी मिलकर समर्थन करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें ।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill 2019. The Central Council of Homoeopathy has been a

regulatory authority for education in homeopathy in India and it is an autonomous body. Since last one year, there has been a replacement of the Central Council by a governing body which does not represent homoeopathy professionals in true sense. Members of this governing body are picked and chosen by a process which has no selection criteria. Even homoeopathy professionals and UPSC-selected CGHS homoeopathy officers are not nominated in this body; doctors from the States have not been included in this governing body, not even from my State of West Bengal, which is against democracy. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill must incorporate the members of governing body from senior doctors of homoeopathy working across the country, especially those working under CGHS and different State Governments, following a definite selection criterion.

Since last one year, the educational institutions of homoeopathy in India have been facing a great problem. The permission for admission in BHMS course has been denied in many colleges and students from different areas are facing this problem. I urge the Minister to look into this matter. The National Institute of Homoeopathy is a pride for the fraternity and West Bengal is suffering from shortage of teaching staff, both technical and non-technical, which is creating delay in work delivery for the common man and the fraternity.

The required number of CGHS medical officers has increased from four to 14 as per population ratio, whereas we have seen only six doctors in Kolkata and there is a shortage in Siliguri, Jalpaiguri, Asansol and Durgapur.

Siliguri and Jalpaiguri are in the northern part of my State of West Bengal which is a rural-dominated area.

मंत्री जी यहाँ पर बैठै हुए हैं । I come from West Bengal and my senior colleague from Congress Party has already mentioned that people of West Bengal have started homoeopathy first. हमने यह चीज़ देखी है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स में यहाँ गवर्नमेंट हर चीज़ निष्पक्ष करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन्स में कहीं-कहीं पर देखा गया है कि मेडिसिन्स लेने के टाइम पर इंडियन मेडिसिन्स को न चाहकर डॉक्टर्स **ज्यादा** से **ज्यादा** जर्मन मेडिसिन्स या दूसरी मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। यह चीज़ हमने देखी है और हमें खुद भी इस चीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिली है। जब 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी यह बात कहते हैं, सरकार यह बात कहती है तो फिर क्यों हम लोग इंडियन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं**?** क्यों जर्मन मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है**?** इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम खुद होम्योपैथी मेडिसिन्स लेते हैं और हमारा जो क्षेत्र आरामबाग है और बंगाल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि जो भी साधारण पब्लिक है, वे लोग ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ तरह के जो रोग हैं, उनको हम लोग होम्योपैथी से निर्मूल कर सकते हैं।

16.00 hrs

कैंसर जैसी बीमारी है और कोई कीमो ले रहा है या रेडियोथेरिपी ले रहा है, उसके बाद वह होम्योपैथी में स्विचओवर करता है तो हमने देखा है कि ज्यादा दिन तक वह जीता है। क्योंकि मेरे फादर को भी जब कैंसर हुआ था तो हमने रेडियोथेरिपी के बाद राज्य सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने पिताजी का इलाज करवाया था। उसके बाद जब हमने उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलाया तो आज वे ठीक हैं। हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध हो, यह हम चाहेंगे ताकि अच्छा इलाज लोगों को मिल सके।

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं - The project of All India Institute of Homoeopathy at Narela in New Delhi has been stopped. Why has it been stopped? Why has only a limited branch of the Institute of Homoeopathy been opened? You may just clarify that.

अंत में, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्रपति जी भी होम्योपैथी दवाई लेते हैं और यह बहुत दुख की बात है कि हमारे राष्ट्रपति भवन में आयुष क्लीनिक is still running under a contractual doctor. So, there is an urgent requirement for posting a permanent doctor in this prestigious clinic. मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह कर देंगे और अगर करेंगे तो कितने दिन में? हमारे वेस्ट बंगाल में टीचर्स का क्राइसिस है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि न्यू रिक्रूटमेंट हो सके और स्टूडेंट्स को अच्छे शिक्षक मिल सकें और वे लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें। क्या आप भी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और अगर लेते हैं तो क्या आप इंडियन दवाई को ही प्रमोट करेंगे? इस सबके बारे में हम उत्तर में जरूर सुनना चाहेंगे । धन्यवाद।...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

… (व्यवधान)*

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairman Sir, *namaste*!

At the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to convey my party YSRCP's stand on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019.

As we all know, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha by hon. Minister Shri Shripad Yesso Naikji on June 21, 2019. The Bill seeks to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973 as well as aims to replace the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 that was brought out on March 2, 2019.

Before I start my talk, I would like to mention that I am an allopathic doctor. There are various religions in our country. But as Swami Vivekananda said, 'All of them ultimately teach us to do good and be good'. Similarly, we have many alternative medical systems in this country. As we see, under AYUSH we have Ayurveda, Yoga, Unani, Homoeopathy, and Siddha. In every medical system the final goal is to make every human being healthy because health is wealth. Everybody should live their full length of life span in a healthy way. We should understand the limitations but at the same time every system of medicine is good.

* Not recorded.

I want to say something about our Ayurveda guru Maharishi Charaka. He wrote *Charakasamhita*. After writing *Charakasamhita*, he wanted to know the reaction of the people and what they have learnt from it. He asked many people about, 'What they have understood from *Charakasamhita*?'

But he was not happy with their answers. Finally, he came across one person who replied by saying, 'हितभुक, मितभुक, ऋतभुक' makes one healthy. This means we should take food which is suitable to our body, it should be taken in less quantity – we should take small, frequent meals – and the food should be earned by following *dharma*. Every medical system has its own identity. We have unity in diversity. We should promote all branches of medicine and it is left to the people to decide which branch to choose. The Government's duty is to set norms and promote research to find out as to which branch is the best, to have some vigilance over every medical research.

With this brief introduction, I would like to continue with my speech. Sir, the 1973 Act had set up the Central Council of Homoeopathy which totally regulates homoeopathic education and practice in our country. In order to ensure transparency and to improve the quality and functioning of the colleges governed under the said Act, the Central Government had initiated certain important steps, including promoting the use of information technology in colleges.

However, Sir, the Central Council of Homeopathy had failed in its responsibilities and not cooperated wilfully with the Central Government in carrying out its duties in the manner that is required to safeguard the standard

of education and practice of Homoeopathic system of medicine. The unfortunate incident was that the Chief of the Central Council of Homeopathy was caught by the CBI for accepting, I am sorry to say, a bribe of Rs. 20 lakh for granting approval to a college.

Therefore, the Central Council of Homoeopathy was required to be superseded by introducing the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 and thereby, the Board of Governors was constituted in its place on 18th May, 2018 for a period of one year or till a new Central Council of Homoeopathy was reconstituted. The said Ordinance was replaced by the Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018.

Hon. Sabhapati ji, as we all know, the Central Council of Homoeopathy could not be reconstituted within a period of one year as the State Registers of Homoeopathy were not updated and were not in a position for conducting elections to elect members to the Central Council of Homoeopathy.

In addition to that, with an aim to supersede the Central Council of Homoeopathy and to repeal the Homoeopathy Central Council Act, 1973, the Central Government had introduced the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 in the Rajya Sabha on 7th January, 2019, which was subsequently referred to the Department-related Standing Committee on Health and Family Welfare. Therefore, the period of one year for reconstitution of the Central Council of Homoeopathy was required to be extended to two years so that the Board of Governors could continue to perform the functions of the Central Council of Homoeopathy.

However, due to dire need for urgent legislation in this regard, the President had Promulgated the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 on 2nd March, 2019.

16.09 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

In this regard, hon. Sabhapati ji, for the overall and comprehensive betterment of the Homeopathy sector, there is a dire necessity to introduce the Homoeopathy Central Council Bill, 2019 to replace the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 to provide for extending the period for reconstitution of the Central Council of Homoeopathy from one year to two years.

Our Party, YSR Congress, totally supports this Bill and requests the Government to nominate experts in Homeopathy, who have a proven track record of integrity, as members of the CCH and we also express sincere hope that the alternate systems of medicine, like Homoeopathy, Unani, Ayurveda, etc. are taken adequate care of and that the AYUSH sector grows in the country.

Thank you, Madam.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Jai Jagannatha. Madam, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I, on behalf of my Biju Janata Dal Party, stand in support of this Bill.

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 amends the Act of 1973 to provide for the supersession of the Central Council. The reason which necessitated this amendment was gross corruption, charges against its own President and members, who despite the corruption charges, continued in their office. Besides the members, some other officials also continued to hold the office even after completing their term in the Council. Even the selection or the appointment process was questionable. मैडम, एक बात दिमाग में आती है कि सन् 1973 से यह होम्यापैथी सैंट्रल काउंसिल फॉर्म हुआ, परंतु इतने साल हमको लग गए, इस चीज़ को समझने के लिए कि हमें एक नया काउंसिल बनाना है, जिससे यह थोड़ा प्रॉपरली चलेगा, प्रॉपरली मैनेज्ड होगा। It is really shameful on our part. I wonder what this side of the Government was doing when they were on the Treasury side. I am thankful to the present Government. At least, you thought of bringing an Amendment. …(*Interruptions*) You got many years.

In the last five years, at least you thought of bringing an amendment and I really appreciate this. Our State is standing with you. Our Biju Janata Dal Party and our leader, Shri Naveen Patnaik Babu, stand with this Amendment which is really necessary and which was necessary since long.

Through you, Madam, I would like to ask one question. What actions have been taken against the corrupt people who were involved in this Homoeopathy Central Council? Will this corruption be checked after a new

Council is formed? Will there be any kind of mechanism that would not allow anyone to continue with such kind of corruption, such kind of disruption and such kind of dysfunction of the Council?

The present Council failed in maintaining uniform standard of medical education at the Under-Graduate and at the Post-Graduate levels. It also failed in upholding the ethical practices in the Indian systems of Homoeopathy and it lacked transparency. There were malpractices in recognition or de-recognition of institutions pertaining to homoeopathy. It failed to produce the expected skilled and professionally-competent medical graduates. Finally, it also failed in assessing the requirement of the quality teaching, training, infrastructure and conducting proper inspections.

The NITI Aayog also recommended replacing the Council when the National Commission of Homoeopathy was there for policy making for medical education in homoeopathy. It also recommended for four mutually independent Boards for better and efficient management of homoeopathy.

Madam, we recommend homoeopathy because the treatment is very easy. Though the treatment is long, but it is not painful at all. I remember my childhood days. These days also, I sometimes consult homoeopathy doctors and I take homoeopathy medicines. My family does believe in homoeopathy. It is very cheap. It is very accessible for economically weaker people.

Through you, Madam, on behalf of my Biju Janata Dal Party and Odisha Government, I give an open offer to the hon. Minister. The hon. Minister should consider opening a Homoeopathy University in my constituency, Kendrapara,

Odisha and I shall ensure that the State Government shall provide all kinds of support that is needed. The people of Kendrapara would love to have a Homoeopathy Institute there. I am sure that this university shall serve crores and crores of people, especially the backward people who are not able to access high-rated allopathic medicines or any such kind of medicines. Thank you so much, Madam. Jai Jagannatha, Bande Utkal Janani.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदया, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन), 2019 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदया, सरकार पहले ही 2 मार्च, 2019 को अध्यादेश ला चुकी है । अब संशोधन पर सदन में चर्चा हो रही है । संशोधन के बाद केन्द्रीय परिषद् की पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष किया जा रहा है । अभी माननीय चौधरी जी भी इसका विरोध कर रहे थे । अगर कोई अच्छाई होती है तो विपक्ष में विरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है । अधीर रंजन चौधरी जी पुराने नेता व साथी हैं, विदेश से भी तुलना कर रहे थे कि विदेशों में यूरोप और इटली में अध्यादेश नहीं लाया जाता है । इस तरीके की बात करके अध्यादेश लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है । जब आपकी सरकार थी, उस समय हम लोग भी विपक्ष में थे । उस समय भी आप अध्यादेश ला रहे थे, इसलिए मैंने यह बात बोली कि चौधरी जी हर बात में विरोध करते हैं । जब सदन में कोई अच्छी बात होती है, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

इससे निदेशक मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के कार्य निष्पादन में मदद होगी । सरकार का यह कदम काफी सकारात्मक है । बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रतिष्ठित और योग्य होम्योपैथिक डॉक्टरों और प्रख्यात प्रशासकों को कार्यभार सौंपा गया है । आशा है कि यह होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को काफी चुस्त-दुरुस्त एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होगा । सरकार भी इससे सहमत है कि परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । अभी हमारे साथी भी बता रहे थे कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है ।

सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक होम्योपैथिक कॉलेज है । मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । नालंदा में बिहार राज्य का सबसे पुराना होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार शरीफ में है । वह वर्ष 1969 से संचालित है । यह बिहार का एकमात्र मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय था, जिसको मान्यता बिहार राज्य

स्वास्थ्य विभाग, आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई थी। वर्ष 2019-20 में उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। सारे लोग नाराज हैं। हम लोग जब चुनाव में गए थे तो कई बार इसको झेलना पड़ा था। वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स भी निकलते हैं। कई लोग नौकरियों में चले गए हैं। फिर भी ऐसा होता है कि आप एक बार नहीं, दो बार टीम को भेजिए, जाँच कराइए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का वहाँ कॉलेज है, वहाँ 200 से 400 मरीज डेली रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वैसे कॉलेजों की भी छंटनी न कर दी जाए। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के नालंदा में जो कॉलेज है, उसको निश्चित रूप से वर्ष 2019-20 के लिए मान्यता दे दें, जिससे कि वहाँ के छात्रों को लाभ मिल सकें।

होम्योपैथिक कॉलेज जो बिहार शरीफ में है, मैं उसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि काफी सुदृढ़ बिल्डिंग बनी हुई है और काफी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। इसलिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष रूप से होम्योपैथी चिकित्सा खास कर बिहार, बंगाल, ओडिशा, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए अनिवार्य हो गई है। जो असाध्य रोग हैं, चर्म रोग हैं, वे इससे काफी ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से ठीक नहीं होते हैं। इस तरह से इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे गरीबों को लाभ मिले। हमारे कई साथियों ने कहा कि बंगाल, ओडिशा और बिहार पहले एक था। उसके ग्रामीण परिवेश में हर गाँव में एक-दो डॉक्टर्स होते हैं, जिससे काफी गरीब लोगों को राहत मिलती है। दो रुपये की पुड़िया, पाँच रुपये की पुड़िया में दवाई ले जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन दवाई से ठीक होते हैं। इसलिए होम्योपैथी इलाज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार रिसर्च पर ध्यान दें, इसके लिए और जो भी हो सके, गुणवत्ता युक्त होम्योपैथी चिकित्सा में गुणवत्ता लाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे होम्योपैथी बिल के बारे में बात करने का अवसर दिया। यह संसद में मेरी पहली स्पीच है। मैं अपनी किसी त्रुटि या गलती के लिए अभी से क्षमा माँग लेता हूँ। मैं खुद आयुष इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सालों से निकटतम से इस इंडस्ट्री के साथ कार्य करता आ रहा हूँ।

The Central Council of Homeopathy Act, 1973 created the CCH Body virtually independent of Government oversight. It operated in a world of shadows without proper transparency. We have to realise that Bodies that become and tend to become independent without proper Government oversight will always lead to corruption and this corruption can lead and ruin lives of various students across the country. This was found in this Body. The President and Chief of the Body was arrested by the CBI on October 22, 2018, in a sensational case, and the suspected middleman, Shri Hari Shankar Jha, who paid worth Rs. 20 lakh to a homeopathic college, was also arrested.

Firstly, I would like to congratulate our hon. Prime Minister and the hon. AYUSH *Mantri* who is present here today in the House. This *Mantralaya* was created in 2014 and it has been very pro-active since then. For the first time since Independence we have had the AYUSH being recognised and given its due by the Government. We are extremely grateful from the industry that this Government accepted the need to create a separate Ministry. All of us can see the benefits of creating this Ministry. What has happened over a period of time is that AYUSH has really grown by leaps and bounds in the last five years. I am extremely grateful to the *Mantri ji* here for spending so much time and effort in upgrading the infrastructure, especially on research and development. The

hon. Prime Minister got a day declared as an International Day of Yoga. This has created awareness and also has created a tremendous amount of goodwill for India. Today, the world recognises the positive aspects and health aspects of yoga. We would be very grateful to the Government if they can do the same with the rest of AYUSH system of medicines.

I would like to tell my esteemed colleague and learned friend from the Opposition Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who asked about the need for bringing in an Ordinance, that sometimes an Ordinance is really necessary, crucial and also critical, if various lives are going to be put at stake, especially the lives of the students. Today we have 231 Homoeopathy colleges, out of which 198 are private colleges. Most of these colleges were running without oversight; without having proper functioning; without any transparency; some of them were even without proper infrastructure and without enough staff to teach the students there. I am grateful to this Government for bringing in this Ordinance because if this Ordinance was not promulgated, then we would have had the same case as we had in Ayurveda where six colleges were de-recognised. Every time a college gets de-recognised, imagine the plight of the students who have put in three to four years of hard work and study and all of a sudden, they are left with no place to go. The student does not get a valid degree and his entire time, money and effort gets wasted. So, we should be grateful to the Government for bringing in this Ordinance. At least the future of those students was saved.

Madam Chairperson, I am also grateful to the Government for trying to improve the quality of these colleges. Today, you have got a Governing Body which is filled with experts. I heard a demand here that people from all States should be included. I think, a Governing Body should really be filled with experts. It cannot have people from various States being represented. We need proper Registrars and we need learned homeopathic doctors in the Council. We need a Council which is independent in thought and action, which can govern and upgrade these colleges.

Unfortunately, what happens today with most of the Ayurveda and Homeopathic doctors is that they are so under-paid when they pass out of these colleges. Their basic charge per patient is Rs. 30 to Rs. 50 whereas somebody from the Western system of medicine tends to charge a consultative fee of a minimum of Rs. 100 to Rs. 150. Today, if we cannot bring these doctors at par, our new doctors coming out from the AYUSH system, and if we cannot upgrade our colleges, the systems will never get recognised worldwide.

Today, Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy and Yoga systems are knowledge source industries for the country. The more we promote these, the more will be the foreign exchange earnings by the Government. These are the true Make in India components. This is our power house of knowledge. We will be very grateful to the hon. Minister of AYUSH if he can help to promote or get recognition for Ayurveda and Siddha across the world as they have managed to do with Yoga.

I would happily support this Bill and hopefully, we will see that the Governing Council for Homeopathy is created very quickly and experts are really brought in for the students who are going to be appearing for their exams and these colleges are upgraded. Thank you.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दी है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब से इन्होंने अपना कार्य संभाला है, आयुष मंत्रालय ने बहुत प्रगति की है। भारत में होम्योपैथी की कानूनी रूप से शुरुआत करीब वर्ष 1973 में हुई। इससे पहले वर्ष 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जोहान मार्टिन होनिगबर्गर को अपने उपचार के लिए आमंत्रित किया। इसकी कामयाबी के बाद होम्योपैथी की भारत में मान्यता बढ़ गयी।

माननीय सभापति जी, इस विधेयक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के पूर्ण गठन की अवधि को मौजूदा एक साल से बढ़ा कर दो साल करने का प्रावधान है, ताकि निदेशक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके। इससे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद् के कार्य-निष्पादन में मदद मिलेगी।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का कामकाज निदेशक मंडल को सौंपा गया है, जिसमें प्रसिद्ध और शिक्षित होम्योपैथी डॉक्टर तथा प्रख्यात प्रशासक शामिल हैं। परिषद् के पुनर्गठन होने तक कार्यकाल का विस्तार किया गया है, क्योंकि होम्योपैथी के स्टेट रजिस्टर के अद्यतन न होने के कारण तथा संयोग से आम चुनाव होने के कारण समिति का पुनर्गठन एक साल में नहीं किया जा सकता है। आज के जमाने में कम से कम दस प्रतिशत जनता होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ लेती है। कई सरकारी दवाखानों और अस्पतालों में जो डॉक्टर्स वहां निगरानी करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स होम्योपैथी के हैं। अगर इसकी चर्चा करें तो पूरे देश में 23,730 औषधालय और कुल मिलाकर 7 लाख डॉक्टर्स इसमें कार्यरत हैं, परन्तु इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण कई सारे दिक्कतें आती हैं।

महोदया, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई कॉलेजों में बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी की डॉक्टरी शिक्षा लेते हैं। उनमें होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए कई सारे दिक्कतें आती हैं। इस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। सरकार को देश भर में होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कई सारे डॉक्टर्स होम्योपैथी की डिग्री लेते हैं, उन्हें भी इसे बढ़ावा देना चाहिए। आज 12वीं कक्षा के बाद कोई छात्र एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहता। आज होम्योपैथी तथा आयुर्वेद की तरफ जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। सरकार को होम्योपैथी को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति देने की जरूरत है। इसमें किसी विशेष वर्ग के लिए छात्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी होनहार छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

इसके अलावा, सरकार को होम्योपैथी की पढ़ाई में रुचि दिखाने वाले छात्रों को सेल्फ गारंटी के आधार पर बैंक से बिना किसी ब्याज़ के लोन देने का प्रावधान करना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की मौजूदा एक साल की अवधि को बढ़ाकर दो साल किया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Madam for giving me this opportunity.

I am very happy to participate in this discussion on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019. My wife is practising Homoeopathy. I and my family members are using Homoeopathy medicines for the last 23 years. Now, my wife has developed a concept of treatment regarding obesity and weight management. The obesity and weight management treatment is done by using Homoeopathic medicine....(*Interruptions*) Our hon. Member, Shri N.K. Premachandran's wife is a Homoeopathic Doctor. He is also going to participate in this discussion.

I am sharing the feelings of the other hon. Members regarding the corruption at the apex level of the Homoeopathic Council. I am not going into the matters in detail.

The Central Council of Homoeopathy is the apex body which controls the Homoeopathic education and practice in India. The main job of the Council is to formulate a syllabus for degree and post-graduate education and to conduct inspections in colleges to see whether the regulations of the Council were implemented. Most of the allegations about the Council are regarding inspections and recognition of some of the sub-standard colleges.

Homoeopathy is the safest and the cheapest method of treatment available in the world, though it has some limitations. India has two and a half lakh registered practitioners. They can be posted in the rural areas and can provide the first level of qualitative treatment to the poor people in rural India

and can ensure healthcare for people of all villages. Only cases which require hospitalisation and more treatment need be referred to the main centres. Homoeopathy can provide it in the cheapest way since Homoeopathic medicines are the cheapest when compared to the cost of other treatments.

The State of Kerala is an example for utilisation of Homoeopathic Doctors. We have a Homoeopathic dispensary or hospital in almost all panchayats and almost one lakh people are utilising the services of the Homoeopathic Doctors at the grassroots level every day. Kerala has commendable achievements in many parameters of public health. The Reports of the Central Government's recent study show that Kerala is no. 1 in public healthcare among other States.

The previous Council had around 60 members out of whom 14 members were nominated by the Central Government, and there was one member from Homoeopathic faculty in different universities apart from elected members from different States. But the elections in different States and faculties were not conducted at the proper time and hence, many members continued even after the expiry of their term, since in the act, there is a clause that the members can continue until the next person is elected.

I have one suggestion. This extension of the term can be curtailed by conducting the elections six months before the end of the term of previous members.

Some of the members are continuing in the Council even for more than 25 years and they belong to the private management lobbies. My suggestion

is that this can be prevented by fixing the maximum term of a member as two terms.

The Central Council of Homoeopathy Act is not implemented in many States uniformly. This leads to difficulties in the recognition of qualifications of different States. My suggestion in this context is that the newly proposed Bill should have a provision to make it mandatory to all States and if any university is not following it, it should not be allowed to conduct courses.

At present, not all the subjects have post graduate courses. My suggestion to the hon. Minister is that post graduate courses should be started in all subjects.

Now some States have three or four times more members than other States and some States have only one member for every 10,000 registered practitioners. These States are controlling the Council. My suggestion to the hon. Minister is that each State should have only one elected representative irrespective of the number of registered practitioners.

As far as inspections are concerned, most of the complaints against the Council are about the lack of uniformity in inspections which leads to corruption. A team of inspectors may be selected from the teachers of different colleges and they should be trained to do inspections and no member from the Council should be made inspector. I would like to submit that only teachers may be appointed as inspectors. If any college feels that they are discriminated, a provision may be made for a re-inspection with a certain fee.

To improve the standard of the teaching faculty, an all India examination like UGC NET should be conducted for post graduate holders who intend to become teachers. An outside body may be entrusted with the conduct of this examination.

There should be a system of grading of colleges depending on their results in university exams, facilities in the colleges and running of collegiate hospitals.

Sir, we do promote homoeopathy. But we should give priority to the rural areas. The Government should take initiative and establish dispensaries in the rural areas. We are now focussing on medical colleges and big hospitals. At the same time, we have to give priority in setting up dispensaries also. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखूंगा। भारत में होम्योपैथी का इतिहास 200 साल से अधिक पुराना है। इस सस्ती चिकित्सा प्रणाली को पिछले 50-55 सालों से इस देश के अंदर बढ़ावा नहीं दिया गया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 2014 से 2019 के कार्यकाल के अंदर आयुष मंत्रालय का गठन किया। होम्योपैथी सहित पूरे देश के अंदर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को किस तरह बढ़ावा मिले, किस तरह गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जो बिल लेकर आए हैं, निश्चित रूप से परिषद के गठन की बात बढ़ेगी। वैज्ञानिकों और अपनी क्षमता के बलबूते होम्योपैथी विकसित होती रही। होम्योपैथी एलोपैथी के बाद दुनिया में बड़ी चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। यह ऐसी चिकित्सा विधि है जो शुरू से ही चर्चित, रोचक और आशावादी पहलुओं के साथ विकसित हुई।

दुनिया में जन-स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से निबटने में एक तरह से कील सिद्ध हुई है। महोदया, प्लेग हो या सार्स, अभी स्वाइन फ्लू देश के अंदर बढ़ा, मलेरिया, टीबी, दस्त और लू जैसी जो भी बीमारियां घातक थीं, अगर कहीं ये लाइलाज हुईं, तो होम्योपैथी दवाई स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया या दूसरी बीमारियों में पिलायी जाती है, तो बहुत बड़ी राहत मिलती है।

आज टीबी की दवाएं प्रभावहीन हो गई हैं। शरीर में और ज्यादा एन्टीबायोटिक्स को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। ऐसे में होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। अनेक घातक महामारियों से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाओं की एक पूरी रेंज उपलब्ध है। आज आवश्यकता इस पद्धति को मुकम्मल तौर पर अपनाने की है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक विस्तारित करने के लिए उपबंध हेतु प्रस्तुत हुआ है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को बचाने के उद्देश्य से मैं

स्वास्थ्य मंत्री जी और भारत सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों के बाद अब मोदी जी का सेंकड टर्म है। आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इससे देश के अंदर पचास करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। आपने बीस नये एम्स देश के अंदर खोले, जहां सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, आपने राजस्थान को आठ नए मेडिकल कॉलेज दिए। आज घुटनों का ऑपरेशन और वॉल की बीमारी हर चौथा-पांचवां व्यक्ति, जो पचास साल से ज्यादा उम्र का है, प्रभावित पाया जाता है। इसके लिए सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाए।

योग की शुरूआत हिन्दुस्तान से हुई थी। इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था। यह प्रधान मंत्री जी की देन है एक योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। योग की वापस एक नए सिरे से शुरूआत हुई। आज हर तीसरा आदमी कहता है कि मैं योग करता हूं, प्राणायम करता हूं।

HON. CHAIRPERSON : Please maintain silence.

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदया, मैं अपनी तरफ से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। आज जगह-जगह पद खाली पड़े हैं, दवा उपलबध नहीं है। होम्योपैथी के अस्पताल में एलोपैथी की दवा बेचते हैं। इस मामले में सरकार को पूरी मोनिटरिंग करनी चाहिए। इस चिकित्सा प्रणाली से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान खोले, जिनमें यह चिकित्सा प्रणाली पढ़ाई जाती हो।

दूसरा, ग्रामीण स्तर तक इस पद्धति का विस्तार हो, इसके लिए भारत सरकार देश के राज्यों को निर्देश दे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कम से कम सी.एच.सी. के स्तर तक चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रणाली का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए चिकित्सकों को लगाया जाए। जिस परिषद का गठन केन्द्र सरकार कर चुकी है, उसमें इस तरह की प्रणाली

विकसित की जाए। होम्योपैथी से जुड़े चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की प्रभावी मोनिटरिंग भी हो।

मैं दोबारा आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले 55-60 सालों का सड़ा हुआ सिस्टम था। जिस तरह प्रतिपक्ष के लोग होम्योपैथी के लिए कह रहे थे, उन्होंने 50-55 सालों में अंदर देश के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारी व्यवस्था को बदलने के लिए शुरुआत की। पहले पहली पारी थी, अब दूसरी पारी है। निश्चित रूप से आम आदमी और गरीब आदमी तक लाभ पहुंचे। हमने देखा, पिछले पांच सालों में अच्छे बिल आए। अब बिलों की नई शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा, मैं पहली बार जीत कर लोक सभा के अंदर आया हूं। पहले विधान सभा में तैयारी के साथ बोलता था। तीन बार विधान सभा में विधायक रहा हूं। लोक सभा में आप पहली बार चेयर पर हैं और मैं बोल रहा हूं। आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी होम्योपैथी और आयुर्वेद की विश्व के अंदर पहचान बनाएंगे। होम्योपैथी के अंदर जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो पढ़-लिख कर डिग्री लेकर बैठे हैं, जितने भी खाली पद हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन हों, राज्यों को निर्देशित करके खाली पद भरे जाएं। होम्योपैथी को और ज्यादा बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on this Bill. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 has been brought by hon. Minister and my good friend, Shri Shripad Yesso Naik. This Bill's main objective is to ensure transparency, improvement in quality of homoeopathy treatment and smooth functioning of the Homoeopathy Central Council. The Father of the nation, Mahatma Gandhi Ji had quoted:

> The Homoeopathy cures a larger percentage of cases than any other method of treatment, and is, beyond doubt, safer and more economical."

The thoughts of Bapu reflect the larger reality of millions of people, which is access to economical and affordable treatment as conventional systems of allopathic medicine remain unaffordable.

Homoeopathy as a system of medicine offers an alternative to conventional forms of medicine. It is relied upon by a vast population, thereby, necessitating a time-bound reform in the form of functioning of governing bodies regulating the system.

The proliferation of homoeopathy, as a system of medicine, has found acceptance among Keralites. The successive State Governments have supported creating grassroots infrastructure in the State. The State of Kerala, now, features a homoeopathy clinic in every Panchayat. Just now, my good friend Shri A. Ariff has mentioned about it. The hon. Minister is very much aware of homoeopathy treatment in Kerala.

Such support and encouragement to homoeopathy must be made a policy priority in the Union Government and all efforts must be made to enhance access to homoeopathy medicine in the country with a dedicated and targeted policy initiative.

The reference model for successful homoeopathy medical institution and research facility is the ANSS Homoeopathy Medical College in Kurichy, which falls in my Constituency Mavelikkara, where research and teaching are simultaneously conducted. Such institutions can be referred to as the base model upon which similar institutions can be conceptualised.

The generation of employment is another concern and needs to be addressed by the Union Government as there are numerous graduates passing out BHMS Course and are in search of gainful employment. The Government must create more posts and vacancies for them on a priority basis.

The NHM and the NRHM are managed by the Ministry of Health and Family Welfare. We have to promote the health sector. We also have to help the people. The Government should provide more money to the State Governments for spending on health sector. Unfortunately, the Central Government is not helping the State Governments in implementing the NHM, especially, in the AYUSH sector. That is why, we are not reaching our goal. Therefore, I would like to request the hon. Minister in this regard. The General Budget is coming. The hon. Minister has to request the hon. Finance Minister to provide sufficient funds to the Ministry of AYUSH.

The number of doctors in homeopathy stream, as furnished by the hon. Minister for AYUSH in the House, stands at 2.8 lakhs. This figure is significant as reliance on traditional and pluralistic forms of medicines, especially, homeopathy is increasing after people realise the efficacy of traditional and parallel forms of medicine. The Government on its part needs to augment the efforts at promoting the growth of homoeopathy medicine by making specialised programmes and support in building infrastructure at local Government level as well as taking steps to provide gainful employment for homoeopathy graduates.

The establishment of Centres of Excellence in Homoeopathy Research and Medicine should become a priority subject for the Government through a structured policy addressing the demand for alternative medical systems in the country with sufficient budgetary allocations.

With the rising population, India need more and more avenues of accessible medicine and Homoeopathy is an option that needs to be harnessed for its capabilities.

In my constituency, Kuttanad is a backwater area. So, people are very seriously affected by water-borne diseases in my area. People are preferring Homoeopathic treatment for all the water-borne diseases. But, unfortunately, our Homoeopathy Department or Health Ministry could not reach there and give sufficient Homoeopathic treatment. I would like to request the hon. Minister to especially take care of Kuttanad because there are water bodies in

the entire area of Kuttanad. So, during the monsoon season, every year, people naturally suffer from chikungunya, Japanese encephalitis etc.

Coming to the Bill, Homoeopathy means the Homoeopathic system of medicine and it includes the use of biochemical remedies. This is the definition. But, at the same time, it is quite redundant. The new definition could be as under. Homoeopathy means the Homoeopathic system of medicine including biochemical remedies and use of all modern tools and advances in science for diagnosis, prevention of medicine and promotion of health. This is the correct definition. Your definition is objectionable.

The justification of this definition is this. Aphorism 3 of 'Organon of Medicine', the book on basic principles, clearly says that every physician should have a clear knowledge about the diseases in general and diseases in particular and how to cure and the obstacle to recovery. This calls for proper diagnosis, prognosis and treatment with medicine and use all auxiliary.

I am not going through all the provisions of the Bill. But I would like to point out some of the important issues here. The overall nomination procedure – this is very important – may be made simple through the Administrative Ministry. It may not be by the Ministry of Home Affairs. Criteria of nomination may be laid down in the rules. In that, consultation with MHA may be made one of the criteria. Out of the seven persons, three may be with an academic background, one with an administrative background, one may be a researcher, and two persons may be with clinical background or with experience in public health sector.

There are other National Institutes such as the National Homoeopathy Research Institute in Mental Health, Kurichy, Kottayam, which is in my constituency and the National Institute of Homoeopathy, Delhi etc. which may not get any representation in this Bill. A provision may be made for representation from these academic institutions also. These two Institutes are going to be Centres of Excellence. That proposal is pending with the Ministry. The hon. Minister is very much aware of the importance of these two institutions. Therefore, I would like to request through you, Madam, the hon. Minister to include representatives of these two Institutes.

The Advisory Council shall consist of a Chairperson and ex-officio Members. It is a very ambitious proposal. This may not be viable as these persons shall not have any sensitivity towards a medical system like Homoeopathy. Secondly, they always remain engaged with high-end academic programmes. Therefore, the Government may nominate persons of high academic background who are sensitive to the system such as former Directors of IITs, IISCs, former bureaucrats etc.

Though this is an Advisory Council to the Homoeopathy Commission, not even one person with Homoeopathy background is made a Member. The Vice Chancellors of the Universities, the Directors of IITs, IISCs and IIMs are all persons from diverse fields. They had several pressing responsibilities and without having eminent persons from the medical education, this Committee shall be directionless.

Certainly, the vice-chancellors, secretaries of AYUSH etc. cannot become a Member in the regulatory bodies like Homoeopathy Council. The regulator should be independent from Administration. The Vice Chancellor is the administrative unit of the University. There may be one Member from the Faculty of Homeopathy.

At the end of my speech, I would like to remember Swami Athuradas. He is the architect of Homoeopathy in Kerala. There is one Athura Ashram. Swamiji has tremendously propagated Homoepathy treatment throughout Kerala. He has established several hospitals and he travelled throughout Kerala and also outside Kerala.

Now, I congratulate the hon. Minister. Recently, he came to Trichy and installed a statue of Swami of Athuradas in Trichy Homeo Research Institute.

Through you, Madam, I would like to the request hon. Minister that the Ashram which was established by Swami Athuradas should be taken over by the AYUSH Ministry. The Minister has installed the statue. He must also take care of the Ashram. That is very important as far as Homoeopathy is concerned.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam, I think what this Bill proposes is very simple. This Bill has come to this House for discussion in 2018. The only change is this. Earlier it provided one year for the establishment of new Council and now that needs to be extended by another year.

My simple question to the hon. Minister is this. We have already given them one year to reconstitute it. Now, the excuse that they have is that the State registers for the Homoeopathy doctors has not been updated in this one year. I would like to know from the hon. Minister that what makes it sure right now that the extended year is enough to update this register. What kind of information do we have that within one year which we are providing for the establishment of this new council is enough? It also leads to another question. You are extending the term of the existing Board of Governors by another one year. We already faced this problem with the existing Council. It has led to corruption, it has led to illegal activities and it has led to lot of activities that we were not proud of. So, when you are extending the term of this existing Board of Governors, what makes us sure again that they are not going to commit any mistake which the earlier Council has committed?

I have another question. In 2018, one Bill was brought in and now, in 2019, with some amendment, it is being discussed right now. We also had another Bill that was proposed in the Rajya Sabha which was the National Council for Homoeopathy. It had a very in-depth analysis of what needs to be done regarding the Homoeopathy situation in India. It has had various

proposals within that Bill. The National Commission for Homeopathy Bill speaks about various issues. Some of them being the constitution of National Commission for Homoeopathy, the functions of the National Commission for Homoeopathy, establishment of autonomous boards, advisory council for Homoeopathy and also entrance exams, etc. They were discussed in this Bill and appeal on matters related to professional and ethical misconduct was also there. So, these are some of the important issues that are plaguing the Homoeopathy Council. These were all discussed in that Bill which was sent by the Rajya Sabha to the Standing Committee.

Now, we are discussing this Bill. We are extending it for one more year. But what seems to be the question here is that once the Standing Committee sends us the Report on the National Commission for Homoeopathy Bill, what would be the situation of the Government?

17.00 hrs

Is it going to bring another Bill by including all those recommendations? Or, is it going to extend this and involve all of them in this particular Bill? So, this needs to be clarified in this august House.

Since this opens up the whole debate about the homoeopathy situation in India, there are a number of believers who believe in homoeopathy. Even though allopathy seems to be the most prominent one, there are lakhs of patients who actually believe in this. I am not a doctor myself but I certainly believe that the treatment or the way the patients are treated is equal to the way the belief in the system is for the patient also. So, homoeopathy needs to be given due importance, and for that, there are a lot people who are actually getting educated and becoming homoeopathy doctors also. The Government has taken a good decision to involve the Ayurvedic medical doctors in the regular PHCs giving them an opportunity to serve the poor and the needy at the grassroot level.

Even today if we see, the medical situation in this country, the mental well-being and the physical well-being of this country, needs to be improved a lot. I am not saying that the Government is not doing anything but certainly, whatever we are doing is not enough at this moment. So, why do we not include the homoeopathic doctors into the PHCs also? That is one food for thought that this Government has to ponder over because there is dearth of resources; there is dearth of infrastructure in terms of medical facilities that we are offering. There is a requirement for more doctors also. I cannot compare

the homoeopathic doctors with the regular MBBS doctors who are there because their structure is different. Their syllabus, their course, their requirement—everything is different. But certainly, can there be a bridge course that can be established so that the homoeopathic doctors can at least attend to the first-aid or some initial requirements when an emergency trauma accident happens or something like that happens? Can we offer a bridge course whereby these homoeopathic doctors get the eligibility to treat the patients at the initial stage? This is something I want the Government also to look into.

Other than that, I think, definitely, it is a good cause that they are wanting to establish a Council for homoeopathy with good intentions. They want to regulate education. They want to give proper course system to the students also. Being a young Member, I really appreciate the work that is being done by the AYUSH Ministry and the hon. Minister himself. It is a pride of India--Ayurveda, Unani—these are all old medical systems. …(*Interruptions*) Now I am not old. I am second time MP but I am still young.

So, I really appreciate all the good work that is being done by the Ministry. I hope that we actually get due importance in this field at the international level also. We have already established our presence in terms of yoga and lot needs to be done in terms of medical practices also. I feel that this is the time where India can lead the medical practices across the world.

There are many important doctors who are doing it. Homoeopathy certainly has its place in the country and in the world also. I wish the Government to push all its legs through this Bill and through homoeopathy also. I wish it all the best.

Thank you very much, Madam, for giving me the opportunity to speak on this Bill.

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Madam, being an Allopathic doctor, I am speaking for homoeopathy. It is a great medicine. India, in the past, had Ayurvedic, Hikmat and Homoeopathy. Unfortunately, the Minister will know that over the years, many of those people, who had this medicine, died without leaving those prescriptions behind.

Just to take one minute to recall, in my medical college, when I was in the last year of the medical college, those days we used to get patients with eye ulcers, corneal ulcers. They could not be treated. Today, you have got grafting that stuff. Then, from a temple a *sadhu* came. He used to put a poultice on the eyes of these people and that corneal ulcer would disappear. My professor, Prof. Sharma, at that time went to this *sadhu* and said if you give us the prescription, it can help the whole world. He gave him the prescription of various ingredients which he made a poultice into and put it on the eyes of those patients. Instead of getting better, they became worse because there was something in this which he did not give. When the professor went back to the temple to see him, he had vanished. That was one of the problems with our homoeopathy medicine. A number of people took this medicine with them.

Today, Madam, if you look at the homoeopathy institutions, they are in terrible conditions. Even in Delhi, you can look at them. They need to be upgraded. Then, research is one of the important things, if you really want to develop this medicine. One good thing in homoeopathic system of medicine is that its dangerous trends or dangerous affects are hardly noticed or are hardly there. In allopathic medicine, if you go beyond certain amount of dose, it can

be dangerous. That is one of the greatest things that homoeopathic medicines have. But today you need good teachers of homoeopathy.

I have seen myself that some of these allopathic doctors are using Cortizone and antibiotics and prepare small *pudis* (powder) of it and say that this is the homoeopathic medicine. This has to be taken care of because if you really want to develop homoeopathy, it has to be from the basic medicines. They have to collect all sorts of *jadi butis* from the mountains.

Today, if you look at where the homoeopathic medicines are coming from, they all are coming from Germany. Today we are using German medicines as homoeopathic medicines. We find nothing of our own. You will be surprised that in my own State, when I was the Chief Minister, I appointed homoeopathic doctors. They did not want to have their services. They said that they wanted allopathic doctors.

The fundamental thing why we have blown homoeopathy out is because we have not promoted it. We need to promote it and give maximum funding so that we can have research which can beat the Western medicines. That is what we need and I hope that the hon. Minister will take care of it because Homoeopathy, Ayurveda and Hikmat systems of medicines are India's greatest things. If you can develop these medicine systems, I do not think that we will have to go to the medicines that the West sends us.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधयेक, 2019 यहां लाया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। सद्भाग्य से पिछले पांच सालों से मंत्री जी यह डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काफी संशोधन किया है, काफी अच्छी प्रगति की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सद्भाग्य से उनका और मेरा संसदीय क्षेत्र नजदीक है। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि उनकी यह टर्म भी अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली हो।

सभापति महोदया, आज अगर हम बढ़ती हुई बीमारियों को देखें तो ऐलोपैथी साइड के डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जैसा कि हमारे माननीय संसद राम जी ने कहा है कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। आपको भी यह जानकारी होगी। खासकर, ग्रामीण इलाकों में 100-150 डॉक्टर्स की जरूरत रहती है, लेकिन वहां केवल 20-25 डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी सारी डिस्पेंसरीज बिना डॉक्टर्स के रहती हैं। ग्रामीण इलाकों के लोक प्रतिनिधि चाहते हैं कि इस साइड के डॉक्टरों की वहां अप्वाइंटमेंट होती है और उनकी तरफ से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम किया जाता है तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है।

मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की संकल्पना आपके पास है। मंत्री महोदय जी, आप मेरे क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र के दोडामार्ग, वेंगुर्ला और बहुत बड़े जंगल में वहां वनस्पति है, वहां आयुर्वेद रिसर्च सेंटर हो सकता है और उससे बहुत फायदा हो सकता है। खासकर, आपके डिपार्टमेंट ने हर एक जिले में 50 बेडेड आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण करने का एक प्रावधान रखा है। कई माननीय सांसदों ने उसके लिए आपसे मांग भी की है और आपने भी उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया। जहां जरूरत है, अगर वहां 50 बेडेड आयुर्वेद अस्पताल तैयार होता है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो मिलना मुश्किल है, सभी मरीज आयुर्वेद अस्पताल में जा सकते हैं, उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। लोगों को एलोपैथी पर जितना भरोसा है, उतना ही भरोसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर भी है।

मरीज चाहते हैं कि हमें इंजेक्शन की बजाय होम्योपैथी की गोलियां यदि मिल जाएं, तो हम अच्छे हो जाएंगे। लोगों का इस पद्धति पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि संशोधन के माध्यम जो सुझाव आए हैं, उन पर आप अमल करेंगे।

17.10 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

महोदय, पूरे देशवासियों को होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले तथा ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के डाक्टर्स हों, तो लोगों को फायदा हो सकता है।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा यह कहा गया कि इसकी क्या आवश्यकता है और उन्होंने यह कहा कि आप क्यों इस तरह से अध्यादेश लाते हैं तथा इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं सभी सत्ता पक्ष के पूर्ववक्ताओं से अपने को संबद्ध करता हूं, क्योंकि उन्होंने सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर दी है। अध्यादेश लाने का एक प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन को कोई रोक नहीं सकता है। अध्यादेश जनता का भला करने के लिए लाए जाते हैं और जब सत्र चालू गति में नहीं होता, उस समय अध्यादेश लाए जा सकते हैं, यह बात सभी विद्वान साथी जानते हैं। कांग्रेस की विरोध करने की परम्परा है और उनकी आदत भी बन गई है। जहां देश में हजारों अध्यापक फर्जी पाए गए, जहां करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन फर्जी पाए गए हों और जहां बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड पाए गए हों, वहां उन्हें अध्यादेश के बारे में कुछ न कुछ बोलना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है।

महोदय, मैं होम्योपैथी की दो-तीन बातें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने अपने दो वकील साथियों के बच्चों का होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तभी से होम्योपैथी का बड़ा फैन हो गया। एक साथी का बच्चा पैदा हुआ और उसके अंग जुड़ गए। डाक्टर ने कहा कि बच्चे को 12-13 दिन का होने दीजिए, हम इसका ऑपरेशन करके अंग अलग कर देंगे। मेरे एक साथी होम्योपैथी के डाक्टर थे और वे वकालत भी करते थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हम आपको होम्योपैथी की दवा देते हैं, आप एक-एक बूंद डालते जाइए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी वे डाक्टर हैं, जैसे ही उन्होंने दवाई डालनी शुरू की, 12-13 दिन में वे जुड़े हुए अंग स्वयं ही खुल गए। यह होम्योपैथी की तारीफ है।

हमारे एक वकील साथी की लड़की की आंखों में पैदा होते ही कीच भरने लग गई। सभी एलोपैथी और आंखों के डाक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि यह हार्मोनल प्रोब्लम है। जैसे ही इसके हार्मोन्स डेवलप होंगे, आंखों में कीच आनी बंद हो जाएगी। तब उन्हीं डाक्टर ने कहा कि मैं

आपको आंखों में डालने और खाने की दवाई देता हूं। आप दो-तीन दिन दवा दीजिए। पहले दिन दवा खिलाई और आंख में डाली तो आंख आधे से ज्यादा साफ हो गई। दूसरे दिन आंख थोड़ी और साफ हो गई और तीसरे दिन बच्ची की आंख पूरी तरह से साफ हो गई और आज वह बच्ची दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। यह होम्योपैथी का बहुत बड़ा चमत्कार है। इस पद्धति को लाने के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। सरकार की मंशा बहुत विशुद्ध है। जहां-जहां कमियां हैं, उन्हें माननीय नरेन्द्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं। मैं तो सदन के सभी साथियों से, जो पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि कभी आंख बंद करके विचार करें कि आखिर 24 घंटे में से 20 या 18 घंटे नरेन्द्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या वे लड़की के लिए, लड़के के लिए, पत्नी के लिए, माताजी के लिए, भाइयों के लिए, काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी मेरे लिए, देश के लिए और देश के बच्चे-बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ज़बरदस्ती कुछ-न-कुछ कहना है, कहे चलो और सरकार को घेरे चलो। सरकार के बारे में कहने का दुष्परिणाम सभी लोगों ने देख लिया है। यह तो मोदी जी के पास प्रभु का आशीर्वाद है कि जो भी कुछ बोलता है, वह उसके खिलाफ वैसा ही उल्टा हो जाता है। आप देखते जाइएगा, ऐसा लगातार होता है। इसलिए यह विधा चाहे जहाँ की भी हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो या भारत की हो, रोगी को कैसे ट्रीटमेंट मिले, उसका कैसे भला होना चाहिए, मानव कल्याण कैसे होना चाहिए, इसके पीछे केवल यही भावना होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूँ। इस सदन के माध्यम से पूरे देश को भी पता हो कि जैसे होम्योपैथी में मिरेकल्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी मिरेकल्स हैं। आयुर्वेद के एक वैद्य हैं- वैद्य बालेन्दु। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। वे महामहिम राष्ट्रपति जी के वैद्य भी रहे हैं। पैंक्रियाज़ में कैंसर हो जाए, पैंक्रियाज़ डैमेज हो जाए, तो इसका विश्व भर में कहीं इलाज नहीं है। मैं लिखकर देता हूँ। यदि यहाँ पर कोई एलोपैथी के डॉक्टर हैं, शायद फारुख साहब हैं, वे इसके बारे में जानते भी होंगे। वैद्य बालेन्दु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास देश-

विदेश के लोगों की भीड़ लगी रहती है। वे उत्तराखण्ड के उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बाकायदा डॉक्युमेंटेशन किया है, लिखा है कि कितने लोग ठीक हुए। लोग वहाँ पर बताते हैं कि हमको जिन्दगी इन्होंने दी। कई चीजें हैं। इसलिए हमारी पैथियाँ तो टेस्टेड हैं।

इसी तरह से, वैद्य पैनोली हैं। अगर आपकी किडनी खराब हो गई हो, किराटीन लेवल घट गया हो, बढ़ गया हो या खराब हो गया हो, तो वे पत्ते चुसने वाली औषधि, चूसने वाला चूर्ण, पानी में नमक की तरह डालकर पीने की औषधि आदि देते हैं। यदि आपका डायलीसिस हो रहा हो, तो वे कहते हैं कि डायलीसिस कराते रहो, उसकी दवा खाते रहो, लेकिन एलोपैथ का डॉक्टर बताएगा कि अब आप डायलीसिस बंद कर दीजिए।

ये हमारी पैथियों के गुण हैं। उन्होंने कई लोगों को जीवन दिया है। जिन लोगों की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थीं, उनको जीवन दिया है और आज वे लोग जिन्दा हैं। इसके लिखित प्रमाण हैं। इसलिए हमारी जितनी भी पैथियाँ हैं, वे एक से बढ़कर एक हैं।

गरुड़गंगा पत्थर के बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं, तो गरुड़गंगा एक स्थान है। अगर हम उसके पत्थर को घर के अंदर लाते हैं, तो साँप और बिच्छू घर में नहीं आते हैं। अगर साँप या बिच्छू काट ले, तो वह पत्थर को घिसकर लगा दीजिए, यह उनके जहर को खींच लेता है। अगर किसी बहन का प्रसव काल हो और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उस पत्थर को घिसकर एक कप पानी में मिलाकर पिला दीजिए। इससे प्रसव नॉर्मल हो जाता है। यह एक मिरेकल नहीं है तो क्या है? मैंने खुद देखा है।

काकड़ीघाट एक स्थान है जहाँ विवेकानंद जी भी गए थे। एक बार काकड़ीघाट में एक दुकानदार के घर में एक नाग फंस गया था। सात दिन बीत गये थे। मैं उस समय वहाँ का विधायक था। उन्होंने मुझे फोन किया था कि कोई सपेरा बुला दो, हम सात दिनों से घर नहीं जा पा रहे हैं। मैंने कहा- क्यों? उन्होंने कहा- चूहे को पकड़ने के लिए एक दाँत वाली मशीन होती है, उससे मैंने एक चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक नाग फंस गया और वह उसी को लेकर जा

रहा है और उसे जिस छेद से बाहर जाना था, वह उसी में अटक गया है। मैंने उनको बताया कि फलां संत हैं, जो गरुड़गंगा का पत्थर लाए हैं, उनके पास जाओ। यह देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया कि कैसा होता है, क्या होता है। अप्रैल का महीना था, सुबह सात बजे के करीब गरुड़गंगा के पत्थर को अंदर डाला, तो सांप ने उसे कैसे खोला, क्या हुआ, सभी लोगों ने देखा कि सांप कोसी नदी के अंदर चला गया।

चिकित्सा की पद्धति चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, ये टेस्टेड पद्धतियाँ हैं। इनको बढ़ावा देने में हम सभी को साथ देना चाहिए। हमारे चौधरी साहब ने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज किया है। मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आज सर्वमान्य तरीके से यह विधेयक पास हुआ है और वह भी होम्योपैथी का विधेयक पास हुआ है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Bill as well as the Statutory Resolution.

Sir, I rise to support the Statutory Resolution moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, but we have to support the Bill. There is no other option but to support the Bill because the period of one year is already over. Definitely, the Board of Governors has to act in order to conduct the affairs of the Central Council of Homoeopathy, and for which the Parliament has to give sanction so as to continue for a further period of one year. I have given a notice of amendment to this provision that let it be 18 months, which means that within six months, the election has to be conducted and the Central Council of Homoeopathy has to be reconstituted. This is my suggestion in my amendment.

Homoeopathy is a therapeutic system of medicine developed in the 18th Century by a German Physician, Dr. Samuel Hahnemann. It is a holistic system of medicine that stimulates and encourages one's own natural healing forces of recovery. Homoeopathy is safe, economic, gentle and effective. It has already established a name in treating acute, chronic and even genetic diseases.

Dr. Farooq Abdullah has also rightly mentioned that nowadays most of the deaths are caused due to overdose of medicines, which is creating side-effects and that may be the cause of deaths that we are witnessing in the

hospitals. As far as the Homoeopathic system of medicine is concerned, there are no side-effects. So, it is a safe, gentle and cost-effective medicine also.

A recent study conducted by IMRB on 'Acceptance of Homoeopathy in India' across Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, New Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad has revealed the fact that 59 per cent of people have shifted from Allopathy to Homoeopathy; and at least 77 per cent believe that Homoeopathy is the best form of treatment for long-term treatment. But it is quite unfortunate that there are lot of complaints about the quality of homoeopathic medical education. This is the main point that has to be addressed by the Government.

The quality of homoeopathic medical education prevailing in the medical colleges due to mushroom growth of self-financing Homoeopathic Medical Colleges is a big problem for the standard of homoeopathic system of education. This issue has to be addressed, namely, commercialisation of education, which lowers the standard of homeopathic education in the country as a whole. If you would examine it, then I can very well substantiate it.

The Central Council of Homoeopathy is the regulator of homoeopathy medical education, but this regulator is 'notoriously corrupt'. I may be pardoned for using these words. In this background, the Government has setup a four-Member Committee headed by the NITI Aayog Chairman to suggest measures to revamp the Central Council of Homoeopathy.

In the year 2018, we have amended the Central Council of Homoeopathy, Act of 1973. Drastic amendments took place in it like the

Central Council will be reconstituted within one year from the date of supersession of the Central Council of Homoeopathy; and a Board of Governors was also constituted. Further, a new provision was also incorporated in the Act, namely, 12C by which it shall seek permission from the Government of India for establishing new colleges, for commencing new courses, and increasing the capacity of students in the colleges for which the Government of India's approval is also required. This amendment was carried out in the year 2018, and I also took part during this discussion. It is a welcome step taken by the Government.

In order to streamline the functioning of the Central Council of Homoeopathy and also the standard of education, the Government has introduced a Bill of 2005. The hon. Minister may be remembering that there was a Bill of 2005 in the Rajya Sabha, which is still pending according to my information. The Standing Committee on Health submitted its Report on the Bill in the month of July, 2005, but still no action has been taken on the Bill.

In May, 2017, the Parliamentary Standing Committee on Health recommended that the Government should bring forward the 2005 Bill at the earliest so as to ensure proper functioning of the Council. The recommendations include that each Homoeopathic Medical College should be affiliated to a University. Secondly, each Medical College should get permission from the Government of India, and so many other recommendations were also there in the Standing Committee Report.

In May, 2015, another Bill has also been introduced in the Rajya Sabha, namely, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2015. To my limited information, that is also pending. The Government did nothing about the recommendations of the Standing Committee. The Standing Committee insisted for pushing forward the Bill of 2005. Instead of acting on the recommendations of the Standing Committee, the Government on May 18, 2018, promulgated an Ordinance, which has now been replaced and the Act has come into effect. I would like to know as to what has happened to these two Bills – the Bill of 2005 and the Bill of 2015 – and the Standing Committee Report. What is the fate of the Bills? That has now become insignificant because the Government is already going to take the National Commission for Homoeopathy Bill. So, definitely the same has no relevance at this juncture.

I would now like to make certain suggestions to the hon. Minister. Kindly bring the National Medical Commission Bill at the earliest before the House so that we can have a comprehensive law to administer and scrutinise the entire homoeopathic medical education in the country. I request the Minister to ensure continuity of the existing courses. Day before yesterday also, I met the hon. Minister. Every year, medical colleges have to come and get the sanction from the AYUSH Ministry. This is creating a big difficulty because when the NEET results come, students are not able to get admission in medical colleges only because of the reason that the Government is not recognising the courses. Every year, undergraduate courses have to be recognised by the

AYUSH Ministry. Let this be a permanent one so that we can overcome this difficulty.

In Kerala, there are five homoeopathic medical colleges. Oldest medical college, as the hon. Chairman is well aware, is in his constituency, Mavelikara, that is in Changanassery. Adhurashram Nair Service Society Medical College is there but in the last three years, this medical college has not been given recognition only because they don't have the bedded hospital, along with the medical college. You may kindly see that already we have a district hospital; we have the Central Government hospital; all the doctors, professors, and faculty are working in these medical colleges. We also have an In-Patient Hospital. Kindly examine the case of Adhurashram NSS Medical College, Kottayam. No recognition has so far been given. But the self-financing and other four colleges are not up to the standard of this NSS Medical College but even then, all the other four medical colleges have obtained the recognition for the courses. Kindly look into this matter. This is one of my suggestions.

Undergraduate courses should be given recognition for a particular period instead of colleges getting recognition each year. I have a suggestion to improving the quality of homoeopathic education. Kindly see the statistics. In Maharashtra, there are 53 homoeopathic medical colleges. Out of this, not even one is that of Government medical college. In Madhya Pradesh, there are 24 homoeopathic medical colleges, out of which, there is only one Government college, and the rest 23 are in the private sector. In Gujarat, there are 31 homoeopathic medical colleges, out of which, there is only one Government

college, and the rest 30 are private colleges. Hence, the Government of India should definitely come forward to give direction to the State Governments to see that they establish medical colleges under the direct supervision of the Government of India or a particular State Government or jointly to ensure that medical education in the homoeopathic sector is improved.

Regarding the postgraduate courses, under the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II, it is clearly mentioned about the postgraduate courses. But it is quite unfortunate to note that none of the universities in Kerala is accepting and recognising the postgraduate courses recognised by the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II. This is actually a violation. Postgraduate courses which are recognised, approved and included in the Homoeopathy Central Council Act, Schedule II is not being accepted by the universities in Kerala. This is nothing but violation of rules enacted by Parliament; it is violation of the Act of Parliament. This has to be dealt with very strictly. That is another suggestion I would like to make. After the Board of Governors has assumed charge of the Office of the Central Council of Homoeopathy, the staff pattern has also changed. How can it be like that? When the Central Council of Homoeopathy was there, the staff pattern was entirely different. After the new Board of Governors took over the charge of the Office, the staff pattern in each and every department has changed. It needs to be looked into. I would not go into the details of the departments because of the paucity of time.

Sir, it has rightly been pointed out that there is discrimination against the Homoeopathy Department within AYUSH in terms of budgetary allocation as compared to the Central Council for Research in Ayurveda. I am not going into the details of the matter because of paucity of time. That is a complaint which is being made by the faculty of Homoeopathy Department.

Sir, I would like to give a suggestion regarding quality of homoeopathic medicines. A separate pharmacy council for homoeopathy needs to be established to take care of the unique medicine manufacturing process involved in homoeopathy. So far, there is no separate pharmacy council. Secondly, a number of patented homoeopathic products are flooding the market without any safety or studies. This would ruin the reputation of homoeopathy and general system of healing. Strict regulatory measures should be brought to curb such practices. Lastly, more Government pharmacies should be established to ensure high quality of medicine manufacturing.

These are the suggestions which I wanted to make. I once again thank the hon. Chairperson for giving me time to speak and I appeal to the hon. Minister, kindly look into the issues which have already been raised, especially recognition of colleges because the students are finding it very difficult. In 2016-17, 2017-18 and 2018-19, no recognition has been given to the colleges. The students have appeared for the examination and the results have already come out but they are under the apprehension whether the college would be recognised in future or not. It is worrying their parents also.

I would also appeal to the hon. Minister, kindly conduct the election at the earliest so as to replace the Board of Governors by a democratically elected Central Homoeopathy Council. With these words, I support the Bill and I also support the Statutory Resolution.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक नैचुरोपैथी, ये ऐसे विषय हैं, जिनका लोग उपयोग करते हैं, या जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परन्तु सच यह है कि जो एलोपैथी है, जब हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परन्तु उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम महीनों और सालों झेलते हैं। मैं स्वयं कैंसर की और कई तकलीफों से पीड़ित हूँ। परन्तु ऑपरेशन के समय मैंने यह तय किया कि ऑपरेशन के समय जो भी ऐलोपैथी लेनी पड़ेगी, लूँगी, परन्तु मैं पूरे समय आयुर्वेदिक और ऐलोपैथी का इलाज करवाउंगी।

महोदय, मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, जिसमें से कैंसर की एक दवाई मुझे ऐसी दी गई, जिसे पूरे एक महीने में एक बूँद एक ही समय लेनी होती है, तभी उसका फायदा होता है। यह सच है कि मैंने वह रेगुलर दवाई ली, और उसका मुझे लाभ मिला। मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करवाया, जिसके कारण आज मैं खड़े होकर थोड़ा-बहुत चल पाती हूँ। आयुर्वेदिक दवा का मैंने स्वयं के ऊपर प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। मेरे पिता जी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए बचपन से मुझे इस पर विश्वास है।

महोदय, आयुर्वेद आज की परम्परा नहीं है। सतयुग में जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगी तब वहाँ जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि जाइए और वह बूटी उस हिमालय पर मिलेगी, परन्तु उसका एक समय है, आप अगर प्रात: के पहले लेकर आते हैं, क्योंकि वह समय से दी जाती है। हनुमान जी गए, उसको लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी, सिर्फ एक उपाय वह जड़ी-बूटी थी और हनुमान जी वैद्य जी के पास पूरा पहाड़ लेकर आ गए थे। वैद्य जी ने उस दवाई को चुना और चुनकर उनको दिया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए।

महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियां ऐसी हैं कि वे तभी प्रभाव डालती हैं, जब उनको समय के अनुसार शरीर की प्रकृति के अनुरूप परहेज करते हुए लिया जाए। शरीर और प्रकृति का जब अनुकूलन होता है तब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट असर करता है। इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ में परहेज अधिक बताया जाता है।

महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पैथी हो, लेकिन वह पैथी कभी भी बुरी नहीं होती है। वह जीवनदायी होती है। कोई भी व्यक्ति चार-पांच वर्ष की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनता है। पूरे समय वे अपना अध्ययन करते हैं। परन्तु आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी के ट्रेनिंग मानदेय में असमानता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस असमानता को दूर करें। जब विद्यार्थी पीजी करते हैं और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें एलोपैथी के विद्यार्थियों को अधिक व होम्योपैथी व आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को कम राशि मिलती है । इस असामनता को दूर कर बराबर स्कॉलरशिप राशि हो ।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आज होम्योपैथी काउंसिल पर जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इलाज भले ही थोड़ा लम्बा होता है, लेकिन आम लोगों की पहुंच में है। में एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन एलोपैथी फाइनैंशियली लोगों की पहुंच से दूर हो रही है। दूसरा, एलोपैथी एक इलाज को ठीक करती है तो किसी दूसरी बीमारी को शुरू कर देती है। दिल्ली में बी०आर० सूर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सैंटर सक्सैसफुली चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि होम्योपैथी आम लोगों की पहुंच में है, इसलिए इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक होम्योपैथी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन अब तक भी अगर आप पंचायत लेवल पर जाएंगे तो आप कांट्रैक्ट पर होम्योपैथी के डॉक्टर्स रखते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी और उसको बुखार हो गया था तो हम उसको लेकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब दवाई देने से पहले बहुत से क्वैश्चन पूछते थे कि कैसे वह उठती है, जब उठती है तो रोती है या हंसती है। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने क्वैश्चन क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास बुखार की सौ से ज्यादा दवाइयां हैं। उन्होंने कहा कि बुखार भी हमारा मित्र होता है। हम क्या करते हैं कि उसको एक-दो घंटे में एलोपैथी से ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस बुखार ने हमारे शरीर में मौजूद अन्य कीटाणुओं और जीवाणुओं को खत्म करना था, उसको दवाई से दबा देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब में भी होम्योपैथी का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। यह ट्रेडिशनल इलाज है, इसकी वजह से लोग एलोपैथी के महंगे इलाज से बच सकते हैं। आज से 20-25 साल पहले जो खुराक हुआ करती थी, आज वह बीमारी है। पंजाब में जब कोई दामाद आता था, परौणा आता था तो उसको चीनी में घी डालकर देते थे। आज चीनी भी बीमारी है और घी भी बीमारी है। पहले जो खुराक थी, आज वह बीमारी बन चुकी है। हमारे बड़े-बुजुर्गों को जब बुखार आता था तो वे धूप में सो जाते थे। धूप से वे अपना बुखार ठीक कर लेते थे। अगर पंजाब को भी होम्योपैथी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Respected Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise here to support this Bill. The Union Government has taken this step. It is highly appreciable.

In Tamil Nadu, there are not many colleges for homoeopathic medicine. So, I request the Government to improve and promote the homoeopathic institutions. I request the Union Government to allocate adequate funds for the alternative system of medicine. Usually, the Government makes no attempt to improve the alternative system of medicine. So, people usually depend upon the allopathic medicines.

The Government should come forward to improve and promote alternative system of medicine like homoeopathy medicine. In Tamil Nadu, I can see people who have completed homoeopathic medicine courses are trying to get jobs. They have no job opportunities, even though they have completed their homoeopathic medicine courses.

So, the Government should take some steps to create job opportunities for those who have completed their homoeopathic medicine courses. This is my request.

Thank you so much.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस होम्योपैथिक बिल के संदर्भ में इस चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव दिए हैं। यह जो संशोधन विधेयक है, किसी ने इसके बारे में कोई शंका प्रकट की है। मैं सबसे पहले हमारे मित्र माननीय अधीर रंजन चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत-से अच्छे सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से हमें उन्हें आगे लेकर जाना है। उन्होंने जिन कारणों से थोड़ा-सा विरोध किया है, मैं वह भी समझ सकता हूं। लेकिन उसके कारण सुनने के बाद आप भी उसको मानेंगे।

महोदय, हम वर्ष 2018 को यह अध्यादेश लाए थे। राष्ट्रपति जी ने भी इसको मान्यता दी थी। यह नया अमेंडमेंड नहीं था। जैसा कि आपने कहा यह पुराना ही था। हमने कहा था कि इसी एक साल में हम नए काउंसिल का गठन करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितयां ऐसी हो गई थीं कि यह हमारे हाथ में नहीं आ पाया। हमने सभी राज्यों से कहा कि इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, हर स्टेट का रजिस्टर बनना चाहिए। उसके बाद ही हम इलेक्शन कर सकते थे। कुछ राज्यों ने हमको सपोर्ट किया और रिस्पांस भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों ने नहीं दिया है। हमारा जल्दी से जल्दी यह प्रयास है कि जो लिस्ट डिजिटलाइज करनी है, रजिस्टर करना है, वह करने के बाद हम तुरंत इलेक्शन करेंगे। यह हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने फिर एक बार आपसे एक साल की मांग की है कि आने वाले साल में हम यह सब प्रक्रिया पूरी करेंगे।

आपका जो एक मुद्दा था कि आपने इस शासक मंडल को क्यों बर्खास्त किया, उसका क्या कारण था? वह कारण यहां डिस्कस हो रहा है। आपने इसके ऊपर हमें सुझाव दिए थे। आपने भी अपने विचार प्रकट किए थे। आप तो जानते हैं कि सभी माननीय सांसदों ने हमें सपोर्ट किया है, आपने भी हमें सपोर्ट किया है। एक काउंसिल जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका एक अधिकारी जब महीनों-महीनों करप्शन के चार्जेस में जेल जा रहा है। यह क्यों हुआ? जैसा कि मैंने कहा कि हम जो 12 ए का अमेंडमेंट लाएं, उसके बाद वर्ष 2003 में हमको थोड़ी पावर मिली। इसमें वर्ष 2003 के पहले हम दखल नहीं दे पाए। इस सबको ठीक करने का हमारे पास अधिकार नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बहाने हमने वह अधिकार भी प्राप्त किया है और सुचारू रूप से कॉलेज या

इंस्टीट्यूशन चलाने का आधार हमें मिला है। इसको जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इस कार्य पूरा करने के लिए हम और एक साल का समय मांग रहे हैं। हमें यह समय निश्चित तौर से मिलेगा और आप सब हमारी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। कई कॉलेज ऐसे थे, इस तरह से कॉलेज थे कि असल में वे थे ही नहीं, खाली सिर्फ पेपर्स पर ही वे कॉलेज चलते थे और बच्चों को सर्टिफिकेट ऐसे ही दिया जाता था। इतने बड़े देश में, आप सब लोग सहमत होंगे कि आज हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है और यहां इस तरह से बोगस डॉक्टर्स बने हैं, तो इस देश का और समाज का हाल क्या होगा। इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए कि यह सब नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो और ठीक तरह से डॉक्टर्स तैयार हों, वे अपनी सेवा समाज के लिए अच्छी तरह से दे सकें। जब कोई पढ़ाई ही नहीं होगी तो डॉक्टर्स इस तरह की सेवा कैसे दे पाएंगे? इस तरह से बहुत से कारण थे, इसलिए हम इस पर अध्यादेश लाए थे। आप तो जानते ही हैं कि 17 मई को वह खत्म हो रहा था, उस समय इलैक्शन का माहौल था, पार्लियामेंट सैशन में नहीं था, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया था। इसको पारित करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं।

माननीय सभापति जी, बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं, हमें एससीसी एक्ट में सदस्यों पर एक्शन लेने का अधिकार नहीं था। हम जब कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे तो डिसिप्लेन और बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने नए कॉलेज आपने खोले तो सन् 2014 के बाद 48 नए कॉलेज हमने खोले हैं। कुल मिला कर 236 कॉलेज होम्योपैथी के हैं और हमारा प्रयास है कि ये सभी कॉलेज अच्छी तरह चलें और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमें इनके अनुसार मिलें। इसी के लिए आज का जो हमारा अमेंडमेंट है, वह यहां पारित होना चाहिए।

आपने यह भी कहा कि मंत्रालय इस पर विनियामक बनना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक तरह से आगे ले जाने के लिए हमने यह प्रयास किया है और मेरे ख्याल से यह आपकी समझ में आया भी होगा।

17.47 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

हमने पिछली बार जब शासक मण्डल गठित किया तो इस साल अच्छी तरह से उस शासक मण्डल ने काम किया है। यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसने बहुत सी बैठकें की हैं और इस शैक्षिणक वर्ष 2018-19 के दौरान शासक मण्डल की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 12 नए कॉलेजों को 960 सीटों की अनुमति दी है। दो स्नातक पूर्व कॉलेजों में 75 सीटों में वृद्धि और 140 सीटों सहित आठ मौजूदा कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी है। सीसीएच शासक मण्डल ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा के जरिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संगत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विनियमों में संशोधन भी किया हुआ है। सीसीएच के शासक मण्डल ने निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएसआर नियमावली सन् 2013 में भी संशोधन किया है। शिक्षकों को हॉस्पिटल, स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आधार आधारित जीओ लोकेशन उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था की हुई है। शैक्षिणक पदों का चुनाव करने वाले अभ्यार्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की सोची है। मौजूदा कॉलेजों के निरीक्षण के लिए धारा-12(ग) हेतु प्रावधान किया हुआ है। शैक्षिणक वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा सभी 236 कॉलेजों का निरीक्षण और शासक मण्डल की सिफारिशें प्रकियाधीन हैं, जिनकी जून 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना थी। अब मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक इन सभी कॉलेजों के परमिशन का कार्य पूरा हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों ने इसके बारे में अपने मत प्रकट किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कई सदस्यों ने इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। बहुत सदस्य इसमें बोले हैं।

बंगाल से हमारे कई सदस्य इस पर बोले हैं। हम बंगाल की स्थिति में होम्योपैथी को बढ़ाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा उनके मन में था कि क्या हमारा मंत्रालय कर पाएगा। हम निश्चित रूप से आगे जाएँगे। बहुत सदस्य यहाँ पर बोले हैं। सभी ने 99 परसेंट सदस्यों

ने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पर कई सिफारिशें की हैं, जिन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और यह पॉजिटिव है। यह हम करने जा रहे हैं। करप्शन कोई नहीं मानेगा, इनडिसिप्लिन कोई नहीं मानेंगे लेकिन जिस तरह डिसिप्लिन आएगा, हमारी जो संस्था है, कॉलेजेज हैं, वह जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तभी शिक्षा में एक उच्च स्तर हम प्राप्त करेंगे।

आज यह सभी की डिमांड है कि एजुकेशन में इस तरह से होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन देने की जो प्रक्रिया है, जब कॉलेज सही होंगे तब वहाँ डिसिप्लिन अच्छा रहेगा।

हमारे प्रेमचन्द्रन जी ने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कहा था, जब उन्होंने अपना विचार रखा उसमें एक मुद्दा मैं क्लियर करता हूँ कि होम्योपैथी काउंसिल बिल, 2005 था और 2015 था, वह हमने राज्य सभा से विदड्रा किया है। यह मैं उनको कहता हूँ। "Recognition of colleges for one-year and five-year courses as per their level of compliance of MSR" जो मिनिमम रूल्स हैं, उसका कॉंप्लायंस करने के बाद दोनों को हम इस तरह भेज देते हैं। आपने कुछ कॉलेजेज के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में मैं निश्चित तौर से बात करूँगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि माननीय अधीर रंजन जी ने बोला था कि यह बार-बार अमेंडमेंट क्यों और किसलिए काउंसिल आपने डिजॉल्व की थी? इसके बारे में मैंने कहा है । बाकी सभी ने अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्यूएंसी की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वह आपने बताई, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। मैं सभी सदस्यों को फिर एक बार तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया, मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ...(व्यवधान)

जैसा आपने होम्योपैथी के बारे में कहा कि पंजाब में और सुविधा होनी चाहिए। आयुष्मान भारत की तरह जो वेलनेस सेंटर होंगे, उसी में वहाँ हम सभी राज्यों में इसको दे देंगे। आयुष मिशन के अंतर्गत हमने हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने का वायदा किया है। कम से कम 150 से

ज़्यादा हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने पारित किया हुआ है, पास किया हुआ है। आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हॉस्पिटल, जो होम्योपैथी चाहे वह होम्योपैथी ले सकते हैं, आयुर्वेद चाहे तो आयुर्वेद ले सकते हैं। इस तरह का जो कुछ आपका प्रपोजल है, कृपया हमें भेज दीजिए। वह हम जल्दी से जल्दी अप्रूव करके आपको दे देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं आपको परेशान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपसे मेरा अपना कोई विरोध नहीं है। बात यह है कि आप जो बोलते हैं, इसके साथ मिलता-जुलता नहीं है। जैसे कि आपने अभी-अभी कहा कि वहाँ बहुत करप्शन होता था वगैरह-वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा कि "not co-operating wilfully" तो आपकी बात में अंतर आ जाता है, हम क्या करें। हम भी तो यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि अपोजिशन में बैठ कर आपका विरोध करने के लिए हैं। देखिए, 1973 में यह बिल पारित हुआ था। उस समय आप लोग नहीं थे। वर्ष 1952 में पहल शुरू हुई थी। उस समय आप सत्ता में नहीं थे। हमारी पूर्व में जो सरकारें थीं, मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ओल्ड गवर्नमेंट, न्यू नहीं थी तो उसी ज़माने में शुरू हुआ है। मतलब इस पर हमारा भी ध्यान आज नहीं बल्कि पुराने दिन से है। लेकिन जब आपकी बात में कोई अंतर लगता है तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि हमें एक साल से दो साल लेना पड़ा, क्योंकि सूबों की सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन को अपडेट नहीं किया। मान लीजिए ऐसी तो कोई गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नहीं दी कि ठीक है कि अगले साल तक मैं कर दूँगा। मान लीजिए अगले साल भी नहीं हुआ, तो आप फिर अध्यादेश लाएंगे, फिर एक साल बढ़ाएंगे, उसकी भी आप गुंजाइश रखेंगे या नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं है। मैं आपकी बातों पर ही बात करता हूँ। आपने कहा कि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने यह रजिस्टर अपडेशन नहीं किया, इसलिए हमें एक साल बढ़ाना पड़ा। हमारा भी मकसद था कि एक साल के अंदर हम कर लेंगे, लेकिन सूबों की सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए हमें दो साल आगे जाना पड़ा। मान लीजिए कि फिर सभी सरकारों ने ऐसा किया, तो आप क्या करेंगे? अगर आप यह सोचें कि सारा हिन्दुस्तान आपके लपेटे में आ जाएगा, वह अलग बात है, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वर्ष 1971 के बाद क्या गरीबी हटी?...(व्यवधान) आप अपनी तरह सोचते हैं।...(व्यवधान) आप अपने दिल से जानिये पराई चीज का हाल।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अच्छा ठीक है।...(व्यवधान) बात यह है।...(व्यवधान)

दुबे साहब, मैं क्या बोलता हूँ, वह आप समझते हुए भी नहीं समझते हैं। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए सूबों की सरकारों ने अगले 1 साल तक, आप जो हिदायत देते हैं, आप जो सलाह देते हैं, आप जो चाहते हैं, उसका पालन नहीं किया, तो उसके बाद आप क्या फिर यह अध्यादेश लाएंगे? आप खुद बताइए कि फिर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे बनाएंगे? यह सवाल तो उस समय भी आएगा। यह कठिनाई उस समय भी आपके ऊपर आएगी। उसका समाधान क्या है। इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं दिया है। मैं इसमें अंतर ढूँढते हुए आपका विरोध करता हूँ। आप एक बात और बताइए कि आपने कहा कि आपके जमाने में इतने सारे कॉलेज खुल चुके हैं, आपने नए-नए कॉलेज बनाए हैं। आप यह भी बताइए कि आपके रहते हुए आपने कितने कॉलेजों को बंद किया है? यह आपने नहीं बताया है। जो काउंसिल के मेंबर थे, उनके खिलाफ सीबीआई की जो कार्रवाई हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कोई नतीजा निकला है? मुझे पता नहीं है। जो सीबीआई की इनक्वायरी हुई, उस इनक्वायरी के बाद क्या कोई नतीजा निकला? क्या किसी को कोई सजा हुई? क्या आप किसी का कुछ बिगाड़ पाए?

> "CCH Member from Maharashtra, including CCH Vice-President and one of the Members of CCH Executive take pride in getting State Government's permission for legalising Allopathic practice for Homoeopaths. But, only because of the firm stand of Dr. Ramjee Singh, that was not legalised."

यह बात भी अखबार में आती है। यह सच है या गलत, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी कि सीसीएच काउंसिल के जो मेंबर हैं, वे अपने पद का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। क्या यह भी कोई मिसाल आपके सामने है कि सीसीएच के जो मेंबर्स हैं, वे अपना कॉलेज बना रहे हैं? वे अपना कॉलेज बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही में ढीलापन दिखा रहे हैं, ऐसा होता है या नहीं, आप खुद इसका पता कर लीजिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको

सभी कॉलेजेज का ऑडिट करने की जरूरत है । मान लीजिए दोनों डॉक्टर्स आ गए, एक एलोपैथिक एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक सिद्धा, लोग सबसे गुणी किसको मानेंगे? अभी भी हिन्दुस्तान में लोग एलोपैथी डॉक्टर के लिए सोचेंगे कि यह सबसे ज्यादा गुणी और पढ़ा लिखा है । वह यह मानेगा, यह इंप्रेशन है । देखिए परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है, नहीं तो हमने सब कुछ किया, मगर आपकी सरकार जीत गयी ।...(व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि परसेप्शन के ऊपर दुनिया चलती है । परसेप्शन यह हो गया कि आपने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया, बस हम हार गए । मान लीजिए एक एलोपैथिक डॉक्टर है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक सिद्धा डॉक्टर आ गए, तो लोगों की परसेप्शन क्या है? आम लोगों की परसेप्शन यह है कि एलोपैथिक डॉक्टर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई-लिखाई की है । जब सारे ऑप्शंस खत्म होते हैं, तब यह होता है कि चलो अब होम्योपैथी की ओर चलो ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाई जाती है ।

18.00 hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम भी चाहते हैं कि यह जो होम्योपैथी है, आयुष है और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इन्हें बचा कर रखना आप, हम और हिन्दुस्तान के सारे लोगों का फर्ज़ बनता है । हम भी चाहते हैं कि इनकी प्रिस्टीन प्यूरिटी रिस्टोर हो । Pristine purity be restored. इसमें कोई खलल न हो ।

अभी होम्योपैथी डॉक्टर जल्दबाजी में रोगियों का इलाज़ करने के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं । आपके पास इसका निरीक्षण करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है । अगर यह नहीं है तो नहीं है । इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि आप इसको चुस्त-दुरुस्त करके आइए । उसके बाद आप हम से समर्थन माँगिए । हम भरपूर समर्थन करेंगे, लेकिन अभी हम इसका विरोध करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 11) का निरनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 3 क का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir.

Hon. Speaker, Sir, I have already suggested that instead of having two years, that is, twenty-four months, let there be eighteen months so that within six months, elections can be conducted and the Homeopathy Council can be democratically elected. So, I am moving the amendment.

Sir, I beg to move:

Page 1, line 6,-
for "two years"

substitute "eighteen months". (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill, be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, June 28, 2019/Ashadha 7, 1941 (Saka)